सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
(राजस्व विभाग – सीमा शुल्क)
(अनुपालन लेखापरीक्षा)
2021 की संख्या 18

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(राजस्व विभाग - सीमा शुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2021 की संख्या 18

.....को लोकसभा तथा राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया।

विषय सूची

	अध्याय	*पैरा सं.*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन			*i*
कार्यकारी सार			*iii*
शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली			*xi*
सीमा शुल्क राजस्व	*I*	1.1 से 1.13	1
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा	*II*	2.1 से 2.7	21
सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अननुपालना	*III*	3.1 से 3.10	29
विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों की अननुपालना	*IV*	4.1 से 4.2.6	75
अनुबंध			93

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग - सीमा शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

सरकार ने भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस), में महत्वपूर्ण निवेश किया जिसका परिणाम व्यापक, कागज रहित, पूर्ण रूप से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में संव्यवहार की जानकारी की उपलब्धता है। यह लेखापरीक्षा को कुछ स्थानों पर संव्यवहार की नमूना जांच की अपेक्षा सौ *प्रतिशत* डेटा की समीक्षा का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा और सभी सीमा शुल्क आयुक्तालयों में कर कानून लागू करने की सटीकता पर सरकार और संसद को उच्च स्तर का आश्वासन प्रदान करेगा। पूर्ण डेटा की उपलब्धता संव्यवहारों की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा के प्रत्यक्ष निरीक्षण की आवश्यकता को भी कम करेगी। तथापि, चूँकि विभाग अखिल भारतीय संव्यवहारों के लिए पूर्ण डेटा प्रदान करने में असमर्थ था, अत: 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 41 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में ही लेखापरीक्षा की गई थी।

इस प्रतिवेदन में उल्लखित मामले वे हैं, जो 2019-20 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये नहीं जा सके थे।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

भारत में आयात किये गए माल और भारत से बाहर निर्यातित कतिपय माल (संविधान की सांतवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) पर सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहीत किया जाता हैं, और शुल्क की दरों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम तथा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित किया जाता है।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लागू किये जाने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), अतिरिक्त शुल्क और विशिष्ट अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) शामिल होते थे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू किये जाने के बाद, पैट्रोलियम उत्पादों और स्पिरिट को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त शुल्क और एसएडी को सम्मिलित तथा एकीकृत कर (आईजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्यों को सीबीआईसी द्वारा पूरे देश में 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से किया जाता हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग द्वारा महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनिटर किया जाता है जो निर्यातों और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है।

वि.व. 20 के दौरान 405 सीमा शुल्क पत्तनों (203 ईडीआई, 44 गैर-ईडीआई, 2 मैनुअल और 156 सेज पतनों) के माध्यम से ₹22.19 लाख करोड़ मूल्य का निर्यात (1,37,43,809 संव्यवहारों) और 437 सीमा शुल्क पत्तनों (183 ईडीआई, 29 गैर-इडीआई, 2 मैनुअल और 223 सेज़ पत्तनों के माध्यम से ₹33.61 लाख करोड़ मूल्य का आयात (1,20,87,439 संव्यवहारों) किया गया।

वि.व. 20 जीडीपी अनुपात के प्रति सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.54 *प्रतिशत* थी जबकि सकल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 5.44 *प्रतिशत* थीं। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 12.72 *प्रतिशत* थीं।

सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण, सीमा शुल्क के अन्य कोई उद्ग्रहण, विदेश व्यापार नीति के अतंर्गत लागू की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये गये आयात और निर्यात के संव्यवहारों और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये गये विशिष्ट अनुपालन के क्षेत्र शामिल होते हैं।

कुल 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 41 को नमूना जांच के लिए चयनित आयुक्तालयों के नमूने में शामिल किया गया। हमने लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के अधीन कार्यरत 285 निर्धारण इकाईयों और 206 गैर-निर्धारण इकाईयों की लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा, कस्टम हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट द्वारा भारतीय सीमा शुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में इलैक्ट्रोनिक रूप से फाईल किये गये बिल्स ऑफ एंट्री (बीई) और शिपिंग बिलों (एसबी) की जांच पर आधारित थी। गैर-ईडीआई सीमा शुल्क स्थानों पर, बीई और एसबी को मूर्त रूप से फाईल और निर्धारण किया जाता है। आईसीईएस स्वचालित चरणों की श्रृंखला द्वारा डेटा को प्रसंस्कृत करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का प्रयोग करती है और इसके परिणामस्वरूप इलैक्ट्रानिक निर्धारण किया जाता है। यह निर्धारण सुनिश्चित करता है कि क्या बीई पर कार्यवाही की जाएगी अर्थात निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन होगा या माल की जांच होगी या दोनों होगें या शुल्क के भुगतान के बाद

और बिना किसी निर्धारण और जांच के प्रत्यक्ष रूप से निकासी कर दी जाएगी। हमने आरएमएस और मैनुअल मूल्यांकन प्रणाली दोनों द्वारा संसाधित बीई और एसबी की लेखापरीक्षा की।

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाईसेंस फाईलों की नमूना जांच द्वारा डीजीएफटी के अधीन 21 क्षेत्रीय प्राधिकरणों में विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहनों की लेखापरीक्षा की गई थी।

इस प्रतिवेदन को चार अध्यायों में बाँटा गया है। अध्याय I राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग के कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा सीमा शुल्क प्राप्तियों, भारत के आयातों और निर्यातों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निष्पादन, सीमा शुल्क प्राप्तियों के बकाया और विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना का उच्च स्तरीय विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय II सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन करता है। अध्याय III और IV में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किये गये हैं। इस प्रतिवेदन में ₹143 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के 137 पैराग्राफ है। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए गए 137 मामलों में से 74 में प्रतिक्रिया दी। ₹127 करोड़ के धन मूल्य सहित 130 पैराग्राफों में, कारण बताओं नोटिस जारी करने, कारण बताओं नोटिस पर अधिनिर्णय करने के रूप में विभाग/मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और 93 मामलों में ₹40 करोड़ की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग से प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त स्थान पर शामिल किया गया हैं।

अध्याय I : विहंगावलोकन - सीमा शुल्क राजस्व

वि.व. 19 में प्राप्त की गयी ₹1,17,813 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियों के सापेक्ष वि.व. 20 के दौरान ₹1,09,283 करोड़ की सीमा शुल्क प्राप्तियाँ की गई थी। वि.व. 20 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में कमी के कारण में से एक कारण के लिए यह तथ्य जिम्मेदार हो सकता है कि जीएसटी की शुरूआत के बाद, सीमा शुल्क प्राप्तियों में केवल बीसीडी है अतिरिक्त शुल्क और

एसएडी, जो सीमा शुल्क प्राप्तियों का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें आईजीएसटी में शामिल कर लिया गया।

{पैराग्राफ 1.6.1 से 1.6.2}

वि.व. 20 के दौरान आयात में (-)6.50 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की गई, जबकि निर्यात में भी उसी अवधि के दौरान (-)3.81 की कमी दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.7}

भारत के आयातों में वि.व. 19 में ₹35.95 लाख करोड़ से वि.व. 20 के दौरान ₹33.60 लाख करोड़ तक मूल्यवार कमी आई थी और निर्यातों में भी वि.व. 19 में ₹23.07 लाख करोड़ से वि.व. 20 में ₹22.19 लाख करोड़ से करोड़ तक कमी आई थी।

वि.व. 20 में आयातों में मुख्य पाँच वस्तु समूह नामत: (i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, (ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती/कीमती या अर्ध कीमती पत्थर, स्वर्ण और इससे बनी वस्तुएं (iii) इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपस्करण तथा पुर्जे, (vi) मशीनरी और उपकरण और (v) जैविक रसायन थे। ये वस्तु वि.व. 20 में किए गए कुल आयातों का 67 प्रतिश हिस्सा थे।

{पैराग्राफ 1.7 और 1.8}

पिछले पांच वर्षों के दौरान (वि.व. 16 से वि.व. 20) भारत के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदार चीन, यूएसए, यूएई, साउदी अरब, इकाक, हॉग कॉग, कोरिया, इंडोनिशिया, सिंगापुर और जर्मनी थे। वि.व. 16 की तुलना में 10 व्यापारिक भागीदारों में से छ: (हॉग-कॉग, सिंगापुर, इराक, सउदी अरब, यूएई, यूएसए) के आयातों की वि.व. 20 हिस्सेदारी में सकारात्मक वृद्धि हुई, तीन भागीदारों (जर्मनी, इंडोनेशिया, कोरिया) के मामले में यह वि.व. 16 के समान स्तर पर स्थिर रहा और एक देश (चीन) के संदर्भ में गिरावट आई।

{पैराग्राफ 1.7.3}

वि.व. 20 के दौरान निर्यातित शीर्ष पांच वस्तु समूह (i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद (ii) प्राकृतिक और कृतिम मोती, कीमती या अर्ध कीमती पत्थर, कीमती धातू उससे बनी वस्तुए (iii) न्यूकलीयर रिएक्टर,

मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण तथा उसके पुर्जे (vi) जैविक रसायन और (v) रेलवे या ट्रामवे के अलावा वाहन तथा पुर्जे और उनकी सहायक सामग्री उनके संबंधित क्रम में थे।

{पैराग्राफ 1.8.2}

अध्याय II : नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

वि.व. 20 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 2,266 अभ्युक्तियों वाली 299 निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को जारी की, जिसमें ₹2,186 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ था। इनमें से, वि.व. 20 के दौरान देखे गए ₹143 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 137 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। शेष मामलों में संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए गए 137 मामलों में से 74 में प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा, 57 मामलों में स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों/क्षेत्रीय प्राधिकारणों में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। मंत्रालयों/विभागों ने 130 पैराग्राफ स्वीकार कर लिए है और एसीएन जारी करने, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में ₹127.38 करोड़ के गलत निर्धारण के 93 मामलों में ₹39.68 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

{पैराग्राफ 2.6}

अध्याय III : सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैंरिफ अधिनियम और टैंरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालना।

लेखापरीक्षा द्वारा वि.व. 19, 20 और 21 के लिए आयात और निर्यात संव्यवहारों के लिए मांगा गया अखिल भारतीय डेटा (जून 2019) बार-बार अनुरोध के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ था। अखिल भारतीय संव्यवहार डेटा के अभाव में, आईसीईएस के सीआरए मॉडयूल इंटरफेस के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई थी जिसकी अपनी कमियाँ थी। सीआरए और आईसीआरए मॉडयूलों की कमियों की सूचना भी सीबीआईसी को दी गई थी। तद्नुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय के परिणाम सीमित

लेखापरीक्षाओं पर आधारित थे जो 41 आयुक्तालयों के प्रत्यक्ष दौरों द्वारा की गई थी।

वि.व. 20 के दौरान कुल 1.21 करोड़ बीई और 1.37 करोड़ एसबी सृजित हुए थे, जिसमें से क्षेत्राधिकार लेखापरीक्षा कार्यालयों ने स्थानीय जोखिमों के आधार पर प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा के लिए 4.11 लाख बीई (3.39 *प्रतिशत*) और 8.12 लाख एसबी (5.93 *प्रतिशत*) का चयनि किया। नमूनों का चयन अखिल भारतीय डेटा के अभाव में पृथक-पृथक क्षेत्रीय संरचनाओं के स्तर पर किया गया था जो उपेष्टतम है। इस प्रतिवेदन में सीमा शुल्क आयुक्तालयों में आयात/निर्यात दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान पाए गए ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ के साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रतिवेदन किया गया है। संबंधित आयुक्तालयों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से लघु अभ्युक्तियाँ जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अननुपालन के मामलों को मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता था:

- आयातों का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.11)
- अधिसूचनाओं का गलत उपयोग (पैराग्राफ 3.8.1 से 3.8.8)
- अन्य अनियमितताओं (पैराग्राफ 3.9)

लेखापरीक्षा ने आयात किए गए माल के गलत वर्गीकरण, अधिसूचनाओं के गलत उपयोग और प्रयोज्य उदग्रहणों और अन्य प्रभारों के गलत उदग्रहण के कारण लागू सीमा शुल्क के कम निर्धारण के 102 मामलों को देखा, जिसके परिणामस्वरूप ₹122 करोड़ का राजस्व जोख़िम में था।

{पैराग्राफ 3.7 से 3.9}

अध्याय VI : विदेश व्यावार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

विदेश व्यापार नीति की निर्यात संवर्धन योजनाओं में अनियमितातएं

क्षेत्रीय प्राधिकरणों और आठ विकास आयुक्तों की नमूना लेखापरीक्षा में निर्धारित नियमों, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं और निर्यात दायित्वों को पूरा करने और निर्यात प्रोत्साहन देने के बारे में प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरणों को उजागर किया। ₹21 करोड़ का राजस्व उन निर्यातकों/आयातकों से देय था, जिन्होंने निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत शुल्क का लाभ उठाया था, लेकिन निर्धारित दायित्वों/शर्तों को पूरा नहीं किया था।

{पैराग्राफ 4.2.1 से 4.2.6}

सामान्य अनुशंसाएं

हालांकि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, लेकिन यह इंगित किया जा सकता है कि इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा पैराग्राफ, केवल कुछ निदर्शी मामले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी त्रुटियां, चाहे वह आरएमएस आधारित निर्धारणों में हो या मैनुअल निर्धारणों में हो, कई और मामलों में हो सकती हैं। यह नोट करना तर्कसंगत है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए बड़ी संख्या में बीई को आरएमएस के माध्यम से निर्धारित किया गया था जो इस बात का संकेत देता था कि प्रणाली आधारित निर्धारण को सरल बनाने के लिए आरएमएस में मैप किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे। आरएमएस में जोखिम पैरामीटरों के मैपिंग और अद्यतन करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 3.10}

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
एए	अग्रिम प्राधिकरण
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्पलैक्स
एडीडी	एंटी डंपिंग शुल्क
एडीजीएफटी	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार
एईओ	प्राधिकृत आर्थिक संचालक
एएनएफ	आयात निर्यात फार्म
एओ	निर्धारण अधिकारी
एपीआर	वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन
एटीएन	कृत कार्रवाई टिप्पणी
एवी	निर्धारण मूल्य
बीसीडी	आधारभूत सीमा शुल्क
बीई	प्रविष्टि बिल
बीई	बजट प्राक्कलन
बीआरसी	बैंक उगाही प्रमाण-पत्र
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड
सीसीएसपी	सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता
सीई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सीईआईबी	केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क अपीलीय न्यायीधिकरण
सीएसएफ	कंटेनर फ्रेट स्टेसन
सीआईएफ	लागत, बीमा, भाडा
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
आयुक्तालय	सीमा शुल्क आयुक्तालय
सीआरए	सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीआरसी	लागत वसूली प्रभार
सीएसईज़ेड	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय वेयरहाउसिंग कारपोरेशन
डीसी	विकास आयुक्त
डीईईसी	शुल्क छूट पात्रता प्रमाण पत्र
डीईएल	अस्वीकृत ईकाई सूची

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
डीएफसीई	शुल्क मुक्त क्रेडिट पात्रता
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीजीओवी	मूल्यांकन महानिदेशालय
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ई-बीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक उगाही प्रमाण पत्र
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईएक्सआईएम	निर्यात और आयात
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफओबी	फ्री आन बोर्ड
एफ़टीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीडीआर	विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीटीआर	सकल कर राजस्व
एचबीपी	प्रक्रिया हैंडबुक
एचएसएन	नामावली की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
आईसीडी	इन्लैन्ड कंटेनर डिपो
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य गेटवे
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय प्रणाली
आईसीआरए	आयात सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवा कर
आईटीसी एचएस	अंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
जेडीजीएफटी	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार
एलओपी	अनुमति पत्र
एलआरएम	स्थानीय जोखिम प्रबंधन

संकेताक्षर	विस्तृत रूप
एमईआईएस	मर्चेन्डाइज एक्पोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम
एमआईडीसी	महाराष्ट्र औद्धयोगिक विकास निगम
एमओसीआई	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीआर	मासिक निष्पादन रिपोर्ट
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
एनएफई	निवल विदेशी विनिमय
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनएसईजेड	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
ओआईओ	मूल आदेश
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीएनसी	नोटिस पूर्व परामर्श
प्र. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
प्रवी.	निवारक
₹	रुपया
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकरण
आरसी	वसूली सेल
आरई	संशोधित अनुमान
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसएडी	सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क
एसबी	शिपिंग बिल
एससीएन	कारण बताओं नोटिस्
एसईआईएस	सर्विस एक्पोर्टस फ्रॉम इंडिया
सेज़	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफआईएस	सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम
एसआईआईबी	विशेष आसूचना जांच शाखा
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एसडब्ल्यूएस	समाज कल्याण अधिप्रभार
वाईओवाई	वर्ष दर वर्ष
जेडडीजीएफटी	जोनल विदेश व्यापार महानिदेशक

अध्याय ।

सीमा शुल्क राजस्व

1.1. सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 भारत में माल के आयात पर और भारत से बाहर कतिपय माल के निर्यात पर (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की एंट्री 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहित किया जाता हैं और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं।

1.2 सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के साथ जारी किये गये आयातक और निर्यातक सीमा शुल्क राजस्व आधार में शामिल होते हैं। मार्च 2020 तक 3,06,011 सक्रिय आईईसी थे। वि.व. 20 के दौरान, 405 सीमा शुल्क पत्तन (203 ईडीआई, 44 गैर-ईडीआई, 2 मैन्यूल और 156 सेज पत्तनों) के माध्यम से ₹22.19 लाख करोड़ (1,37,43,809 संव्यवहारों) मूल्य के निर्यात और 437 सीमा शुल्क पत्तनों (183 ईडीआई, 29 गैर-ईडीआई, 2 मैनुअल और 223 सेज पत्तनों) के माध्यम से ₹33.61 लाख करोड़ के आयात (1,20,87,439 संव्यवहारों) किए गए।

1.3 प्रशासनिक विभागों का संगठन और कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर), केंद्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी भारत सरकार का सर्वोच्च विभाग है।

1.3.2 पूरे देश में मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता वाले 20 जोनों के माध्यम से सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पर निवारक कार्य किये जाते हैं।

1.3.3 डीजीएफटी द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अधीन वाणिज्य विभाग (डीओसी) उस विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर करता है जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, डीओसी को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (सेज), राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सरलीकरण और कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योग और वस्तुओं के विकास और विनियमन के संबंध में उत्तरदायित्व भी सौंपे गये है।

1.3.4 एफटीपी जो डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) द्वारा लागू किया जाता है निर्यात संवर्धन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने और लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी है। वि.व. 20 के दौरान, अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत में 38 आरए थे; 14 आरए का विलय हुआ। मार्च 2020 तक 24[1] आरए अस्तित्व में थे।

1.4 सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने से पहले, सीमा शुल्क प्राप्तियों में बीसीडी, अतिरिक्त शुल्क[2] और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) शामिल होते थे। सभी आयात फरवरी 2018[3] से शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के स्थान पर समाज कल्याण अधिप्रभार (एसडब्ल्यूएस) के अधीन भी होते हैं। इसके, अतिरिक्त एंटी-डंपिंग शुल्क, प्रतिकारी शुल्क (धारा 9) और सेफगार्ड शुल्क, जहां कहीं भी लागू है, वहां उद्ग्राह्य है।

---

[1] https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=dgft-organization.

[2] सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के तहत सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर तथा अन्य प्रभार के बराबर हैं जो सामान्यतः प्रतिकारी शुल्क के नाम से जाना जाता है, उदग्राह्य है।

[3] एसडब्ल्यूएस वित्त विधेयक (अधिनियम), 2018 के खंड 108 के तहत उदग्रहीत किए गए माल के आयात पर एक अतिरिक्त शुल्क है।

1.4.2 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के उपरांत, पैट्रोलियम उत्पादों और एल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त शुल्क और एसएडी को सम्मिलित कर दिया गया है और इसके स्थान पर आईजीएसटी लागू कर दिया गया है। आईजीएसटी लागू बीसीडी के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय ऐश्वर्यपूर्ण तथा निषेध माल पर भी उद्ग्राह्य होता है। एंटी-डंपिंग शुल्क और सेफ गार्ड शुल्क का उद्ग्रहण भी अपरिवर्तित रहा।

1.5 बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का राजस्व बजट सरकार के कर और गैर कर राजस्व का बजट अनुमान प्रदान करता है। बजट अनुमान के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता की संकेतक है। वास्तविक प्राप्तियां या तो अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं।

1.5.2 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां नीचे **तालिका 1.1** में दी गई हैं।

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान ₹ करोड़ में	संशोधित अनुमान ₹ करोड़ में	वास्तविक प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वास्तविक और बीई में अंतर	वास्तविक और बीई के बीच प्रतिशत भिन्नता	वास्तविक और आरई के बीच अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक और आरई के बीच प्रतिशत भिन्नता
वि.व.16	2,08,336	2,09,500	2,10,338	(+)2,002	(+)0.96	(+)838	(+)0.40
वि.व.17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)8,370	(+)3.86
वि.व.18	2,45,000	1,35,242	1,29,030	(-)1,15,970	(-)47.33	(-)6,212	(-)4.59
वि.व.19	1,12,500	1,30,038	1,17,813	(+) 5,313	(+)4.72	(-)12,225	(-)9.40
वि.व.20	1,55,904	1,25,000	1,09,283	(-)46,621	(-)29.90	(-)15,717	(-)12.57

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु संघीय बजट और वित्त लेखे।

1.5.3 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान आरई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-)12.57 *प्रतिशत* से 3.86 *प्रतिशत* के बीच थी। उक्त अवधि

के दौरान ही बीई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-)47.33 *प्रतिशत* से 4.72 *प्रतिशत* के दायरे में थी।

1.5.4 वि.व. 19 के दौरान, वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां बीई से 4.72 *प्रतिशत* (₹5,313 करोड़ तक) अधिक थी, जबकि वि.व. 20 के दौरान बीई के मुकाबले वे (-)29.90 *प्रतिशत* (₹46,621 करोड़ तक) कम थी। वास्तविक प्राप्तियों और आरई के बीच वि.व. 18 में (-)4.59 *प्रतिशत* से वि.व. 20 में (-)12.57 *प्रतिशत* की भिन्नता में लगातार वृद्धि है।

वाणिज्य विभाग (डीओआर) ने कहा (मार्च 2021) कि एक वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न आर्थिक कारकों को आधार मानकर बीई और आरई निर्धारित किए गए थे और पूरे वर्ष के लिए इन कारकों का अंतिम परिणाम पहले पता नहीं था।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

1.6.1 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व प्राप्तियां (जीटीआर) और सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की परस्पर वृद्धि को नीचे **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत	जीडीपी ₹ करोड़ में	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्ति	सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹ करोड़ में	सकल कर % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर ₹ करोड़ में	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.16	2,10,338	12	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62
वि.व.17	2,25,370	7	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14
वि.व.18	1,29,030	(-)43	1,67,73,145	0.76	19,19,183	6.72	9,16,445	14.07
वि.व.19	1,17,813	(-)09	1,90,10,164	0.62	19,68,456	5.99	8,43,177	13.97
वि.व.20	1,09,283	(-)07	2,03,51,013	0.54	20,10,059	5.44	8,59,122	12.72

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु वित्तीय लेखे

1.6.2 वि.व. 16 से वि.व. 17 तक वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) के आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि दर 7 से 12 *प्रतिशत* के बीच थी, परंतु

विगत वर्ष के मुकाबले वि.व. 18 से वि.व. 20 में ऋणात्मक प्रवृत्ति दिखाई। सीमा शुल्क प्राप्तियों में वि.व. 18 से वि.व. 20 तक धीरे-धीरे कमी आई। यह आंशिक रूप से जीएसटी (जूलाई 2017) के शुरू होने के पश्चात हुआ जब, पैट्रोलियम उत्पादों और ऐल्कोहल के अलावा आयातों पर अतिरिक्त शुल्क और एसएडी सम्मिलित किए गए है और आईजीएसटी से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

1.6.3 जीडीपी को सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता, विगत वर्ष वि.व. 19 में 0.62 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 20 के दौरान 0.54 *प्रतिशत* थी। जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 19 में 5.99 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 20 में 5.44 *प्रतिशत* तक घट गई थी। वि.व. 18 और वि.व. 20 के दौरान जीडीपी/जीटीआर की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों के *प्रतिशत* में आंशिक कमी आई, क्योंकि जीएसटी शुरू होने के पश्चात एक अलग लेखांकन शीर्ष के अधीन आईजीएसटी का संग्रहण था। डीओआर ने कहा कि वि.व. 20 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि में गिरावट इसलिए हुई क्योंकि खाद्य तेलों, बहुमूल्य धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और खनिज ईंधनों के आयात में गिरावट आई थी, जिससे सीमा शुल्क संग्रह में गिरावट आई थी।

1.6.4 वि.व. 20 के दौरान, जीडीपी अनुपात के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों का अनुपात एक *प्रतिशत* (0.54 *प्रतिशत*) से कम था जबकि जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 5.44 *प्रतिशत* थी। अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 20 में 12.72 *प्रतिशत* थी।

1.7 भारत का आयात और निर्यात

1.7.1 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान भारत के आयात और निर्यात की वृद्धि की प्रवृति को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत का आयात और निर्यात

वर्ष	आयात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि % में	निर्यात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि % में	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़ में
वि.व.16	24,90,298	(-) 9.00	17,16,378	(-) 9.49	(-)7,73,920
वि.व.17	25,77,422	3.49	18,52,340	7.92	(-)7,25,082
वि.व.18	30,01,033	16.44	19,56,515	5.62	(-)10,44,518
वि.व.19	35,94,675	19.78	23,07,726	17.95	(-)12,86,949
वि.व.20	33,60,954	(-)6.50	22,19,854	(-)3.81	(-)11,41,100

स्रोत: एक्सिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.7.2 भारत का आयात वि.व. 19 में मूल्य ₹35.95 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 20 के दौरान ₹33.60 लाख करोड़ तक हो गया और निर्यात भी वि.व. 19 में ₹23.07 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 20 में ₹22.19 लाख करोड़ हो गया।

वि.व. 16 के दौरान (-)9 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि के बाद वि.व. 17 से वि.व. 19 के दौरान आयातों की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर में वृद्धि हुई परन्तु वि.व. 20 के दौरान घट गई। निर्यात में वृद्धि दर भी वि.व. 16 में (-)9.5 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 19 में 17.95 *प्रतिशत* हो गई। वि.व. 19 की तुलना में वि.व. 20 में आयात की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर (-)6.50 *प्रतिशत* से गिरावट आई जबकि इसी वर्ष के दौरान निर्यात की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर (-)3.81 *प्रतिशत* तक घट गई।

1.7.3 शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार

पिछले पांच वर्षों (वि.व. 16 से वि.व. 20) के दौरान भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इराक, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जर्मनी थे। इनमें से वि.व. 20 में 10 व्यापारिक भागीदारों में से छह (हांगकांग, सिंगापुर, इराक, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका) में आयात की हिस्सेदारी वि.व. 16 की तुलना में बढ़ी; तीन भागीदारों (जर्मनी, इंडोनेशिया, कोरिया) के साथ यह वि.व. 16 में ही एक स्तर पर स्थिर था और एक देश (चीन) के संबंध में गिरावट आई। **चार्ट 1** में पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष व्यापारिक भागीदारों के आयात हिस्से को दर्शाया गया है।

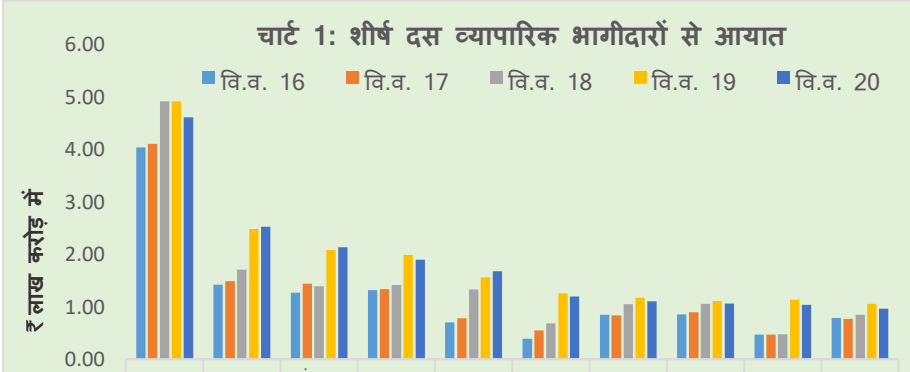

	चीन	अमेरीका	संयुक्त अरब अमीरात	सऊदी अरब	इराक	हॉगकॉग	कोरिया	इंडोनेशिया	सिंगापुर	जर्मनी:
वि.व. 16	4.04	1.43	1.27	1.33	0.71	0.40	0.85	0.86	0.48	0.79
वि.व. 17	4.11	1.50	1.44	1.34	0.79	0.55	0.84	0.90	0.48	0.78
वि.व. 18	4.92	1.72	1.40	1.42	1.33	0.69	1.05	1.06	0.48	0.86
वि.व. 19	4.92	2.49	2.09	1.99	1.57	1.26	1.17	1.11	1.14	1.06
वि.व. 20	4.62	2.53	2.14	1.90	1.68	1.20	1.11	1.07	1.04	0.97

वि.व. 18 की तुलना में वि.व. 20 और वि.व. 19 की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के संदर्भ में, तीन भागीदारों (चीन, कोरिया, इंडोनेशिया) से आयात में गिरावट आई थी, छह भागीदारों (संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, हांगकांग और सिंगापुर) के संबंध में वृद्धि हुई थी, जबकि यह एक देश (जर्मनी) के साथ एक ही स्तर पर रहा।

इनमें से, दो देशों (इराक और चीन) में वि.व. 16 में निर्यात की तुलना में वि.व. 20 में निर्यात दोगुना हो गया, पांच भागीदारों (अमेरिका, जर्मनी, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया) के साथ महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि हुई, दो भागीदारों (यूएई, सऊदी अरब) के साथ मामूली वृद्धि और एक भागीदार (हांगकांग) के साथ निर्यात में गिरावट आई है। शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों को निर्यात **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2: शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों को निर्यात

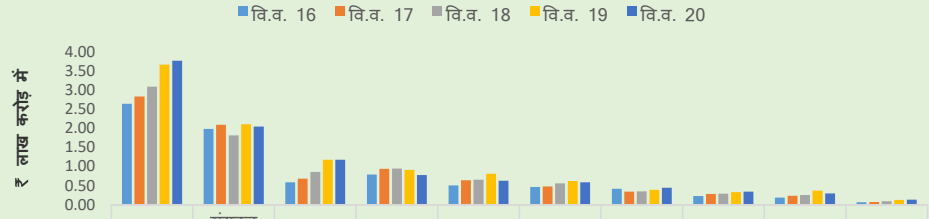

	अमेरीका	संयुक्त अरब अमीरात	चीन	हॉगकॉग	सिंगापुर	जर्मनी:	सऊदी अरब	कोरिया	इंडोनेशिया	इराक
वि.व. 16	2.64	1.98	0.59	0.79	0.51	0.46	0.42	0.23	0.18	0.07
वि.व. 17	2.83	2.09	0.68	0.94	0.64	0.48	0.34	0.28	0.23	0.07
वि.व. 18	3.09	1.81	0.86	0.95	0.66	0.56	0.35	0.29	0.26	0.09
वि.व. 19	3.66	2.10	1.17	0.91	0.81	0.62	0.39	0.33	0.37	0.13
वि.व. 20	3.76	2.04	1.18	0.78	0.63	0.59	0.44	0.34	0.29	0.13

वि.व. 20 के दौरान भारत का अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार असंतुलन कुल व्यापार असंतुलन का 71 *प्रतिशत* {(-)8,08,098 करोड़} था। वि.व. 20 के दौरान शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों से आयात और निर्यात का विवरण **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार

	वि.व. 20	मूल्य:	₹ करोड़ में	
रैंक	देश	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
1	अमेरीका	3,76,166	2,53,363	1,22,803
2	चीन	1,17,673	4,61,525	-3,43,852
3	संयुक्त अरब अमीरात	2,04,238	2,14,447	-10,209
4	सऊदी अरब	44,267	1,90,245	-1,45,978
5	हॉगकॉग	77,752	1,19,999	-42,247
6	इराक	13,287	1,68,354	-1,55,067
7	सिंगापुर	63,027	1,04,394	-41,367
8	जर्मनी	58,723	96,928	-38,205
9	कोरिया आरपी	34,338	1,10,883	-76,545
10	इंडोनेशिया	29,299	1,06,727	-77,428
	शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों का कुल	***10,18,769***	***18,26,867***	***-8,08,098***
	भारत का कुल योग	**22,19,854**	**33,60,954**	**-11,41,100**
	शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों का % हिस्सा	*45.89*	*54.36*	*70.82*

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में से, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (वि.व. 20 में ₹1,22,803 करोड़) के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष चलाया, जबकि अपने अन्य सभी प्रमुख भागीदारों के साथ व्यापार घाटा चलाया, जिसमे से चीन के साथ सबसे अधिक व्यापार घाटा (वि.व. 20 में ₹3,43,852 करोड़) हुआ है।

वि.व. 19 और 20 के दौरान शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों से आयात इस अवधि के दौरान किए गए कुल आयात का लगभग आधा हिस्सा था (**तालिका 1.5**)। वि व. 19 के दौरान किए गए आयात की तुलना में वि.व. 20 के दौरान दस प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से छह में आयात में गिरावट आई थी। वि.व. 20 के दौरान चीन से आयात में (-)6.21 *प्रतिशत* की गिरावट आई थी। इसी अवधि के दौरान, दस में से तीन प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से आयात बढ़ा था।

तालिका 1.5: वि.व. 19 की तुलना में वि.व. 20 में शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों से आयात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि

क्र.सं.	देश	वि.व. 19 (₹ करोड़ में)	वि.व. 19 के कुल आयात का % हिस्सा	वि.व. 20 (₹ करोड़ में)	वि.व. 20 में कुल आयात का % हिस्सा	वि.व. 19 से 20 में वृद्धि %
1	चीन	4,92,079	13.69	4,61,525	13.73	-6.21
2	अमेरीका	2,48,554	6.91	2,53,363	7.54	1.93
3	युएई	2,08,551	5.80	2,14,447	6.38	2.83
4	सऊदी अरब	1,99,395	5.55	1,90,245	5.66	-4.59
5	इराक	1,56,601	4.36	1,68,354	5.01	7.51
6	हॉगकॉग	1,25,972	3.50	1,19,999	3.57	-4.74
7	कोरिया	1,17,255	3.26	1,10,883	3.30	-5.43
8	इंडोनेशिया	1,11,149	3.09	1,06,727	3.18	-3.98
9	सिंगापुर	1,13,919	3.17	1,04,394	3.11	-8.36
10	जर्मनी	1,06,131	2.95	96,928	2.88	-8.67
	उप योग	18,79,606		18,26,865		
	प्रतिशतता		52.29		54.36	
	कुल योग	**35,94,675**	**100.00**	**33,60,954**	**100.00**	**-6.50**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.8 वि.व. 20 के दौरान आयात और निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों का हिस्सा

1.8.1 वि.व. 20 में प्रमुख आयात पांच वस्तु समूहों द्वारा किया गया था, नामत:

(i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, सोना और वस्तुए (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण और पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 85)

(iv) मशीनरी और उपकरणों और पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) और

(v) जैविक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29)

पिछले 5 वर्षों (वि.व. 16 से वि.व. 20) के दौरान वि.व. 20 को छोड़कर आयातित इन शीर्ष पांच वस्तु समूहों के संबंध में हर वर्ष लगातार वृद्धि हुई। वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 20 के दौरान आयात में वृद्धि 4.24 *प्रतिशत* (अध्याय 71) से 72.23 *प्रतिशत* (अध्याय 27) की रेंज में थी **(तालिका 1.6)**।

तालिका 1.6: शीर्ष पांच आयातित वस्तु समूह

क्र. सं.	आयात वस्तु समूह	वि.व. 16 (₹ करोड़ में)	वि.व. 17 (₹ करोड़ में)	वि.व. 18 (₹ करोड़ में)	वि.व. 19 (₹ करोड़ में)	वि.व. 20 (₹ करोड़ में)	वि.व.16 की तुलना में वि.व. 20 (% वृद्धि)
1	अध्याय 27	6,32,022	6,91,912	8,52,697	11,74,715	10,88,559	72.23
2	अध्याय 71	3,69,481	3,60,262	4,81,705	4,51,505	3,85,140	4.24
3	अध्याय 85	2,35,587	2,58,697	3,11,103	3,64,152	3,48,091	47.75
4	अध्याय 84	2,15,429	2,15,230	2,43,816	3,06,368	3,07,067	42.54
5	अध्याय 29	1,01,986	1,03,798	1,23,761	1,56,552	1,40,205	37.47
	उप योग	15,54,505	16,29,899	20,13,082	24,53,292	22,69,062	
	शीर्ष पांच कमोडिटी समूहों का % हिस्सा	62	63	67	68	67	
	कुल योग	**24,90,306**	**25,77,675**	**30,01,033**	**35,94,675**	**33,60,954**	

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वि.व. 20 के दौरान आयातित शीर्ष पांच वस्तु समूहों का हिस्सा 67 *प्रतिशत* था जैसा कि नीचे **चार्ट 3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3: वि.व. 20 के दौरान आयातित शीर्ष पांच कमोडिटी समूह

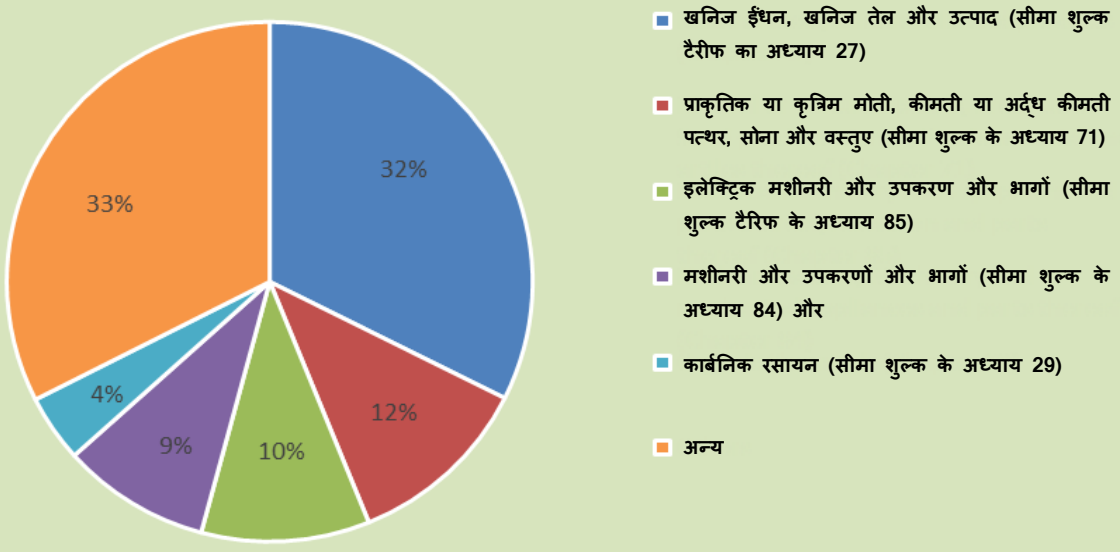

1.8.2 वि.व. 20 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तु समूह थे:

(i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, सोना और वस्तुए (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) परमाणु रिएक्टरों, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों और उसके कुछ भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84)

(iv) जैविक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29) और

(v) वाहन और उसके सहायक उपकरण व भाग अपने-अपने क्रम में (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 87)।

निर्यात किए गए सभी प्रमुख वस्तु समूहों ने वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान हर वर्ष लगातार वृद्धि का प्रदर्शन किया है वि.व. 20 को छोडकर, जब इन वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष **(तालिका 1.7)** की तुलना में कमी आई है।

तालिका 1.7: शीर्ष पांच निर्यात वस्तु समूह

क्र. सं.	निर्यात वस्तु समूह	वि.व. 16 (₹ करोड़ में)	वि.व. 17 (₹ करोड़ में)	वि.व. 18 (₹ करोड़ में)	वि.व. 19 (₹ करोड़ में)	वि.व. 20 (₹ करोड़ में)
1	अध्याय 27	2,03,885	2,17,477	2,47,904	3,35,474	3,02,367
2	अध्याय 71	2,59,183	2,92,314	2,69,116	2,82,794	2,55,441
3	अध्याय 84	88,511	94,517	1,15,187	1,46,652	1,47,661
4	अध्याय 29	75,295	78,386	95,381	1,27,567	1,23,867
5	अध्याय 87	94,040	1,00,238	1,11,229	1,26,533	1,18,403
	उप योग	**7,18,688**	**7,82,932**	**8,38,817**	**10,19,020**	**9,47,739**
	शीर्ष पांच वस्तु समूहों का % हिस्सा	42	42	43	44	44
	अन्य	9,95,470	10,66,502	11,17,698	12,88,706	12,72,115
	कुल निर्यात	**17,16,384**	**18,49,434**	**19,56,515**	**23,07,726**	**22,19,854**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 20 में वस्तुओं के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि क्रमानुसार अध्याय 84, 29, 27 और 87 के तहत थी, जिसमें अध्याय 71 के तहत वस्तुओं को छोड़कर, जिसने वि.व. 16 में किए गए निर्यात की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। **चार्ट 4** वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तु समूहों की वृद्धि का वर्णन करता है।

वि.व. 20 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों का हिस्सा 44 *प्रतिशत* था जैसा कि **चार्ट 4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4: वि.व. 20 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तु समूह

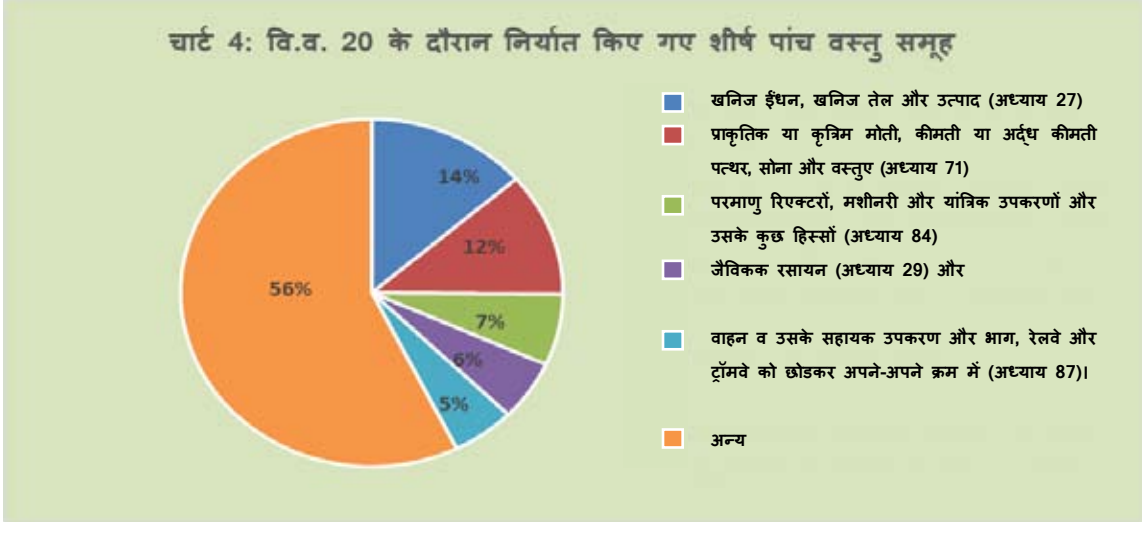

1.9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निष्पादन

1.9.1 सेज़ नियमों द्वारा समर्थित सेज़ अधिनियम, 2005, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और केंद्र व राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर सिंगल विंड़ो क्लीरेंस प्रदान करने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2006 को लागू हुआ था। सेज़ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन
- माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसरों का सृजन
- बुनियादी सुविधाओं का विकास

जबकि 421 सेज़ को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी, 1 अप्रैल 2020 तक केवल 354 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से केवल 248 सेज़ परिचालित थे **(अनुबंध 1)।**

1.9.2 वि.व. 16 से वि.व. 20 तक की अवधि के लिए सेज़ निष्पादन के तीन मानदंडों (i) निर्यात निष्पादन, (ii) निवेश और (iii) रोजगार नीचे **तालिका 1.8** में दिए गए हैं।

तालिका 1.8: सेज़ का निष्पादन

	वि.व. 16	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 20
निर्यात निष्पादन (₹ करोड़ में)	4,67,337	5,23,637 (12%)*	5,81,033 (11%)*	7,01,179 (21%)*	7,96,669 (14%)
निवेश (₹ करोड़ में)	3,76,494	4,33,142 (15%)	4,92,312 (14%)	5,07,644 (3%)	5,71,735 (13%)
रोजगार (व्यक्ति में)	15,91,381	17,78,851 (12%)	19,96,610 (12%)	20,61,055 (3%)	22,38,305 (8%)

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय *कोष्ठक में आंकड़े वर्ष दर वर्ष वृद्धि के संकेतक हैं

वि.व. 20 में सेज़ से ₹7.96 लाख करोड़ का निर्यात किया गया जिसमें वि.व. 16 में किए गए निर्यात की तुलना में 70 *प्रतिशत* (₹3,29,332 करोड़) की समग्र वृद्धि हुई थी। निर्यात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि पिछले वर्षों **(तालिका 1.8 और अनुबंध 1)** की तुलना में वि.व. 16 में एक *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 20 में 14 *प्रतिशत* हो गई थी। वि.व. 19 (21 *प्रतिशत*) की तुलना में वि.व. 20 में निर्यात वृद्धि घटकर 14 *प्रतिशत* हो गई।

1.9.3 वि.व. 20 के दौरान सेज़ में कुल ₹5.71 लाख करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 22.38 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वि.व. 16 में किए गए ₹3.77 लाख करोड़ के निवेश की तुलना में वि.व. 20 में संचयी निवेश में 52 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी अवधि के दौरान सृजित रोजगार में 41 *प्रतिशत* **(तालिका 1.8 और अनुबंध 1)** की वृद्धि दर्ज की गई थी।

1.10 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

1.10.1 संग्रहण की लागत सीमा शुल्कों के संग्रहण पर होने वाली लागत है और इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण और अन्य व्यय शामिल हैं।

1.10.2 वि.व. 20 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों[4] के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 4.24 *प्रतिशत* थी। वि.व. 16 से वि.व. 20 तक की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रह की लागत **तालिका 1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9: वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान संग्रहण की लागत

वर्ष	राजस्व सह आयात/निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा लेखा में अंतरण और अन्य व्यय	कुल व्यय	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
वि.व. 16	412	2,351	36	2,799	2,10,338	1.33
वि.व. 17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47
वि.व. 18	640	3,262	39	3,941	1,29,030	3.05
वि.व. 19	743	3,667	9	4,419	1,17,813	3.75
वि.व. 20	753	3,871	0	4,634	1,09,283	4.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए केंद्र सरकार के वित्त लेखा

[4] नोट- इसमें डीजीएफटी के माध्यम से एफटीपी तैयार करने, लागू करने और उसकी मानिटरिंग में किया गया व्यय शामिल नहीं है, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

1.10.3 सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.33 *प्रतिशत* (वि.व. 16) से 3.75 *प्रतिशत* (वि.व. 19) के बीच थी। संग्रहण की लागत वि.व. 19 (3.75 *प्रतिशत*) की तुलना में वि.व. 20 में बढ़कर 4.24 *प्रतिशत* हो गई। जीएसटी के लागू करने पर, आयात और निर्यात पर आईजीएसटी सीमा शुल्क विभाग द्वारा उदग्रहित और एकत्रित किया जाता है लेकिन आईजीएसटी प्राप्तियां जीएसटी लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं।

1.11 सीमा शुल्क का बकाया

1.11.1 बकाया की वसूली क्षेत्राधिकारिक आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी होती है। उन्हें आयुक्तालयों के अंतर्गत कार्यरत रिकवरी सेल के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 15 दिसम्बर 1997 के परिपत्र के अनुसार, सरकारी बकाया की वसूली करने के लिए प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में एक "रिकवरी सेल (आरसी)" बनाया जाना चाहिए। हर आयुक्तालय के लिए हर वर्ष वसूली लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है।

1.11.2 सीमा शुल्क का बकाया ऐसे शुल्क हैं जिनकी विभाग द्वारा मांग की गई है लेकिन अधिनिर्णयन, विवादित दावों और अनंतिम निर्धारण के लम्बन जैसे विभिन्न कारणों से वसूली नहीं की गई है। 31 मार्च 2020 तक सीमा शुल्क बकाया ₹45,052 करोड़ था। वि.व. 16 से वि.व. 20 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: सीमा शुल्क का बकाया

वर्ष	विवादित सीमा शुल्क का बकाया ₹ करोड़ में	विवाद रहित सीमा शुल्क का बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया के प्रति विवादित बकाया की प्रतिशतता	कुल बकाया के प्रति विवाद रहित बकाया की प्रतिशतता
वि.व. 16	12,300	12,322	24,622	49.95	50.04
वि.व. 17	21,780	4,700	26,480	82.25	17.75
वि.व. 18	18,836	5,849	24,685	76.31	23.69
वि.व. 19	27,972	7,855	35,827	78.08	21.92
वि.व. 20	36,951	8,101	45,052	82.02	17.98

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, वस्तु और सेवाकर पत्र दिनांक 10 फरवरी 2021

1.11.3 वि.व. 18 को छोड़कर वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान सीमा शुल्क का बकाया लगातार बढ़ा है। मार्च 2020 (₹45,052 करोड़) को लंबित सीमा शुल्क राजस्व के कुल बकायों में मार्च 2019 (₹35,827 करोड़) को लम्बित बकायों की तुलना में 25.75 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। वि.व. 16 (₹24,622) की तुलना में वि.व. 20 (₹45,052 करोड़) में सीमा शुल्क के समग्र बकायों में 83 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है।

1.11.4 कुल बकाया राशि के प्रति अनुपात में विवादित बकाया राशि वि.व. 16 में 50 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 20 में 82 *प्रतिशत* हुई और जो ₹36,951 करोड़ हैं। तदनुरूप, विवाद रहित बकायों के *प्रतिशत* में कुल बकायों से वि. व. 16 में 50 *प्रतिशत* से वि.व 20 में 18 *प्रतिशत* तक गिरावट आई।

1.11.5 वि. व. 16 से वि. व. 20 के दौरान सीमा शुल्क बकायों की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 के दौरान सीमा शुल्क बकाया राशि की वसूली का लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया गया

वर्ष	बकाया लक्ष्य (₹ करोड़ में)	लक्ष्य प्राप्ति (₹ करोड़ में)	लक्ष्य की कमी (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति (₹ करोड़ में)	कमी का प्रतिशत	अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
वि.व.16	2,500	825	(-)1,675	-	(-)66.99	-
वि.व.17	1,000	1,284	-	284	-	28.44
वि.व.18	1,000	1,092	-	92	-	9.25
वि.व.19	4,315	2,159	(-)2,156	-	(-)49.97	-
वि.व.20	4,044	1,952	(-)2,092	-	(-)51.73	-

स्रोत: डीजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट (टीएआर), सीमा शुल्क, वस्तु और सेवा कर पत्र दिनांक 10 फरवरी 2021
नोट: कुल/उप-कुल को पूर्णांकित करने के कारण थोड़ा कम या अधिक हो सकता है।

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, वि.व. 16 से वि.व. 20 की अवधि के दौरान बकाया वसूली के लक्ष्य में उतार-चढ़ाव हुआ। इसके अलावा सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा था। वि.व. 20 में लक्ष्य प्राप्ति में कमी (-)51.73 *प्रतिशत* थी। वि.व. 18 और वि.व. 17 को छोड़कर जब उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक थी,

पिछले दो वर्षों (वि.व. 19 और वि.व. 20) के बाद से सीमा शुल्क बकाया वसूलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार कमी थी।

1.11.6 वि.व. 20 के दौरान कुल 20 जोन (11 सीमा शुल्क आयुक्तालयों और 9 संयुक्त आयुक्तालयों (सीमा शुल्क और जीएसटी) में से 10 जोनों में लम्बित बकाया कुल बकायों (₹45,052 करोड़) का 85.68 *प्रतिशत* (₹38,600 करोड़) बनता था, जैसा कि नीचे **तालिका 1.12** में दिखाया गया है।

तालिका 1.12: 31 मार्च 2020 तक सीमा शुल्क राजस्व का जोन वार बकाया

क्र. सं.	मुख्य आयुक्त जोन	विवाद के तहत राशि	राशि विवाद रहित	31.03.2020 को लंबित राशि
		₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
1	मुंबई - II सीमा शुल्क	11,371	663	12,034
2	अहमदाबाद सीमा शुल्क	4,614	741	5,355
3	बेंगलुरू सीमा शुल्क	4,484	155	4,639
4	दिल्ली सीमा शुल्क	2,473	1,803	4,276
5	मुंबई - III सीमा शुल्क	2,266	267	2,533
6	चेन्नई सीमा शुल्क	1,825	464	2,289
7	भोपाल सीई एवं जीएसटी	1,143	1,021	2,164
8	मुंबई - I सीमा शुल्क	1,629	301	1,930
9	भुवनेश्वर सीई एवं जीएसटी	1,907	1	1,908
10	कोलकाता सीमा शुल्क	1,145	329	1,474
	उप कुल	**32,857**	**5,743**	**38,600**
11	**अन्य**	**4,094**	**2,357**	**6,451**
	कुल योग	**36,951**	**8,101**	**45,052**

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, वस्तु और सेवाकर पत्र दिनांक 10 फरवरी 2021

1.11.7 वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 तक सीमा शुल्क राजस्व का आयुवार बकाया **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: वि.व. 16 से वि.व. 20 तक सीमा शुल्क राजस्व का आयुवार बकाया

वर्ष	विवाद के अंतर्गत राशि (₹ करोड़ में)				राशि विवाद के अंतर्गत नहीं (₹ करोड़ में)				महायोग (कॉलम 5+9)
	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वि.व.16	8,681	2,494	1,125	**12,300**	5,162	4,714	2,446	**12,322**	**24,622**
वि.व.17	17,919	2,716	1,145	**21,780**	2,538	1,245	917	**4,700**	**26,480**
वि.व.18	15,554	2,279	1,005	**18,836**	3,931	980	938	**5,849**	**24,685**
वि.व.19	24,670	2,373	929	**27,972**	5,361	831	1,663	**7,855**	**35,827**
वि.व.20	29,226	6,128	1,597	**36,951**	6,243	864	994	**8,101**	**4,5052**

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद और सेवा शुल्क

वि.व. 20 विवाद रहित बकाया राशि के वर्षवार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹8,101 करोड़ में से ₹1,858 करोड़ (23 *प्रतिशत*) की पांच साल से अधिक समय तक वसूली नहीं की गई थी। जिसमें से ₹994 करोड़ की राशि दस वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित थी।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.12.1 सीबीआईसी और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा में महानिदेशक लेखापरीक्षा {डीजी (लेखापरीक्षा)} द्वारा की गई तकनीकी लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) द्वारा किए गए भुगतान और लेखाओं की लेखापरीक्षा शामिल है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक (लेखापरीक्षा) होते है उनके अधीन अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में सात जोनल इकाइयां आती हैं जिसमें प्रत्येक का अध्यक्ष अतिरिक्त महानिदेशक हैं। डीजीए की हर जोनल इकाई का उनके अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्तालय की जोनल इकाइयों पर क्षेत्रवार क्षेत्राधिकार का नियंत्रण होता है।

1.12.2 वि.व. 20 के लिए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा नियोजित और संचालित तकनीकी आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्यौरा सीबीआईसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.12.3 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक सीबीआईसी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं के भुगतान और लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है।

2019-20 के दौरान प्र. सीसीए द्वारा की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सीबीआईसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक ₹18,067 करोड़[5] की 119 अभ्युक्तियां लंबित थीं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल थीं:

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार के निकायों/प्राइवेट पार्टियों/स्वायत्त निकायों से वसूल नहीं किए गए देय; ₹7,605 करोड़;

ख) सरकारी धन का अवरोधन: ₹5,281 करोड़;

ग) अन्य अनियमितताएं: ₹5,181 करोड़।

31 मार्च 2020 तक लंबित आंतरिक टिप्पणियों में शामिल राशि (₹18,067 करोड़ रुपये) ने 31 मार्च 2019 (₹9,040 करोड़) तक लंबित मामलों को लेकर बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई थी।

1.13 कर अपवंचन और जब्ती

1.13.1 राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व. 16 में 631 से बढ़कर वि.व. 20 में 761 हो गई जबकि उसी अवधि के दौरान मूल्य ₹2,926 करोड़ से घटकर ₹2,183 करोड़ हो गया **(अनुबंध 2)**। तथापि, वि.व. 20 के दौरान पता लगाए गए मामलों में की गई वसूली का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.13.2 डीआरआई, नई दिल्ली के अनुसार, वि.व. 20 के दौरान निर्दिष्ट मुख्य वस्तुओं के मूल्य द्वारा जब्तियों के प्रोफाइल के अनुसार शामिल मुख्य वस्तुएं मादक पदार्थ, सोना, विदेशी मुद्रा, वाहन/पोत्त और इलेक्ट्रॉनिक मदें (कंप्यूटर पार्ट्स सहित) शामिल हैं।

[5] प्र. सीसीए सं. आईए/एनजेड/मुख्यालय/सीएजी/सूचना/2020-21/491 दिनांक 25 फरवरी 2021

अध्याय II

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखापरीक्षा की सीमा

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

2.1.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के डीपीसी अधिनियम, 1971, की धारा 16, सी.ए.जी. को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा और स्वयं को संतुष्ट करने कि राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और उचित संवितरण पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के नियम और क्रियाविधियां बनाई गई है और इनका यथावत पालन किया जा रहा है, के लिए अधिकृत करता है। लेखा एवं लेखापरीक्षा पर विनियमों, 2007[6] में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है।

2.1.2 सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में उन संव्यवहारों को शामिल किया जाता है जिसमें सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण, सीमा शुल्क के कोई अन्य उदग्रहण, एफटीपी के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए आयात और निर्यात के संव्यवहार और समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए विशेष अनुपालन क्षेत्र शामिल है। इस प्रतिवेदन में शामिल संव्यवहार वित्तीय वर्ष (वि.व.) 20 से संबंधित है, परंतु कुछ मामलों में समग्र स्थिति प्राप्त करने के लिए पूर्व अवधि के संव्यवहारों की भी समीक्षा की गई है।

2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.1 सी.ए.जी. सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय संगठनों के आयातों, निर्यातों, प्रतिदायों से संबंधित संव्यवहार अभिलेखों के नमूनों सहित केन्द्रीय अप्रत्यक्ष

[6] लेखा परीक्षा और लेखा, के विनियमों 2007 में अगस्त 2020 से संशोधन किया गया है।

कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विभिन्न कार्यात्मक विंग के लेखापरीक्षा टीम (समग्र पैन-इंडिया डेटा के अभाव में) द्वारा जोखिम आधारित नमूनों से चयनित अभिलेखों की जांच करता है। सी.ए.जी. विभागीय कार्यों जैसे बकायों के अधिनिर्णयन एवं वसूली तथा निवारक कार्यों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच करता है।

2.2.2 इसके अलावा, एफटीपी के अंतर्गत आयातकों/निर्यातकों द्वारा लिए गए सीमा शुल्क छूट लाभ के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अधीन महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के अभिलेखों की भी जांच की गई है। इसी प्रकार सी.ए.जी. सरकारी स्वामित्व की सेज़[7] के लेखाओं के प्रमाणीकरण सहित विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज़), निर्यातोन्मुख ईकाई (ईओयू) और साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) के विकास आयुक्त (डीसी) की लेखापरीक्षा करता है।

2.3 लेखापरीक्षा संसृति

2.3.1 सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा संसृति में सीबीआईसी, इसके सीमा शुल्क क्षेत्रीय संगठन और पत्तन (इलेक्ट्रानिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) और गैर-ईडीआई दोनों) तथा बिल्स् ऑफ एंट्री (बीई) व शिपिंग बिल्स (एसबी) के अधीन निष्पादित संव्यवहार शामिल हैं।

2.3.2 सीमा शुल्क के क्षेत्रीय संरचनाओं को मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता वाले 20 जोनों, 11 सीमा शुल्क जोन और 09 संयुक्त {सीमा शुल्क एवं वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)} जोन वाले 70 प्रधान आयुक्त/आयुक्त में बांटा गया है। 1 अप्रैल 2020 तक, 44 सीमा शुल्क कार्यकारी आयुक्तालय, 13 सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, नौ सीमा शुल्क अपील आयुक्तालय तथा चार सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय थे।

2.3.3 निर्यात संवर्धन योजनाओं की लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा संसृति में डीजीएफटी इसके आरए और सेज़/ईओयू/एसटीपी के डीसी शामिल हैं।

[7] सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एसईईपीज़ेड़), कांडला सेज, मद्रास सेज, कोचीन सेज, विशाखापट्टनम सेज, नोएडा सेज और फाल्टा सेज

डीजीएफटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है और इसकी अध्यक्षता महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा की जाती है। डीजीएफटी भारत के निर्यात संवर्धन के मुख्य उद्देश्य से एफटीपी बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप/ प्राधिकार जारी करता है तथा 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके तदनुरूपी दायित्वों की निगरानी करता है।

2.3.4 सेज़ और ईओयू के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं की लेखापरीक्षा सेज़/ईओयू के संबंधित डीसी के कार्यालय में की जाती है।

2.4 लेखापरीक्षिती के डेटा तक पहुँच

लेखापरीक्षा में यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु सीमा शुल्क संव्यवहार डेटा पर विश्वास किया जाता है कि राजस्व की हानि को रोकने के लिए कानूनों को उचित रूप से लागू किया गया है। पैन इंडिया के डेटा तक पूर्ण पहुँच की कमी प्रत्येक सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं पर चयनित संव्यवहारों की नमूना जांच हेतु लेखापरीक्षा संवीक्षा को सीमित करती है और राजस्व प्राप्तियों के प्रमाणीकरण में आश्वासन को सीमित करती है।

मार्च 2015 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा वि.व. 18 से वि. व. 20 की अवधि के लिए मांगा गया (जून 2019/जुलाई/ सितम्बर 2020) पैन इंडिया आयात और निर्यात संव्यवहारों का डेटा बार-बार अनुरोध के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ। पैन इंडिया ट्रांजेक्शनल डेटा के अभाव में, 70 आयुक्तालयों में से 41 आयुक्तालयों का प्रत्यक्ष रूप से दौरा करके और भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) के सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीआरए) मॉड्यूल और आयात सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (आईसीआरए) माड्यूल के इंटरफेस जिसकी अपनी सीमाएं थीं, के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई।

विभाग द्वारा सीआरए मॉड्यूल और आईसीआरए मॉड्यूल में प्रदान किए गए सीमित अभिगमों के माध्यम से नमूना जांच में निष्कर्षों के आधार पर जहां तक संभव हो सका, लेखापरीक्षा द्वारा जोखिम वाले संव्यवहारों की कुल संख्या निर्धारित की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह हैं जो वि.व. 20 की अवधि और कुछ मामले पिछले वर्ष के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए थे।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना

वि.व. 20 के दौरान संव्यवहारों की नमूना जांच 70 आयुक्तालयों में से 41 में (59 *प्रतिशत*) की गई थी। सीमा शुल्क आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा में 44 कार्यकारी आयुक्तालयों में से 29, 13 निवारक आयुक्तालयों में से 11 तथा नौ अपील आयुक्तालयों में से एक शामिल थे। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी द्वारा प्रदान की गयी एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इसके आरए के माध्यम से 24[8] आरए में से 21 में लाइसेंसों/प्राधिकारों की लेखापरीक्षा की गई थी।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा संसृति तथा नमूना

मंत्रालय	लेखापरीक्षा ईकाई	लेखापरीक्षा संसृति	लेखापरीक्षा नमूना
राजस्व विभाग **(वित्त मंत्रालय)**	**लेखापरीक्षा ईकाई**	**कुल**	
	मुख्य आयुक्तालय सीमा शुल्क एवं निवारक	11[9]	8 (73 %)
	प्रधान आयुक्तालय/आयुक्तालय	70	41(59 %)
	कार्यकारी आयुक्तालय	44	29 (66%)
	विशेष निवारक आयुक्तालय	13	11 (85%)
	अपील आयुक्तालय	9	1 (11%)
	लेखापरीक्षा आयुक्तालय	4	0
वाणिज्य विभाग **(वाणिज्य मंत्रालय)**	क्षेत्रीय प्राधिकरण	24	21 (88%)
	विकास आयुक्त	8[10]	8 (100%)

[8] वि.व. 20 के दौरान, अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत में 38 आरए थे, नवंबर 2019 में 14 आरए का विलय किया गया था और तदनुसार, मार्च 2020 तक 24 आरए अस्तित्व में रहे।

[9] सीमा शुल्क क्षेत्र-11 (अहमदाबाद सी.शु, बंगलुरू सी.शु., चेन्नई क्यू., त्रिची प्रीव., दिल्ली सी.शु, दिल्ली प्रीव., कोलकाता सी.शु, पटना प्रीव., मुंबई-1, मुंबई-II, मुंबई-III)।

[10] सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (सेपेज), कांडला सेज, मद्रास सेज, कोचीन सेज, विशाखापट्टनम सेज, नोएडा सेज, फाल्टा सेज और सेज-इंदौर

2.6 लेखापरीक्षा प्रयास

2.6.1 वि.व. 20 के दौरान संबंधित आयुक्तालयों/आरए/डीसी को 299 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गयी थी जिसमें 2,299 अभ्युक्तियां थी और उनका कुल राजस्व प्रभाव ₹2,186 करोड़ था।

2.6.2 लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य वाले मामले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणी के लिए मंत्रालय (एमओएफ/एमओसीआई) को जारी किए गए थे। इस प्रतिवेदन में वि.व. 20 के दौरान पाए गए ₹143 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 137 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के दौरान मंत्रालय को लेखापरीक्षा अभियुक्तियां जारी की गई थीं।

2.6.3 मंत्रालयों ने जारी किए गए 137 मामलों में से 74 मामलों में उत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त, 57 मामलों में, स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों/ आरए से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं। मंत्रालयों/विभागों ने 130 पैराग्राफ स्वीकार किए हैं और एससीएनएस जारी करने, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में सुधारात्मक कार्रवाई की जिसमें ₹127.38 करोड़ के धन मूल्य शामिल है और सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 93 मामलों में ₹39.68 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

2.6.4 अध्याय III में, लेखापरीक्षा ने चयनित आयुक्तालयों में बीई और अन्य अभिलेखों की जांच के दौरान ₹122.37 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ महत्वपूर्ण परिणामों की सूचना प्रदान की। लेखापरीक्षा परिणाम आम तौर पर "आयातों के गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.11)", "अधिसूचनाओं का गलत उपयोग (पैराग्राफ 3.8.1 से 3.8.8)" और "अन्य अनियमितताओं (पैराग्राफ 3.9) से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा के परिणामों में कुछ प्रणालीगत मुद्दों और अनवरत् अनियमितताओं को भी इंगित किया गया।

(क) प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा में कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मुद्दों को देखा गया जिसमें आरएमएस ने मंजूरी की अनुमति दी जबकि निर्धारित आयात शर्तों

को पूरा नहीं किया गया था। आरएमएस को ऐसे मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन किया जा सके और एक बार बीई के प्रणाली से गुजरते ही लागू शुल्क को स्वत: प्रभारित किया जा सके।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है और प्रतिवेदन के अध्याय III में भी इन पर चर्चा की गई है।

(i) अधिसूचना के गलत लागू करने के कारण आई फोन (स्मार्ट फोन) आयात पर बीसीडी का कम उदग्रहण (पैराग्राफ 3.8.5)।

(ii) 'लिथियम आयन सेल' के आयात पर आईजीएसटी दर का गलत लागू होना (पैराग्राफ 3.8.4)।

(ख) अनवरत् अनियमितताएं

सेज़ में इकाईयों से लागत वसूली (स्थापना) प्रभारों की वसूली न होने और पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को भेजे गए आयातों के गलत वर्गीकरण के ऐसे ही मामलों को सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं में पाया जाना, सीबीआईसी के आश्वासनों कि उन्होने अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को इसी तरह के मुद्दों को सावधानी से जाँच करने के लिए संवेदनशील बनाया है, के बावजूद जारी रहा है। कुछ मामलों का नीचे उल्लेख किया गया हैं:

(i) ट्रांसमिशन नेटवर्क इंटरफेस उपकरणों का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.7.3 और 3.7.4)।

(ii) ऑटोमोबाइल पुर्जों/शॉक अब्जॉर्बर/गियर बॉक्स/गियर शिफ्ट असेंबली का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.7.7)।

(iii) अप्राप्त निर्यात आय के मामलों में प्रतिअदायगी की वसूली न करना (पैराग्राफ 4.2.5)।

(iv) डेवलपर्स से लागत वसूली प्रभारों का अनुद्ग्रहीत करना (पैराग्राफ 4.2.6)।

2.6.5 अध्याय IV में, लेखापरीक्षा ने ₹21 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ अनियमितताओं, विशेष रूप से एफटीपी के अनुसार निर्यातकों/आयातकों

द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा न करने और अन्य शर्तों को पूरा न करने के मुद्दे की सूचना दी।

2.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 तक के पांच प्रतिवेदनों में, लेखापरीक्षा में ₹16,995 करोड़ की राशि वाले 545 लेखापरीक्षा पैराग्राफ **(तालिका 2.2)** शामिल किए गए हैं। सरकार ने ₹990 करोड़ की राशि वाले 507 लेखापरीक्षा पैराग्राफ में अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है और अक्टूबर, 2021 तक 352 पैराग्राफों में ₹164 करोड़ की वसूली की है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकार किए गए पैराग्राफ		प्रभावित वसूली	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वि.व. 16	103	1,063	97	491	57	15
वि.व. 17	99	85	91	78	63	37
वि.व. 18	92	4,795	85	225	56	31
वि.व. 19	114	10,909	104	69	83	41
वि.व. 20	137	143	130	127	93	40
कुल	**545**	**16,995**	**507**	**990**	**352**	**164**

स्रोत: पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और एटीएन

अध्याय III

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

3.1 भारत में पोत/विमान में आयातित माल पर सीमा शुल्क लागू होता है और जब तक कि ये आगमन बदरगंाह / हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क निकासी के लिए नहीं होते हैं और इन्हे किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर पारगमन करना होता है, आयातकों को उतारे गए माल की विस्तृत सीमा शुल्क निकासी औपचारिकताओं का पालन करना होगा। आयातक को कार्गो, आयातित टैरिफ वर्गीकरण और लागू शुल्क, और अन्य आवश्यक जानकारी का विवरण देने के लिए एक प्रविष्टि बिल (बीई) दर्ज करना आवश्यक है। स्व-निर्धारण के अंतर्गत, बीई को आईसगेट[11] के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली जिसे आईसीईएस[12] के रूप में जाना जाता है, में दर्ज किया जा सकता है। गैर-ईडीआई प्रणाली में, बीई को आयातक द्वारा दस्तावेजों के एक निर्धारित सेट के साथ मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है।

3.2 सीमा शुल्क प्राधिकरणों का निर्धारण कार्य विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दावा की गई किसी भी छूट या लाभों पर उचित ध्यान देते हुए शुल्क देयता का निर्धारण करना है। उन्हें यह भी जांचना होगा कि

---

[11]आइसगेट का अर्थ है भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे। आईसगेट एक वेब आधारित पोर्टल है जिसके माध्यम से विभाग बीई (आयात वस्तुओं की घोषणा), शिपिंग बिल (निर्यात वस्तुओं की घोषणा), ई-भुगतान, ऑन-लाइन पंजीकरण की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और अन्य डेटा सहित कई सेवाएं प्रदान करता है और सीमा शुल्क व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों/जानकारी के लिए एक लिंक है।

[12] भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के दो पहलू हैं: (i) एक व्यापक, कागज रहित पूरी तरह से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली (ii) आईसगेट के माध्यम से आयात और निर्यात कार्गो की सीमा शुल्क निकासी से संबंधित व्यापार, परिवहन, बैंको और नियामक एजेंसियों के साथ ऑनलाइन, रियल टाईम इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस।

क्या आयातित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध है और क्या उन्हें किसी अनुमति/लाइसेंस/परमिट आदि की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। शुल्क के निर्धारण में अनिवार्य रूप से सीमा शुल्क टैरिफ के साथ-साथ आयातित वस्तुओं का उचित वर्गीकरण, व्याख्याओं, अध्याय और खंड नोट आदि के नियमों का ध्यान रखना और शुल्क देयता का निर्धारण करना शामिल है। इसमें मूल्य का सही निर्धारण भी शामिल है; जहां माल का मूल्य वर्धित आधार पर मूल्यांकन निर्धारणीय है।

3.3 कस्टम हाऊस सर्विस सेंटर या वेब आधारित आईसगेट के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए गए प्रविष्टि बिल (बीई) आईसीईएस द्वारा आरएमएस[13] को प्रेषित किए जाते हैं। आरएमएस स्वचालित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से डेटा को संसाधित करता है और परिणाम इलेक्ट्रॉनिक निर्धारण के रूप में प्राप्त होता है। यह निर्धारण यह निर्धारित करता है कि क्या बीई पर कार्रवाई की जाएगी अर्थात निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्त्य रूप से मूल्यांकन या माल की जांच, या दोनों, या शुल्क के भुगतान के बाद और सीधे शुल्क प्रभारित, बिना किसी निर्धारण और जांच के मंजूरी दे दी जाएगी। जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, जांच अधिकारी या प्रभारी अधिकारी के लिए निर्देश प्रदान करेगा। इसके अलावा, स्थानीय जोखिम प्रबधन (एलएमआर) समिति, आयातों के प्रतिबंध के लिए स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त हस्तक्षेप करने का निर्णय कर सकती है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आरएमएस आधारित आईसीईएस और/या निर्धारण के माध्यम से आयातों की निकासी की प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छूट प्रदान किए जाने से पहले लागू अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों को पूर्णत: पूरा किया गया है।

[13] जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक आईटी संचालित प्रणाली है, जिसके प्राथमिक उद्देश्य सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन बनाना और सीमा शुल्क मंजूरी में स्व:-अनुपालन की प्रवृति को बढ़ावा देना है। यह व्यापार लेनदेन से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों की पहचान करने के लिए स्वचालित समाधान का उपयोग करता है और प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से मानदंड लागू करता है और जोखिम और उपलब्ध संसाधनों के स्तर के अनुसार सीमा शुल्क हस्तक्षेप के स्तर को निर्धारित करता है।

3.4 सीमा शुल्क डेटा का सीमित अभिगम

आईसगेट की पूर्णत: स्वचालित प्रक्रियाओं ने व्यापक और कागजरहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुगम बनाया है। विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में सृजित अखिल भारतीय संव्यवहार डेटा सीबीआईसी के अंतर्गत प्रणाली निदेशालय (डीजी/प्रणाली) में बनाए गए एक केंद्रीकृत डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 19, 20 और 21 के लिए आयात और निर्यात संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अखिल भारतीय डेटा (जून 2019) बार-बार अनुरोध के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ। अखिल भारतीय संव्यवहारिक डेटा के अभाव में आईसीईएस के सीआरए और आईसीआरए मॉड्यूल इंटरफेस के माध्यम से लेखापरीक्षा कराई गई, जिसकी अपनी सीमाएं थीं। सीआरए और आईसीआरए मॉड्यूल में सीमाओं के विषय में सीबीआईसी को बताया गया था। तद्नुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा पर इस अध्याय में निष्कर्ष 41 आयुक्तालयों के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा सीमित लेखापरीक्षा पर आधारित थे।

3.5 लेखापरीक्षा नमूना

वित्त वर्ष 20 के दौरान, कुल 1.21 करोड़ बीई और 1.37 करोड़ एसबी तैयार किए गए थे, जिनमें से स्थानीय जोखिमों के आधार पर क्षेत्राधिकार लेखापरीक्षा कार्यालयों ने प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा के लिए 4.11 लाख बीई (3.39 *प्रतिशत*) और 8.12 लाख एसबी (5.93 *प्रतिशत*) के नमूने का चयन किया। नमूनों का चयन अखिल भारतीय डेटा के अभाव में स्थानीय लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत क्षेत्रीय संरचनाओं के स्तर पर किया गया था, जो उपेष्ट्तम है। सीमा शुल्क आयुक्तालयों में दस्तावेजों की जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक राजस्व निहितार्थ वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (102 मामले) को इस अध्याय में शामिल किया गया हैं। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित आयुक्तालयों को मामूली अभ्युक्तियां जारी की गई थीं।

3.6 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अननुपालन के मामलों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. आयात का गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 3.7.1 से 3.7.11)।

II. अधिसूचनाओं को गलत उपयोग (पैराग्राफ 3.8.1 से 3.8.8)।

III. अन्य अनियमितताएं (पैराग्राफ 3.9)।

3.7 आयातों का गलत वर्गीकरण

आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत शासित किया जाता है। लागू शुल्क का उद्ग्रहण आयातित वस्तु पर लागू वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में 8,631 बीई (67 मामलों) में गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण देखा गया। इस अध्याय में ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ वाले गलत वर्गीकरण के इन 67 मामलों, जिसका कुल राजस्व निहितार्थ ₹107 करोड़ है, को शामिल किया गया है। ₹10 लाख से कम धन मूल्य वाले आयातों के गलत वर्गीकरण के व्यक्तिगत मामलों की सूचना स्थानीय आयुक्तालयों को क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से दी गई है।

16 आयुक्तालयों में देखे गलत वर्गीकरण के 67 मामलों में से ₹98 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ से जुड़े 26 मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है और ₹9 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ से जुड़े शेष मामलों को **अनुबंध 3** में सूचीबद्ध किया गया है। विभाग ने ₹103 करोड़ के राजस्व निहितार्थ से जुड़े 67 मामलों को स्वीकार किया था और 51 मामलों में ₹23 करोड़ की वसूली की सूचना दी थी।

3.7.1 मोबाइल फोन के लिए बैटरी कवर सजावटी पार्ट/बैक कवर को मोबाइल फोन हिस्सों के अलावा अन्य सामान के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

मोबाइल फोन के लिए बैटरी कवर सजावटी पार्ट/बैक कवर सीटीएच 39209999 के तहत वर्गीकरणीय है और इस पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 106)।

सीमा शुल्क आयुक्तालय-आयात एनसीएच नई दिल्ली, के माध्यम से अगस्त से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान ₹8,113 करोड़ मूल्य के 11,157 बीई को सीटीएच 85177090 के अंतर्गत किए गए आयात के लिए लेखापरीक्षा ने आयुक्तालय में सभी बीई को "मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए बैटरी कवर सजावटी पार्ट/बैक कवर" के आयात के लिए फ़िल्टर किया और 2,202 बीई में ₹685 करोड़ मूल्य के आयात में ₹71.05 करोड़ का कम शुल्क उद्ग्रहण देखा।

मेसर्स ए और मेसर्स बी प्राइवेट लिमिटेड (अगस्त से नवंबर 2019) "मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए बैटरी कवर सजावटी पार्ट/बैक कवर" 2,202 बीई के तहत ₹685 करोड़ का आयात किया। आयातकों ने सीटीएच-85177090 के तहत आयातित माल को "सेलुलर मोबाइल फोन के हिस्सों के अलावा अन्य सभी सामान" के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया और इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था। माल की निकासी शून्य/10 *प्रतिशत* की दर पर बीसीडी और 12 *प्रतिशत* की दर पर आइजीएसटी प्रभारित करके की गई थी। (28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017 एकीकृत कर (दर) की अनुसूची II की क्रम संख्या 203)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि:

i. सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 57/2017 दिनांक 30 जून 2017 की क्रम संख्या 10 के संदर्भ में, माल 'बैटरी कवर' (जो सेल्युलर मोबाइल फोन का हिस्सा/उप-भाग या सहायक उपकरण है) को सीटीएच 39209999 के तहत कवर किया जाता है।
ii. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना एफ संख्या 33 (5) /2017-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 1 अगस्त 2018 के संदर्भ में, 'बैक/फ्रंट कवर/कैमरा लेंस/मेन लेंस आदि' मद को सीटीएच 39209999 के तहत मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए यांत्रिकी भागों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तदनुसार, सीटीएच 39209999 के तहत आयातित वस्तुओं के मेरिट वर्गीकरण पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उद्ग्रहणीय है (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्रम संख्या 106)। इस प्रकार, माल के

गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹71.05 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ जिसकी वसूली करने की आवश्यकता थी।

इस विषय में बताये जाने पर (दिसंबर 2019), प्रधान आयुक्त (एसीसी-आयात), एनसीएच-नई दिल्ली ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, दोनों आयातकों (मेसर्स ए लिमिटेड ₹143.98 करोड़, मेसर्स बी प्राइवेट लिमिटेड-₹86.60 करोड़) को मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया (सितंबर/दिसंबर 2020), जिसमें अन्य अपात्र हिस्सों का आयात भी शामिल था (जैसे मुख्य लेंस/कैमरा आदि)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2021)।

3.7.2 यांत्रिक रूप से असंचालित ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों को कंटेनरों/लोहे या स्टील की अन्य कास्ट मदों के रूप में गलत वर्गीकरण

भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार, यांत्रिक रूप से असंचालित ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलर सीटीएच 8716 के तहत वर्गीकरणीय है और 26 जुलाई 2018 तक 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अधिसूचना 1/2017 - एकीकृत कर (दर), अनुसूची III, क्रम संख्या 175 दिनांक 28 जून 2017, यथा संशोधित}

"एयरक्राफ्ट इंजन स्टैंड" के आयात के लिए 664 बीई के तहत एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से जुलाई 2017 से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान सीटीएच 73102910/73102990/ 73259920 के तहत ₹77.54 करोड़ मूल्य का आयात किया गया था। लेखापरीक्षा में ₹26.47 करोड़ मूल्य के आयात वाले 104 बीई में ₹3.22 करोड़ की शुल्क राशि के परिणामी कम उदग्रहण के गलत वर्गीकरण को पाया गया।

मेसर्स सी लिमिटेड, मेसर्स डी लिमिटेड और मेसर्स ई लिमिटेड ने एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से ₹26.47 करोड़ के संयुक्त निर्धारणीय मूल्य (निर्धारण मूल्य) पर "एयरक्राफ्ट इंजन स्टैंड्स" के 104 परेषणों का आयात किया (जुलाई 2017 से मई 2018)। माल को सीटीएच 73102910/73102990/73259920 के तहत लोहे या इस्पात के कंटेनर/ अन्य कास्ट वस्तुओं के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और 82

परेषणों में 18 *प्रतिशत* (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्रम संख्या 224) और 22 परेषणों में (क्रम सं 180, उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची II) 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि विमान इंजन स्टैंड, विमान को खाड़ी क्षेत्र से कार्यशाला और इसके विपरीत आदि से विमान इंजन को खींचने के लिए एक प्रकार का ट्रेलर है और इस प्रकार सीटीएच 87163900 के तहत वर्गीकरण योग्य है और उदग्रहित 18 *प्रतिशत*/12 *प्रतिशत* के बजाय 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य है। इसके अलावा, निर्यातक ने अपने चालानों में सीटीएच 87163900 के तहत आयातित वस्तुओं को सही ढंग से "एयरक्राफ्ट इंजन स्टैंड" के रूप में वर्गीकृत किया था। तथापि, बीई दर्ज करते समय आयातकों ने सीटीएच 73102910/73102990/ 73259920 के तहत माल को गलत तरीके से वर्गीकृत किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹3.22 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था।

इस विषय में बताये जाने पर (नवंबर 2018), प्रधान आयुक्त (एसीसी-आयात), एनसीएच-नई दिल्ली ने सभी आयातकों के प्रति ₹3.22 करोड़ की मांग की पुष्टि की और मेसर्स ई लिमिटेड से ₹6.29 लाख के ब्याज के साथ ₹23.48 लाख की वसूली की सूचना दी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.3 आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए उपकरण को मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए भागों संचरण या प्राप्ति के लिए भागों के रूप में गलत वर्गीकरण

"तार या बेतार नेटवर्क में संचार हेतु उपकरण सहित आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए अन्य उपकरण, (जैसे स्थानीय या व्यापक क्षेत्र नेटवर्क)" को सीटीएच 85176290 के तहत वर्गीकृत किया जाता हैं और इस पर सीमा शुल्क अधिसूचना 57/2017 दिनांक 30 जून 2017 के तहत 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगती है। एचएसएन के अनुसार "अन्य संचार उपकरण" समूह में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम, राउटर, मल्टीप्लेक्सर और संबंधित लाइन उपकरण, डेटा

कंप्रेसर/डिकंप्रेसर (कोडेक्स) आदि शामिल हैं और सीटीएच 85176290 के तहत वर्गीकरणीय हैं।

एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय) दिल्ली के माध्यम से जुलाई 2017 से जुलाई 2018 की अवधि के दौरान 2,19,379 बीई के तहत किए गए सीटीएच 8517 के तहत आयात के लिए, लेखापरीक्षा ने स्विचिंग कार्ड- "100जी /320जी /60जी /10जी हाइब्रिड/प्योर मैट्रिक्स कार्ड", "स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लग योग्य (एसएफपी)", "थंडर 6630", "मुक्सपोंडर कार्ड"/ट्रांसपोंडर कार्ड", "ऑप्टिकल स्प्लिटर कार्ड", ऑप्टिकल "ट्रांससिवर", 8/ 44 चैनल मक्स डेमक्स बोर्ड कार्ड आदि के आयात के लिए 55,863 बीई को फ़िल्टर किया और 187 बीई में ₹6.37 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण देखा।

मेसर्स एफ लिमिटेड और 27 अन्य लोगों ने जुलाई 2017 से अगस्त 2019 के दौरान एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से "100जी/320जी/60जी/10जी हाइब्रिड/प्योर मैट्रिक्स कार्ड", "स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगकरने योग्य", "थंडर 6630", "मुक्सपोंडर/ट्रांसपोंडर कार्ड", नामक कंट्रोल एवं प्रोसेसर कार्ड/स्विचिंग कार्ड आदि का आयात किया। माल को सीटीएच 85177090-आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए पार्ट्स गलत वर्गीकृत किया गया था और शून्य दर पर बीसीडी का निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि आयातित मद, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विच और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कन्वर्टर्स जैसे छोटे फॉर्म फैक्टर प्लगबल ट्रांसीवर्स (एसएफपी) हैं। इसलिए, सीटीएच 85176290- अन्य संचार उपकरण के तहत वर्गीकरण योग्य है और शून्य के बजाय 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा, विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा जारी किए गए सामंजस्यबद्ध प्रणाली पर स्पष्टीकरण टिप्पणियों के अनुसार, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड/ट्रांससीवर्स सीटीएच-851762 के तहत वर्गीकृत हैं। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹6.37 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय में बताये जाने पर (मार्च 2018 से अगस्त 2019) प्रधान आयुक्त (एसीसी-आयात), एनसीएच-नई दिल्ली ने ₹5.28 करोड़ के राजस्व

निहितार्थ से जुड़े गलत वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया, जिसमें से ₹4.90 करोड़ की मांगों की पुष्टि की गई है और ₹1.25 करोड़ की वसूली की गई है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.4 "स्मार्ट घड़ियों" को मापन या जांच उपकरणों के रूप में गलत वर्गीकरण

बेतार नेटवर्क में आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए सभी उपकरणों को आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में जाना जाता है जैसे 'एमआई बैंड - मॉडल एक्सएमएसएच 04 एचएम और एक्सएमएसएच 2 एचआईएम', सीटीएच 85176290 के तहत वर्गीकरण योग्य है और 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को लगाया जाता है।

2017-18 के दौरान आईसीडी, सिटी आयुक्तालय , बेंगलुरु के माध्यम से 14 बीई के तहत किए गए ₹20.71 करोड़ मूल्य के 'एमआई बैंड - मॉडल एक्सएमएसएच 041 एचआईएम और एक्सएमएसएच 2 एचएम' के आयात के प्रति लेखापरीक्षा में तीन बीई में ₹1.10 करोड़ के कम उदग्रहण को पाया, जिसमें ₹6.79 करोड़ मूल्य का आयात शामिल है।

मेसर्स जी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु ने इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु के माध्यम से ₹6.79 करोड़ के मूल्य वाले एमआई बैंड का आयात किया (फरवरी 2018)। माल को गलत वर्गीकृत किया गया था और सीटीएच 90318000 के तहत "अन्य मापन या जांच उपकरण, उपयंत्र और मशीने जिन्हें अध्याय 90 में निर्दिष्ट या शामिल नहीं किया गया" के तहत निकासी की गई और लागू 20 *प्रतिशत* के बजाय 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को उदग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ।

इसके बताये जाने पर (सितंबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹27.80 लाख के ब्याज सहित ₹1.38 करोड़ की वसूली की सूचना दी (जून 2021)।

3.7.5 'वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) सर्वर के लिए 'सीएक्सए स्टीलहेड उपकरण' के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण

सीमा शुल्क शीर्षक (सीटीएच) 85176290 के तहत वर्गीकरण योग्य विभिन्न विशिष्टताओं के 'वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के लिए सीएक्सए स्टीलहेड उपकरण' है, जिसमें "एक तार या बेतार नेटवर्क (जैसे स्थानीय या वाइड एरिया नेटवर्क) में संचार के लिए उपकरण सहित आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या प्राप्ति के लिए अन्य उपकरण शामिल हैं", जो अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2005 के तहत छूट के लिए पात्र नहीं है। तदनुसार, आयातित वस्तुएं, 10 *प्रतिशत* की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के लिए उदग्रहण योग्य है।

2017-18 की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), बेंगलुरु के माध्यम से ₹12.94 करोड़ के माल 'डब्ल्यूएएन सर्वर के साथ सीएक्सए स्टीलहेड' के आयात के लिए कुल 40 बीई दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा में ₹4.90 करोड़ के आयात से जुड़े छह बीई में गलत वर्गीकरण के कारण ₹59.53 लाख की शुल्क राशि के कम उदग्रहण के विषय में बताया गया।

मेसर्स एच प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु और मेसर्स आई प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2017 के दौरान सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयरपोर्ट एंव एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), बेंगलुरु के माध्यम से विभिन्न विशिष्टताओं के 'सीएक्सए स्टीलहेड' का आयात किया। आयातक ने आयातित माल को सीटीएच 84715000- 'उप-शीर्षकों - 8471 41 या 8471 49' के अलावा अन्य प्रसंस्करण इकाइयां के तहत वर्गीकृत किया, चाहे वह इकाई के एक या दो निम्नलिखित प्रकार के एक ही आवास में शामिल हैं या नहीं: भंडारण इकाइयां, इनपुट इकाईयां, आउटपुट इकाई' और उपरोक्त अधिसूचना के तहत बीसीडी छूट का दावा करने वाले माल को मंजूरी दे दी गई।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 'डब्ल्यूएएन से बेहतर प्रदर्शन और डेटा हस्तांतरण के लिए सीएक्सए स्टीलहेड उपकरण' होने के कारण आयातित वस्तुएं सीटीएच 85176290 के तहत वर्गीकरण योग्य है जिन पर दिनांक 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005 के तहत बीसीडी के लिए छूट

नहीं दी जा सकती है। इसलिए, आयातित माल पर 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹59.53 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ, जिसे लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूल किया जाना आवश्यक था।

इस विषय में बताये जाने पर (जून/अक्टूबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने सूचित किया (जून 2021) कि मेसर्स एच प्राइवेट लिमिटेड के प्रति ₹40.84 लाख की मांग की पुष्टि की गई है। आयातक ने मूल आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी और ₹40.84 लाख का भुगतान भी किया था। एक अन्य आयातक मेसर्स आई प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹35.83 लाख की मांग की पुष्टि हुई है जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई ₹18.68 लाख की मांग शामिल है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.6 एयरोनॉटिकल उपयोग (सीटीएच 85/90) के लिए दिशासूचक उपकरणों/अन्य उपकरणों का गलत वर्गीकरण

(क) एयरोनॉटिकल उपयोग (सीटीएच 85/90) के लिए दिशासूचक उपकरणों/अन्य उपकरणों का हेलीकॉप्टर/विमानों (सीटीएच 8803) के हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकरण

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के खंड XVII की टिप्पणी 2 के अनुसार (खंड XVII अध्याय 86 से 89 को कवर करता है), अभिव्यक्ति "भागों" और "भागों और सामान" (चाहे वे इस खंड के लिए माल के रूप में पहचाने जाते हैं या नहीं), अन्य बातों के साथ-साथ अध्याय 82 के अनुच्छेदों, मशीनों या शीर्षक 8401 से 8479 के उपकरणों या उसके कुछ हिस्सों, शीर्षक 8481 या 8482 के अनुच्छेदों पर लागू नहीं होते बशर्ते कि वे इंजनों या मोटरों का शीर्षक 8483 के अनुच्छेदों, विद्युत मशीनरी या उपकरण (अध्याय 85) और अध्याय 90 के अनुच्छेदों आदि का अभिन्न भाग बनते हैं। तदनुसार, ऐसे भाग और उपकरण सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 86 से 89 के अंतर्गत शामिल नहीं है।

सीटीएच 9014 के तहत एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार, एयरोनॉटिकल दिशासूचक उपकरण सीटीएच 90142000 के तहत वर्गीकरण योग्य है और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं (क्रम संख्या 411-1, 422, अनुसूची III अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017)।

सीटीएच 8803 3000 के तहत एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी), नेदुम्बासेरी, केरल में दर्ज किए गए ₹64.31 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य (ए.वी.) वाले आयातों के लिए 274 बीई (जनवरी 2017 से दिसंबर 2018) में से ₹35.26 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले 45 बीई की नमूना जांच की गई। ₹16.59 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य के आठ बीई में आयात का गलत वर्गीकरण देखा गया।

मेसर्स जे, कोचीन ने विमान पत्तन नेदुम्बासेरी, केरल के माध्यम से विमान/हेलीकॉप्टर की दिशासूचक प्रणाली के उपकरणों/भागों के चार परेषणों, विमानन वस्तुओं इंजन नियंत्रण प्रणाली के तीन परेषणों, और रडार उपकरण के एक परेषण (सितंबर/अक्टूबर 2018) का आयात किया (नवंबर 2017 से अक्टूबर 2018)। आयातित माल का कुल निर्धारण मूल्य ₹16.59 करोड़ था।

हालांकि, आयातक द्वारा बीई के साथ प्रस्तुत तकनीकी ब्यौरे में आयातित माल की विशिष्टताओं को "एविएशन ग्रेड इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक मदों", "एविएशन ग्रेड स्ट्रक्चरल मद" आदि के रूप में दर्शाया गया था, माल को सीटीएच 8803 3000 के तहत 'हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के अन्य हिस्सों' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का निर्धारण किया गया (अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची ।, अनुक्रमांक संख्या 245 में यथा संशोधित)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि तकनीकी ब्यौरे के अनुसार, आयतित माल सीटीएच 9014 8090 - 'अन्य दिशासूचक यंत्र और उपकरण - अन्य'/ 90149000 -एयरोनॉटिकल या अंतरिक्ष दिशासूचक के किए उपकरणों के भाग/9032 9000 - 'स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरणों के भाग और सहायक उपकरण' /8525 1000 - 'रडार उपकरण' के तहत वर्गीकरण योग्य है और 28 जून 2017 की उपरोक्त अधिसूचना के तहत 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कुल ₹2.12 करोड़ की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (नवंबर 2018/मार्च 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹35.66 लाख के ब्याज सहित ₹2.13 करोड़ के शुल्क की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2021)।

(ख) "विमानों के अन्य भागों" के रूप में "एटिट्यूड एवं हैडिंग रेफरेंस इकाई (एएचआरयू)" का गलत वर्गीकरण

जनवरी 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, 4,677 बीई के तहत एनसीएच (आयात आयुक्तालय), नई दिल्ली के माध्यम से ₹2,712.45 करोड़ मूल्य पर सीटीएच 88033000 के तहत आयात के लिए लेखापरीक्षा ने "एटिट्यूड एवं हैडिंग रेफरेंस इकाई (एएचआरयू)[14]" के आयात के लिए पूरे आंकड़ों (4677 बीई) को फ़िल्टर किया और पाया कि ₹12.65 करोड़ मूल्य के आयात वाले 14 बीई में ₹12.65 करोड़ के आयात में कुल ₹1.68 करोड़ की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ था।

मेसर्स के लिमिटेड, (एचएएल), मेसर्स एल लिमिटेड, मेसर्स सी लिमिटेड, और मेसर्स एम प्राइवेट लिमिटेड ने 14 बीई के तहत ₹12.65 करोड़ के निर्धारण मूल्य पर एएचआरयू का आयात किया (मार्च 2018 से फरवरी 2019)। इस माल को सीटीएच 88033000 के तहत- विमानों के अन्य भागों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और बीसीडी को शून्य/2.5 *प्रतिशत* और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची । की क्रम संख्या 245) का निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि खंड XVII के उपरोक्त टिप्पणी 2 के आधार पर, आयातित माल खंड XVII (अध्याय 86 से 89) के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। तदनुसार, ऐसे भाग और सहायक उपकरण सीटीएच 88033000 के तहत कवर नहीं किए जाते हैं जैसा कि विभाग द्वारा मंजूरी दी गई थी। आयातित वस्तुएं "एयरोनॉटिकल दिशासूचक उपकरण" हैं और

---

[14]एएचआरयू, एयरोनॉटिकल नेविगेशन के लिए ऊंचाई और हेडिंग संदर्भ प्रणाली (एएचआरएस) का प्रमुख घटक है।

एएचआरयू एक बॉक्स है जिसमें आवश्यक दर जायरोस, एक्सेलेरोमीटर, विद्युत् आपूर्ति, और अन्य उपकरण शामिल हैं जिनका उपयोग त्वरण बलों, परिवर्तन की दर, विमान के स्थिति और चुंबकीय शीर्षक को मापने के लिए किया जाता है।

सीटीएच 90142000 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत हैं और 18 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 411-I) उद्ग्रहणीय है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ के कम शुल्क का उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (मार्च 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹1.69 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अप्रैल 2021)।

(ग) "जायरोस्कोपिक क्षितिज/ डायरेक्शनल जायरो/ एक्सेलेरोमीटर" (दिशासूचक उपकरण) का गलत वर्गीकरण

सीटीएच 9014 के तहत एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार, एयरोनॉटिकल दिशासूचक उपकरण, सीटीएच 90142000 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं (अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III क्रम संख्या 411-I)।

जनवरी से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान, 1,849 बीई के तहत एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से ₹1,894.14 करोड़ के मूल्य पर सीटीएच 8803 के तहत किए गए आयात के लिए लेखापरीक्षा ने "जायरोस्कोपिक क्षितिज/डायरेक्शनल जायरो/एक्सेलेरोमीटर" के आयात के लिए पूरे आंकड़ों (1,849 बीई) को फ़िल्टर किया और पाया कि ₹3.96 करोड़ मूल्य के आयात वाले सात बीई में ₹52.67 लाख तक शुल्क का कम उदग्रहण किया गया था।

मेसर्स एन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ओ लिमिटेड ने (फरवरी से जून 2019) एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से ₹3.96 करोड़ के निर्धारण मूल्य पर "जायरोस्कोपिक क्षितिज/डायरेक्शनल जायरो/ एक्सेलेरोमीटर" के सात परेषणों का आयात किया। माल को सीटीएच 88033000/88039000 के तहत "विमान भागों" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का निर्धारण किया (उपरोक्त आईजीएसटी अधिसूचना के अनुसूची I की क्रम संख्या 245)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि एचएसएन टिप्पणी के अनुसार आयातित वस्तुएं, एयरोनॉटिकल नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होने के नाते, सीटीएच 90142000 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्रम संख्या 411-I) और खंड XVII की उपरोक्त टिप्पणी 2 के आधार पर सीटीएच 8803 के तहत कवर नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹52.67 लाख तक शुल्क का कम उदग्रहण किया गया।

इस विषय पर बताये जाने पर (अगस्त 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹61.06 लाख की वसूली की सूचना दी (जुलाई 2021) जिसमें ₹8.39 लाख का ब्याज शामिल था।

(घ) बॉल बीयरिंग का हेलीकाप्टरों और हवाई जहाजों के हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकरण

बॉल बीयरिंग सीटीएच 8482 के तहत वर्गीकृत हैं और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी, बीसीडी के 10 *प्रतिशत* की दर से समाज कल्याण अधिभार और 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं {आईजीएसटी अधिसूचना संख्या 1/2017 -एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017, की अनुसूची III की क्रम संख्या 369}।

आयात के लिए 4,828 बीई के तहत एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से जनवरी 2018 से फरवरी 2019 की अवधि के दौरान सीटीएच 8803 के तहत किए गए ₹2,282 करोड़ के आयात के लिए लेखापरीक्षा ने ₹7.87 करोड़ मूल्य के आयात से संबंधित 16 बीई के संबंध में ₹1.05 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण के विषय में बताया।

मेसर्स पी ने ₹7.87 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर विमानों के लिए 1,756 मद "वलयाकार बॉल बीयरिंग/बॉल बीयरिंग" का आयात किया (फरवरी से जून 2018)। इस माल को हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाजों के हिस्सों के रूप में सीटीएच 88033000 के तहत गलत वर्गीकृत किया गया था और 2.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी (अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क

की क्रम संख्या 545 के तहत लाभ की अनुमति देने के बाद), और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का निर्धारण किया गया था (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची-I की क्रम संख्या 245)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित वस्तुएं "बॉल बीयरिंग" हैं और इसलिए सीटीएच 84829900- अन्य "बॉल बीयरिंग" के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय हैं और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी, 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य है (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 369)। इस प्रकार, आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.05 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (फरवरी/मई 2019) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹1.28 करोड़ की वसूली की सूचना दी (मार्च 2021) जिसमें ₹23 लाख का ब्याज शामिल था।

(ड़) 'विमान इंजन के लिए सिलेंडर' का प्रोपेलर और रोटर/अंडर कैरिएज और उसके कुछ हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकरण

"विमानों के लिए सिलेंडर" सीटीएच 84091000- विमान इंजन के साथ पूरी तरह से या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य हैं (अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची IV की क्रम संख्या 116)

एनसीएच (आयात आयुक्तालय), नई दिल्ली के माध्यम से मार्च 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, 4,677 बीई के तहत ₹2,712.45 करोड़ के मूल्य पर सीटीएच 8803 के तहत किए गए आयात के लिए, लेखापरीक्षा ने "विमानों के लिए सिलेंडर" के आयात के लिए पूरे डेटा को फ़िल्टर किया और ₹242.67 लाख मूल्य के आयात वाले तीन बीई में गलत वर्गीकरण को पाया। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹56.48 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

मेसर्स के और मेसर्स एल लिमिटेड ने एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से "विमानों के लिए सिलेंडर" के तीन परेषणों का आयात किया (मार्च से

अक्टूबर 2018)। माल को सीटीएच 88031000/88032000 के तहत प्रोपेलर और रोटर/अंडर-कैरिएज और उसके कुछ हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और शून्य/2.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी का निर्धारण किया गया था (आईजीएसटी अधिसूचना 01/2017 की अनुसूची I की क्रम संख्या 245)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि उपर्युक्त आयातित वस्तुएं, "सिलेंडर" विमान इंजनों के हिस्से थे और इसलिए, सीटीएच 8409 की व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार, ऐसे आयातित माल को सीटीएच 84091000 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया जाता है और 28 *प्रतिशत* (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची IV की क्रम संख्या 116) की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹56.48 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (मार्च 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने बताया (अप्रैल 2021) कि आयातकों से ब्याज सहित ₹56.57 लाख की कुल वसूली की गई है।

(च) रिमोटली पायलेट विमान (आरपीए) के हिस्सों को रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए ट्रांसमिशन उपकरण के रूप में गलत वर्गीकरण

'शीर्षकों 8525 से 8528' के उपकरण के साथ एकमात्र या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग', सीटीएच 8529 1019 के तहत वर्गीकरणीय हैं और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य है।

सीटीएच 4819 के अंतर्गत वर्गीकृत मदों वाली 23 बीई, सीटीएच 8443 के तहत 103 बीई और सीटीएच 8525 के तहत 58 बीई 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की अवधि के दौरान केरल के कोच्चि हवाई अड्डे में ₹19.46 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य पर दर्ज की गई थी। सभी बीई की जांच की गई और ₹10.81 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य की एक बीई में गलत वर्गीकरण देखा गया।

मेसर्स जे ने हवाई अड्डे, नेदुम्बसेरी, केरल (बीई सं 2110490, दिनांक 19 फरवरी 2019) के माध्यम से ₹10.81 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य सहित,

'रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट (आरपीए) की मरम्मत के लिए आवश्यक भागों' नामत: दोहरी मल्टीचैनल रिसीवर प्रोसेसर, टीएम/टीवी आरएफ हेड असेंबली, एफओटीएम असेंबली और बॉक्स एफए एमसीपीए पीपीसी टाइप 4 का आयात किया। आयातित माल को सीटीएच 8525 5090/8443 9990/8443 1910 और 4819 1010 के तहत वर्गीकृत किया गया था और 7.5 *प्रतिशत* पर बीसीडी का उदग्रहण किया था। कुल ₹2.18 करोड़ का शुल्क संग्रहण हुआ। आयातित माल, रिमोटली पायलट एयर क्राफ्ट (आरपीए) में उपयोग किए जाने वाले संचार/प्राप्ति उपकरण के हिस्से थे और इसलिए सीटीएच 85291019 के तहत 'शीर्षकों 8525 से 8528' के उपकरण के साथ एकमात्र या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग' के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिस पर 10 *प्रतिशत* पर बीसीडी दर से शुल्क लगता है। तदनुसार, कुल ₹3.35 करोड़ का शुल्क उदग्रहण योग्य था। माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹53.75 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (सितंबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि ₹6.05 लाख के ब्याज सहित ₹53.75 लाख के कम उदग्रहित शुल्क की वसूली हुई है।

(छ) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर को 'विमानों या हेलीकाप्टरों के अन्य भागों ' के रूप में गलत वर्गीकृत

"ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) रिसीवर" सीटीएच 85269190 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी को लगाते हैं।

9,356 बीई के तहत, एनसीएच (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से मार्च 2018 से मार्च 2019 के दौरान ₹2,712 करोड़ मूल्य के सीटीएच 8803 के तहत आयात किया गया था। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में कुल ₹3.78 करोड़ मूल्य के "जीपीएस" के आयात वाले छह बीई में ₹50.29 लाख तक शुल्क के कम उदग्रहण को पाया ।

मेसर्स के लिमिटेड और मेसर्स आर लिमिटेड ने ₹3.78 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर "ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) /सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम (एसबीएएस)/बीटा-3" का आयात किया। इस

माल को सीटीएच 88033000 'विमानों या हेलीकॉप्टरों के अन्य भागों' के तहत वर्गीकृत किया गया था और 2.5 *प्रतिशत* की दर से रियायती बीसीडी (सीमा शुल्क अधिसूचना 50/2017 की क्रम संख्या 545 के तहत लाभ की अनुमति देने के बाद) और 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी (आईजीएसटी अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूची 1 की क्रम संख्या 245 के तहत) का निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल "जीपीएस रिसीवर" है और सीटीएच 8526 और 9014 के लिए एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार **"**जीपीएस रिसीवर**",** सीटीएच 85269190 के तहत सही ढंग से वर्गीकरण योग्य हैं और तदनुसार, 5 *प्रतिशत* की दर के बजाय 18 *प्रतिशत* (आईजीएसटी अधिसूचना 1/2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 383क) की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य हैं। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹50.29 लाख तक शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

यह बताये जाने पर (फरवरी 2019 /मई 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने मेसर्स के लिमिटेड से ₹39.93 लाख की वसूली की सूचना दी (अगस्त, 2021) और मेसर्स आर लिमिटेड को मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसंबर 2020)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.7 मोटर वाहनों के 'ट्रांसमिशन शाफ्ट'/'शॉक अब्जॉर्बर्स'/'गियर बॉक्स'/'विंडो ग्लास के लिए विंडो गाइड' का गलत वर्गीकरण

(क) लिफ्टिंग, हैंडलिंग, लोडिंग, उत्खनन या बोरिंग आदि के लिए शीर्षकों सीटीएच 84.25 से 84.30 के मशीनरी भागों के रूप में 'क्लच' का गलत वर्गीकरण

क्लच के हिस्से सीटीएच 84839000 के तहत वर्गीकरणीय है और इन पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी (अधिसूचना संख्या 1/2017/एकीकृत कर (दर), अनुसूची IV, क्र. सं 135, दिनांक 28 जून 2017) उदग्राहय है।

1,060 बीई के तहत, आईसीडी पटपड़गंज, दिल्ली के माध्यम से जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018 की अवधि के दौरान, सीटीएच 8431 के तहत ₹113 करोड़ मूल्य का आयात किया गया था। लेखापरीक्षा ने "क्लच हाउसिंग-पार्ट्स ऑफ क्लच" के आयात के लिए सभी 1,060 बीई को फ़िल्टर किया और ₹7.80 करोड़ मूल्य के आयात के 21 बीई में ₹1.60 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण को पाया।

मेसर्स एस लिमिटेड ने ₹7.80 करोड़ के निर्धारण मूल्य पर 21 बीई के तहत "क्लच हाउसिंग-पार्ट ऑफ क्लच" का आयात किया (जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018)। आयातित माल को सीटीएच 84314930-"भूमि खनिजो/अयस्कों के लिए उत्खन्न समतल करने, टैंपिंग और उत्खन्न मशीनरी के भाग" के तहत गलत वर्गीकृत किया गया था और सीमा शुल्क अधिसूचना 152/2009, दिनांक 13 दिसंबर 2009 और आईजीएसटी अधिसूचना 1/2017 की अनुसूची III की क्रम संख्या 328 के तहत क्रमश: "शून्य"/18 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी/आईजीएसटी के उदग्रहण के बाद इनकी निकासी कर दी गई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सीटीएच 8431, लिफ्टिंग, हैंडलिंग, लोडिंग, खुदाई या बोरिंग के लिए शीर्षक संख्या 8425 से 8430 की मशीनरी के साथ एकमात्र या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भागों के लिए है। आयातित माल "क्लच के हिस्से" हैं जो सीटीएच 84839000 के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय हैं और शून्य *प्रतिशत* के बजाय 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 18 *प्रतिशत* के बजाय 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण और बाद में अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹1.60 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (अक्टूबर 2018), सीमा शुल्क आयुक्त आईसीडी-पटपड़गंज ने बीई के पुनर्निर्धारण के बाद 21 परेषणों के संबंध में ₹1.60 करोड़ की वसूली की सूचना दी (अक्टूबर 2020)।

(ख) मोटर वाहनों के लिए 'शॉक अब्जॉर्बर्स' को 'लौह एवं इस्पात की अन्य वस्तुओं'/फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों के लिए अन्य माउंटिंग/फिटिंग के रूप में गलत वर्गीकरण

एचएसएन के अनुसार, शीर्षकों 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरण शीर्षक 8708 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं, यदि वे केवल ऊपर उल्लिखित वाहनों के साथ एकमात्र या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त होने के रूप में पहचाने जाने योग्य हैं और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के खंड XVII की टिप्पणियों के प्रावधानों से बाहर नहीं हैं।

सरकार ने अधिसूचना संख्या 6/2018- सीमा शुल्क दिनांक 2 फरवरी 2018 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 में संशोधन किया, जिसके अनुसार शीर्षक 8702 से 8704 के तहत आने वाले मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरणों के अलावा अन्य सभी माल पर बीसीडी की प्रभावी दर 10 *प्रतिशत* है। इसका अर्थ यह है कि शीर्षक 8702 से 8704 के तहत आने वाले और शीर्षक 8708 के तहत वर्गीकृत मोटर वाहनों के "पार्ट्स और सहायक उपकरण" के किसी भी आयात पर बीसीडी के रूप में 15 *प्रतिशत* की योग्य दर को लगाया जाएगा। इसके अलावा, शीर्षक 8702 से 8705 के तहत आने वाले मोटर वाहनों के "पार्ट्स और सहायक उपकरण" 28 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी के उदग्रहण योग्य हैं {क्र. सं. 170; 1 जुलाई 2017 से प्रभावी अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची IV}।

तदनुसार, मोटर वाहनों के एक आयातित माल, ऑटोमोटिव पार्ट्स 'शॉक अब्जॉर्बर' सीटीएच 87088000 के तहत सही वर्गीकरण योग्य हैं और 01 फरवरी 2018 तक 10 *प्रतिशत* और 2 फरवरी 2018 से 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य हैं। माल पर 28 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी भी उदग्राह्य है।

नवंबर 2017 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, कुल 2,812 बीई को आयात सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई के तहत आईसीडी, इरुगाट्टुकोट्टई के माध्यम से सीटीएच 73269099/

83023090 के तहत ₹356.70 करोड़ के "शॉक अब्जॉर्बर और अन्य" के आयात के लिए दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा में ₹166.84 करोड़ मूल्य के 412 बीई की नमूना जांच की गई और 161 बीई में ₹1.32 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण के विषय में बताया गया।

मेसर्स टी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स यू प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2017 से मार्च 2019 के दौरान, सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई के तहत आईसीडी, इरुगट्टुकोट्टई के माध्यम से "शॉक अब्जॉर्बर" के 161 परेषणों का आयात किया। आयातक ने सीटीएच 73269099 (लोहे और इस्पात की अन्य वस्तु) /83023090 (फर्नीचर/दरवाजे/खिड़कियों के लिए अन्य माउंटिंग, फिटिंग और इसी तरह की वस्तुए) के तहत माल की घोषणा की। विभाग ने घोषित माल विवरण को स्वीकार कर लिया और सीटीएच 73269099/सीटीएच 83023090 के तहत माल की निकासी कर दी और क्रमशः अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 की क्र. सं 377/ तहत 10 *प्रतिशत* की दर पर/10 *प्रतिशत* की योग्यता दर पर बीसीडी का निर्धारण किया। इसके अलावा, आईजीएसटी (अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर की अनुसूची III की क्र सं 238 और 303ए) 18 *प्रतिशत* की दर से भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि 'शॉक अब्जॉर्बर्स' एक, ऑटोमोटिव पार्ट्स होने के नाते, विशेष रूप से सीटीएच 87088000 के तहत कवर किए जाते हैं और 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* (मेरिट दर) की दर से बीसीडी और 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी उदग्रहण योग्य हैं। आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.32 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था जिसे आयातक से लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना आवश्यक था।

इस विषय पर बताये जाने पर (नवंबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और लागू ब्याज सहित ₹1.63 करोड़ के अंतर शुल्क की वसूली की सूचना दी (मार्च 2021)।

(ग) गियर बॉक्स के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप शुल्क का कम उदग्रहण

एचएसएन के अनुसार, "मोटर वाहनों के पार्ट्स और सहायक उपकरण-गियर बॉक्स और उसके पार्ट्स" सीटीएच 8708 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य हैं। तदनुसार, आयातित माल "गियर असेंबली और एलयू गियर शिफ्ट" पर बीसीडी को 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* की दर से लगाया जाता है ।

नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान, कुल 1,142 बीई को "गियर असेंबली और एलयू गियर शिफ्ट और अन्य" माल के आयात के लिए सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई के माध्यम से ₹55.45 करोड़ मूल्य पर सीटीएच 84834000/73182990/ 73182910 के तहत दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा में ₹16.98 करोड़ मूल्य के 350 बीई की नमूना जांच की गई और ₹6.46 करोड़ के आयात वाले 84 बीई में ₹97.61 लाख के शुल्क के कम उदग्रहण के बारे में बताया।

मेसर्स टी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई के माध्यम से नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 के दौरान, "गियर असेंबली और एलयू गियर शिफ्ट" के 84 परेषणों का आयात किया, जिसमें सीटीएच 84834000/73182990/73182910 ("सीएनसी लेथ के विनिर्माण में उपयोग के लिए बॉल स्क्रू"/"लोहे या स्टील के अन्य गैर-थ्रेडेड वस्तु"/"सरकिलप") के तहत माल की घोषणा की। विभाग ने घोषित माल विवरण को स्वीकार करते हुए यथा संशोधित रूप में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम. सं. 377 के अनुसार सीटीएच 8483400 के लिए 7.5 *प्रतिशत* की दर से और सीटीएच 73182990/73182910 के लिए 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी का निर्धारण किया और माल को मंजूरी दी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि "गियर असेंबली और एलयू गियर शिफ्ट" होने के नाते माल, सीटीएच 8708-'गियर बॉक्स और उसके हिस्सों' के तहत वर्गीकरण योग्य हैं, न कि सीटीएच 84834000/73182990/73182910 के तहत। इस प्रकार, आयातित माल पर 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहण योग्य है। गलत

वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹97.61 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ था, जिसे लागू ब्याज के साथ आयातक से वसूल किया जाना आवश्यक था।

इस विषय पर बताये जाने पर (नवंबर 2019) वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2021) और ₹22.86 लाख के ब्याज सहित ₹1.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

(घ) मोटर साइकिल भागों का अन्य वाहनों के कुछ हिस्सों के रूप में गलत वर्गीकरण

सीटीएच 8711 के तहत आने वाले मोटर साइकिलों के पार्ट्स और सहायक उपकरण, सीटीएच 871410 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं और बीसीडी 15 *प्रतिशत* की दर से उदग्राह्य है (2 फरवरी 2018 से)।

जनवरी 2018 से फरवरी 2019 की अवधि के दौरान, 937 बीई और 113 बीई के तहत दिल्ली के आईसीडी-टीकेडी (आयात आयुक्तालय) और एसीसी, एनसीएच (आयत आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 8714 के तहत ₹124.29 करोड़ मूल्य का आयात किया गया था। लेखापरीक्षा में कुल 215 बीई की नमूना जांच की गई जिसमें ₹20.68 करोड़ मूल्य के आयात शामिल था और 184 बीई (आईसीडी-टीकेडी-102 बीई, एनसीएच दिल्ली-82 बीई) में ₹19.54 करोड़ के आयात शामिल थे, जिसमें ₹1.38 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण पाया।

मेसर्स वी और 40 अन्य ने आईसीडी टीकेडी (आयात आयुक्तालय , नई दिल्ली) और एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से ₹20.68 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर "मोटर साइकिल अलॉय व्हील और विभिन्न मोटर साइकिल भाग" का आयात किया (फरवरी 2018 से जनवरी 2019)। आयातित माल को सीटीएच-87142090-निशक्त व्यक्तियों के वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण के रूप में)/87149100/87149290/ 87149400/ 87149990-अन्य वाहनों के भाग के तहत गलत वर्गीकृत किया गया था और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी का उदग्रहण किया गया (अधिसूचना संख्या 50/2017 की क्रम संख्या 532 के तहत)।

आयातित माल, मोटर साइकिलों के हिस्से हैं और इसलिए, सीटीएच 871410 के तहत वर्गीकरण योग्य है और इन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगती हैं। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹67 लाख तक शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय पर बताये जाने पर (फरवरी/अगस्त 2018) आईसीडी-टीकेडी (आयात आयुक्तालय) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए 17 आयातकों से ₹31.91 लाख की वसूली की सूचना दी, 12 आयातकों के प्रति ₹26.13 लाख की मांगों की पुष्टि की और 10 आयातकों को नोटिस जारी किए। एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली ने एक आयातक (मैसर्स डब्ल्यू- एक बीई) से ₹ 0.04 लाख की वसूली की सूचना दी और दूसरे आयातक (मैसर्स एक्स लिमिटेड) के प्रति ₹2.04 लाख की मांग की पुष्टि की, जिसने ₹2.04 लाख की मांग के प्रति ₹0.68 लाख का भुगतान किया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2021)।

(इ) "विंडो गाइड" - मोटर वाहन के पुर्जों के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण

एक 'विंडो गाइड' मोटर वाहन का एक पुर्जा है जो विंडो ग्लास को सही जगह पर रखने में मदद करता है और विंडो को बंद रखने के लिए एक सील बनाता है और डोर फ्रेम के अंदर स्थित होता है। एचएसएन की व्याख्यात्मक टिप्पणियों में कहा गया है कि 8701 से 8705 शीर्षक के मोटर वाहनों के पुर्जे और सहायक उपकरण सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 8708 के तहत वर्गीकरणीय हैं। तदनुसार, 'विंडो गाइड' सीटीएच 87089900 के तहत वर्गीकरणीय है "सीटीएच 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के अन्य पुर्जे और सहायक उपकरण" अधिसूचना संख्या 1/2017 (एकीकृत कर) दिनांक 28 जून 2017 यथा संशोधित अनुसूची IV की क्रम संख्या 170 के अनुसार, एकीकृत कर 28 *प्रतिशत* पर और बीसीडी 10 *प्रतिशत*/15 *प्रतिशत* पर उद्ग्राहय है।

आईसीडी, इरुंगट्टुकोट्टई में ₹36.12 करोड़ के निर्धारण मूल्य के साथ दर्ज की गई 1,464 बीई में से, लेखापरीक्षा ने 'विंडो गाइड' के आयात से जुड़े सभी बिलों के डेटा की जांच की। यह पाया गया कि ₹432.42 लाख के निर्धारण मूल्य के लिए मेसर्स टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित (नवंबर 2017 से जनवरी 2019) विंडो गाइड के 182 परेषणों को सीमा शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद 83023090 के तहत गलत तरीके से 'अन्य माउंटिंग, फिटिंग और मोटर वाहनों के लिए उपयुक्त सामान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अधिसूचना संख्या 1/2017 (एकीकृत कर) की अनुसूची III के क्र.सं. 303ए के अनुसार आईजीएसटी का 18 *प्रतिशत* और बीसीडी का 10 *प्रतिशत* पर निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा ने (नवंबर 2019) बताया कि वर्णित माल देखते हुए पैरा 1 में उद्धृत उपरोक्त एचएसएन प्रावधानों के अनुसार उक्त माल, सीटीएच 87089900 के तहत तथा शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के "अन्य भागों और सहायक उपकरण" के रूप वर्गीकरण योग्य है, जिस पर 10/15 *प्रतिशत* पर बीसीडी और 28 *प्रतिशत* पर आईजीएसटी का उद्ग्रहण किया जाता है। आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹71.27 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

इस विषय में बताए जाने पर (नवंबर 2019), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि आयातक से ₹86.57 लाख की वसूली की गई है, जिसमें ब्याज शामिल था।

3.7.8 फैब्रिक के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण

'कृत्रिम फिलामेंट यार्न के बुने हुए फैब्रिक ' सीटीएच 5408 के तहत वर्गीकरणीय हैं। इस उप-शीर्षक के तहत, 'अन्य-रेयान के रंगे फैब्रिक' सीटीएच 54082219 के तहत वर्गीकरणीय है और' अन्य -रेयान के प्रिंटेड फैब्रिक ' सीटीटएच 54082490 के तहत वर्गीकरणीय है। सीटीएच 54082219 के लिए लागू बीसीडी दर 25 *प्रतिशत* या ₹45 प्रति वर्गमीटर है, जो भी अधिक हो और सीटीएच 54082490 के लिए, बीसीडी 25 *प्रतिशत* या ₹87 प्रति वर्गमीटर है, जो भी अधिक हो।

हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से जुलाई 2018 से सितंबर 2019 के दौरान 103 बीई के तहत ₹43.11 करोड़ मूल्य के मानव निर्मित टेक्सटाइल फैब्रिक के आयात के लिए, लेखापरीक्षा में 62 बीई की नमूना जांच की गई जिसमें ₹35.06 करोड़ मूल्य के आयात शामिल हैं और ₹2.50 करोड़ मूल्य के आयात वाले चार बीई में ₹1.21 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण बताया गया।

मेसर्स वाई प्राइवेट लिमिटेड (दिसंबर 2018 से सितंबर 2019) ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), सनतनगर, हैदराबाद के माध्यम से 'विस्कोस वोवेन फैब्रिक (रेयान) - प्लेन और प्रिंटेड आयात किया। आयातित माल विस्कोस वोवेन फैब्रिक (रेयान)-प्लेन को सीटीएच 55161200 के तहत "कृत्रिम स्टेपल फाइबर के रंगे वोवेन फैब्रिक" के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। आयातित 'प्रिंटेड विस्कोस वोवेन फैब्रिक (रेयान)' को (i) सीटीएच 55161410 के "स्पुन रेयान प्रिंटेड शांतुंग" और (ii) 55161490 "कृत्रिम स्टेपल फाइबर के अन्य वोवेन फैब्रिक" के तहत गलत रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, आयातित माल कृत्रिम फिलामेंट यार्न से बने थे, इसलिए विस्कोस वोवेन फैब्रिक (रेयान)' 'प्लेन और प्रिंटेड-को सीटीएच 54082219 और 54082490 के तहत वर्गीकरण योग्य थे क्योंकि ये रेयान के वोवेन फेब्रिक थे। तदनुसार, सीटीएच 54082219 के लिए बीसीडी 25 *प्रतिशत* या ₹45 प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो, पर उद्ग्रहणीय है और सीटीएच 54082490 के लिए बीसीडी 25 *प्रतिशत* या ₹87 प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक है, पर उद्ग्रहीत की जानी थी। इस प्रकार, माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क का ₹1.21 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2019) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कहा (मार्च 2021) कि आयातक को ₹1.21 करोड़ की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (अक्टूबर 2020) । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.7.9 'कॉपर की अन्य वस्तुओं' का कॉपर बार, छड़ के रूप में गलत वर्गीकरण

'कॉपर की अन्य वस्तुए' सीटीएच 7419 के तहत वर्गीकरणीय हैं और 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और आईजीएसटी को 28 *प्रतिशत* (14 नवंबर 2017 तक) /18 *प्रतिशत* (अधिसूचना संख्या 01 की अनुसूची IV/III की क्रम सं. 104/253- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017) की दर से लगता है।

14 बीई के तहत आईसीडी तुगलकाबाद (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से जुलाई 2017 से नवंबर 2018 की अवधि के दौरान सीटीएच 74071090 के अंतगर्त किए गए ₹11.08 करोड़ मूल्य के आयात के लिए लेखापरीक्षा ने पूरे डेटा (14 बीई) की नमूना जांच की और ₹9.82 करोड़ मूल्य के आयात से संबंधित 11 बीई में ₹73.65 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण पाया है।

मेसर्स जेड प्राइवेट लिमिटेड ने ₹9.82 करोड़ के निर्धारित मूल्य पर "कॉपर एनोड बॉल्स/नगेट्स" के 11 परेषणों का आयात किया (अक्टूबर 2017 से नवंबर 2018)। आयातित मद को सीटीएच-74071090-अन्य कॉपर बार, छड़ और प्रोफाइल के तहत गलत वर्गीकृत किया गया और बीसीडी को 5 *प्रतिशत* की दर से, आईजीएसटी को 18 *प्रतिशत* की दर से लगाया गया था (उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची III की क्रम.सं.245)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कॉपर एनोड बॉल्स/नगेट्स सीटीएच 74199990 'कॉपर के अन्य आर्टिकल्स' के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय हैं और बीसीडी 10 *प्रतिशत* की दर से और आईजीएसटी की 18 *प्रतिशत* की बजाय 28 *प्रतिशत* (14 नवंबर 2017 तक) दर पर लगाया जाता है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹73.65 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताये जाने पर (मार्च 2019) आईसीडी, तुगलकाबाद के प्राधिकारियों ने ₹73.65 लाख और ₹9.56 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी।

3.7.10 पावर बैंक आयात को 'इलेक्ट्रिकल एक्युमुलेटर-लिथियम आयन' के रूप में गलत वर्गीकरण

पावर बैंक एक पोर्टेबल चार्जर है जो विद्युत उपकरणों जैसे सेल फोन, टैबलेट, पोर्टेबल स्पीकर, कैमरा और यहां तक कि लैपटॉप को रिचार्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक इलेक्ट्रिकल एक्युमुलेटर होने के नाते पावर बैंक, सीटीएच 85078000 'अन्य एक्युमुलेटर के तहत वर्गीकरण योग्य है और अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर दिनांक 28 जून 2017 के तहत 28 *प्रतिशत* आईजीएसटी उद्ग्रहणीय है (क्रम सं.139/अनुसूची IV- इलेक्ट्रिकल्स एक्युमुलेटर, जिसमें उसके लिए विभाजक शामिल हैं, चाहे आयातकार हो या नहीं (लिथियम आयन बैटरी और अन्य लिथियम आयन संचायकों के अलावा अन्य वर्ग सहित) । कर अनुसंधान इकाई, सीबीआईसी ने अप्रैल 2017 (फाइल संख्या 354/29/2017- टीआरयु दिनांक 26 अप्रैल 2017) के परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि 'पावर बैंक' को सीटीटीएच 85078000 के तहत वर्गीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा में 2018-19 के दौरान सीटीएच 85078000 के तहत दर्ज किए गए ₹48.23 करोड़ मूल्य के 100 बीई में से 13 बीई में माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹70.94 लाख के आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण बताया गया।

मेसर्स एए और पांच अन्य ने जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 के दौरान सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-II), सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई के माध्यम से "पावर बैंक" के 13 परेषणों का आयात किया था। आयातकों ने आयातित माल को 'इलेक्ट्रिकल एक्युमुलेटर-लिथियम आयन' के लिए अभिप्रेत सीटीएच 85076000 के तहत गलत वर्गीकृत करके निकासी कराई थी। विभाग द्वारा उपरोक्त अधिसूचना की क्र.सं. 376 एए (लिथियम आयन बैटरी पर लागू) के तहत माल का निर्धारण आईजीएसटी की 18 *प्रतिशत* की दर पर किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 'पावर बैंक' होने के कारण माल सीटीएच 85078000 के तहत उचित रूप से वर्गीकरण योग्य है और आईजीएसटी को 28 *प्रतिशत* की दर पर लगाया जाना है (अधिसूचना संख्या 1/2017

दिनांक 28.06.2017 अनुसूची IV क्र.सं. 139) । इस प्रकार, पावर बैंक के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹70.94 लाख की आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण हुआ। आयातकों से इसकी लागू ब्याज के साथ वसूली अपेक्षित थी।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2019) सीमा शुल्क आयुक्त (चेन्नई-II) के प्राधिकारियों ने तीन आयातकों के संबंध में ₹3.88 लाख के ब्याज सहित ₹43.32 लाख की वसूली की सूचना दी (मार्च/सितंबर 2020)। आगे की प्रगति प्रशिक्षित थी (सितंबर 2021)।

3.7.11 'सीवीडस् एक्सट्रैक्ट फ्लेक्स/तरल सीबीड प्लांट एक्सट्रैक्ट' को पशु और वनस्पति उर्वरक/अन्य उर्वरकों/जैविक रसायनों के रूप मे गलत वर्गीकरण

सीवीडस् सीटीएच 12122910 के तहत वर्गीकरणीय हैं और इस पर 30 जून 2017 तक 30 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी और 4 *प्रतिशत* की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद, सीवीडस् पर सीवीडी और एसीडी के बजाय 5 *प्रतिशत* (अधिसूचना सं.1/2017- एकीकृत कर (दर), अनुसूची I, क्र.सं. 74) की दर से आईजीएसटी लगता है।

एचएसएन के अनुसार, शीर्षक 1212 में सभी सीवीड और शैवाल शामिल हैं, चाहे वह खाने योग्य हो या नहीं। ये सीवीड ताजा, ठंडा, जमे हुए, सूखे या जमीनी हो सकते हैं। सीवीड और अन्य शैवाल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधन, मानव उपभोग, पशु आहार और उर्वरकों के लिए किया जाता है।

मार्च 2016 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान 46 बीई के तहत आईसीडी तुगलकाबाद (आयात आयुक्तालय) दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 31010099 के तहत ₹14.59 करोड़ का आयात किया गया था। लेखापरीक्षा में सभी 46 बीई की नमूना जांच की गई और ₹2.17 करोड़ मूल्य के आयात के आठ बीई में ₹60.14 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण देखा गया।

मेसर्स एबी प्राइवेट लिमिटेड और दो अन्य ने (मार्च 2016 से जुलाई 2017) ₹2.17 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर 'सीवीड निष्कर्षित फ्लेक्स/सीवीड पौधों का तरल अर्क' के आठ परेषणों का आयात किया। आयातित माल को सीटीएच 31010099 के तहत पशु एवं वनस्पति उर्वरक/अन्य उर्वरक/जैविक रसायन' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और 1 जुलाई 2017 से आईजीएसटी के अलावा 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी को निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयातित मदों को सीटीएच 12122910- सीवीड के तहत सही ढंग से वर्गीकरणीय है और उद्ग्रहीत 7.5 *प्रतिशत* के बजाय 30 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उद्ग्रहण योग्य है।

इसलिए, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹60.14 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (जनवरी 2018), विभाग ने तीन आयातकों के प्रति ₹ 60.14 लाख (मेसर्स एसी लिमिटेड- चार बीई; ₹28.43 लाख, मेसर्स एडी प्राइवेट लिमिटेड - एक बीई; ₹9.33 लाख और मेसर्स एबी प्राइवेट लिमिटेड -तीन बीई; ₹22.38 लाख) की मांगों (सितंबर 2019/अप्रैल/जुलाई 2021) की पुष्टि की। आईसीडी, तुगलकाबाद के प्राधिकारियों ने आगे सूचित किया (जुलाई 2021) कि मेसर्स एसी लिमिटेड ने मूल आदेश के विरुध अपील दर्ज की थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.8 अधिसूचनाओं का गलत उपयोग

नमूना जांच में 34 मामलों में विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुचित उपयोग का पता चला, जिसमें प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल था। कुल राजस्व निहितार्थ ₹12.60 करोड़ था। ₹10 लाख से कम मूल्य की अधिसूचनाओं के अनुचित उपयोग के व्यक्तिगत मामलों की सूचना स्थानीय आयुक्तालय को क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से दी गई है। विभाग ने ₹11.17 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ से संबंधित 30 मामलों को स्वीकार किया और 15 मामलों में ₹7.76 करोड़ की वसूली की सूचना दी जिसमें ब्याज शामिल था। अगले पैराग्राफों में ₹7.12 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले आठ मामलों पर चर्चा की गई है और ₹5.48 करोड़

के राजस्व निहितार्थ वाले शेष 26 मामलों को **अनुबंध 4 और 5** में शामिल किया गया है।

3.8.1 आईजीएसटी सूचनाओं के तहत कम/गैर-उद्ग्रहण पुनः आयातों पर आईजीएसटी का अनुद्ग्रहण

अधिसूचना संख्या 45/2017-सीशु दिनांक 30 जून 2017 और अधिसूचना संख्या 46/2017-सीशु दिनांक 30 जून 2017 में भारत में पुन: आयात किए गए माल पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में निर्धारित सीमा शुल्क और उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1), (3), (5), (7) और (9) के तहत उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क, एकीकृत कर, क्षतिपूर्ति उपकर के बराबर छूट दी जाएगी जैसा कि अधिसूचना में उक्त तालिका के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में दर्शाई गई राशि से जितना अधिक है। तदनुसार, अधिसूचनाओं में यह निर्धारित किया गया था कि यदि माल को एकीकृत कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना बांड के तहत निर्यात किया जाता है तो निर्यात के समय भुगतान नहीं किए गए एकीकृत कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि का भुगतान पुन आयात के समय किया जाना है।

अप्रैल 2016 से मार्च 2018 के दौरान दर्ज किये गए, ₹27,818 करोड़ मूल्य के कुल 24,618 बीई में से लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच की और बताया कि कस्टम हाउस, पिपावाव (जामनगर सीमा शुल्क आयुक्तालय के अधीन) में विभिन्न मदों के आयात के संबंध में ₹4.19 करोड़ मूल्य के नौ बीई में ₹66.75 लाख की राशि "आईजीएसटी/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अनियमित छूट" दी गई।

मेसर्स एडी लिमिटेड, मेसर्स एई, मेसर्स एएफ लिमिटेड, मेसर्स एजी लिमिटेड और मेसर्स एएच ने नौ बीई (11 परेषण) के माध्यम से बॉन्ड के तहत निर्यात किए गए अपने माल का पुनः आयात किया (सितंबर 2017/मार्च 2018)। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत भुगतान किए जाने वाले लागू एकीकृत कर/केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली विभाग द्वारा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹66.75 लाख

के एकीकृत कर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ, जिसकी वसूली लागू ब्याज के साथ की जानी आवश्यक थी।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2018), विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार की (मई 2019) और आयातकों से ₹77.76 लाख (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी।

3.8.2 पृथक कार्यों वाली मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों के आयातों पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण (सीटीएच - 8479)

अध्याय 84 में कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं किए गए पृथक कार्यो वाली 'मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों' सीटीएच-8479 के तहत वर्गीकरण योग्य है और इस पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अधिसूचना संख्या 1 अनुसूची III की क्र.सं. 366 में एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017}।

आईसीडी तुगलकाबाद (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से जुलाई 2017 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹1,194 करोड़ मूल्य पर सीटीएच 8479 के तहत किए गए आयात के लिए लेखापरीक्षा ने कंपोस्टिंग मशीनों के अलावा "मशीनों" के आयात के पूरे आंकड़ों को फ़िल्टर किया जहां आईजीएसटी का 18 *प्रतिशत* के बजाय 12 *प्रतिशत* पर उद्ग्रहण हुआ था और 20 ऐसे बीई को पाया गया जिसमें ₹7.51 करोड़ मूल्य के आयात शामिल थे, जहां आईजीएसटी को गलत लागू करने के कारण ₹48.49 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

मेसर्स एआई प्राइवेट लिमिटेड और 13 अन्य ने सीटीएच 8479 के तहत आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली के माध्यम से (जुलाई 2017 से फरवरी 2019) ₹7.51 करोड़ मूल्य के 30 परेषणों (20 बीई) में विभिन्न मशीनों का आयात किया। आयातित मदों को सीटीएच 84798999/ 84799090/ 84794000/ 84798100 के तहत वर्गीकृत किया गया था और आईजीएसटी का 12 *प्रतिशत* की दर से {अधिसूचना संख्या 1 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची II की क्र.सं. 201} उद्ग्रहण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कंपोस्टिंग मशीन पर 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी (अनुसूची II की क्रम.सं. 201 के तहत) उद्ग्रहण किया जाता है। चूंकि आयातित माल कंपोस्टिंग मशीनों के अलावा अन्य था, इसलिए इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं। इसलिए आईजीएसटी की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹48.49 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (मार्च 2019) आईसीडी, तुगलकाबाद के प्राधिकारियों ने नौ आयातकों से ₹1.72 लाख के ब्याज के साथ ₹14.21 लाख की आंशिक वसूली की सूचना दी और एक आयातक के प्रति ₹0.74 लाख की मांग की पुष्टि की। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

3.8.3 'ध्वनि छवि या अन्य डेटा की रिसेप्शन, रूपांतरण और संचरण या पुन: सृजन के लिए मशीनों' पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण, (सीटीएच - 851762)

'स्विचिंग और रूटिंग उपकरण सहित 'ध्वनि छवि या अन्य डेटा की रिसेप्शन, रूपांतरण और संचरण या पुन: सृजन के लिए मशीनों' सीटीएच 851762 के तहत वर्गीकरणीय हैं और इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं (अधिसूचना संख्या 01 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III की क्र.सं. 379 के तहत)।

सीटीएच 851762 के तहत दिल्ली के एनसीएच (आयात आयुक्तालय) के माध्यम से जुलाई 2017 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान 1,33,737 बीई के तहत किए गए ₹10,687 करोड़ मूल्य के आयात के लिए, लेखापरीक्षा ने पूरे आंकड़ों को फ़िल्टर किया और देखा कि ₹17.03 करोड़ मूल्य के आयात वाले 118 बीई में ₹1.20 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ हैं।

मेसर्स एजे लिमिटेड और 62 अन्य ने ₹17.03 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर "मोबाइल के अलावा अन्य उपयोग के लिए, छवि या अन्य डेटा ध्वनि की प्राप्ति, रूपांतरण और संचरण या पुन: सृजन के लिए विभिन्न मशीनें" आयात की (जुलाई 2017 से जुलाई 2019)। आयातित मदों को सीटीएच 851762 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था लेकिन

आईजीएसटी का लागू 18 *प्रतिशत* के बजाय 12 *प्रतिशत* की दर से उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्राप्ति/रूपांतरण/संचरण की मशीनें होने के नाते आयातित माल पर आईजीएसटी 18 *प्रतिशत* की दर से (अनुसूची III के क्र.सं.379 के तहत) उदगृहणीय था। इस प्रकार, आईजीएसटी की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹1.20 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2019), एसीसी (आयात) नई दिल्ली के प्रधान आयुक्त ने आठ आयातकों से ₹2.54 लाख की वसूली, सात आयातकों के संबंध में ₹61.10 लाख की राशि की मांग की पुष्टि और 12 आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सूचना दी है (अप्रैल 2021)। शेष आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

इसी प्रकार के आयातों के गलत वर्गीकरण के उदाहरणों को भी देखा गया (संदर्भ पैरा 3.7.3) जिसके परिणामस्वरूप गलत आईजीएसटी के अलावा बीसीडी का गलत निर्धारण हुआ। सीबीआईसी यह पता कर सकता है कि क्या ये उदाहरण आईसीईएस में टैरिफ मास्टर तालिका में सीटीएच 851762 अपडेट के साथ मिलान के मुद्दों के कारण हैं।

3.8.4 'लिथियम आयन सेल' आयात पर आईजीएसटी दर को गलत लागू करना

'लिथियम आयन एक्यूमुलेटर्स के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिथियम आयन सेल' सीटीएच-85076000 के तहत वर्गीकरणीय हैं और अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची IV की क्रम.सं. 139 के अनुसार 28 *प्रतिशत* की दर से दिनांक 26 जुलाई 2018 तक और उसके बाद अनुसूची III के एसएल संख्या 376 एए के रूप में 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता हैं।

जुलाई 2017 से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात) -एसीसी एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से सीटीएच 85076000 के तहत ₹5,730.03 करोड़ मूल्य वाले माल के आयात

के लिए कुल 11,739 बीई दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा ने "लिथियम आयन सेल" के आयात के आंकड़ों को फ़िल्टर किया और पाया कि "लिथियम आयन सेल" के आयात को शामिल करते हुए 17 बीई का मूल्य ₹3.93 करोड़ था जहां ₹62.84 लाख कम शुल्क उदग्रहण किया गया था।

मैसर्स एके और छह अन्य ने सीटीएच 85076000 के तहत ₹3.93 करोड़ के निर्धारण मूल्य पर ' लिथियम आयन एक्यूमुलेटर्स (मोबाइल फोन की बैटरी) के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम आयन सेल' की 17 परेषण का सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात) -एसीसी, एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से आयात किया (जुलाई 2017 से जनवरी 2018)। आयातित माल को सीटीएच-85076000 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था और उपरोक्त अधिसूचना के क्रम. सं.- 203 के अनुसार 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी को उदग्रहित किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि आयातित माल ' लिथियम आयन एक्यूमुलेटर्स (मोबाइल फोन की बैटरी) के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिथियम आयन सेल' हैं। इसलिए आईजीएसटी को अनुसूची-IV की क्रम. सं. 139 के अनुसार 28 *प्रतिशत* की दर से उदग्रहित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, आईजीएसटी दर को गलत लागू करने के परिणामस्वरूप ₹62.84 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ, जिसे लागू ब्याज के साथ आयातकों से वसूल किया जाना था।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2019/फरवरी 2020), विभाग ने तीन आयातकों से ₹0.79 लाख (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी (मार्च 2020) और दो मामलों पर अधिनिर्णय और एक आयातक को पूर्व नोटिस परामर्श (पीएनसी) दिया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2021)।

3.8.5 'आईफोन (मोबाइल फोन)' के आयात पर अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 के अनुसार, किसी भी आयातित माल पर लागू शुल्क और टैरिफ मूल्यांकन की दर, धारा 46 के तहत घरेलू

उपभोग के लिए दर्ज माल के मामले में लागू दर और मूल्यांकन होगा, जिस तिथि को ऐसी माल के संबंध में एक बीई धारा 46 के तहत प्रस्तुत किया गया है। बशर्ते कि यदि कोई बीई जहाज की प्रविष्टि आवक की तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया है, तो बीई को ऐसी प्रविष्टि आवक की तिथि को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा जैसा भी मामला हो।

इसके अलावा, 14 दिसंबर 2017 की अधिसूचना संख्या 91/2017-सीमा शुल्क (बीसीडी) के अनुसार सीटीएच 85171290 के तहत आने वाले माल पर लागू शुल्क की दर 15 *प्रतिशत* थी। तदनुसार, बीसीडी 14 दिसंबर 2017 से उपरोक्त अधिसूचना की क्रम.संख्या (ए) (ii) के तहत 15 *प्रतिशत* की दर से आयातित माल 'आई फोन (मोबाइल फोन)' पर उदग्रहीत किया जाता है।

2017-18 की अवधि के दौरान**,** सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और हवाई अड्डा)**,** बेंगलुरु के माध्यम से सीटीएच 85171290 के तहत ₹19.92 करोड़ मूल्य के माल **'**आईफोन (मोबाइल फोन)**'** के आयात के लिए कुल छह बीई दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा में सभी बीई की नमूना जांच की गई और सभी छह बीई में ₹1.12 करोड़ की बीसीडी के कम उदग्रहण को बताया।

मेसर्स एएल प्राइवेट लिमिटेड (दिसंबर 2017) ने सीटीएच 85171290 के तहत बेंगलुरु के सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी और हवाई अड्डा) के माध्यम से माल 'आईफोन (मोबाइल फोन)' के छह परेषण आयात किए। लेखापरीक्षा की संवीक्षा से पता चला कि बीई 12 दिसंबर 2017 और 13 दिसंबर 2017 को दर्ज की गई थी और माल के इन सभी परेषणों की प्रविष्टि आवक की तिथि 14 दिसंबर 2017 और 15 दिसंबर 2017 थी। इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के परंतुक के अनुसार, इन मामलों में, शुल्क का निर्धारण प्रविष्टि आवक की तिथि पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, दिनांक 14 दिसंबर 2017 की अधिसूचना 91/2017-सीयू (बीसीडी) के अनुसार 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी उदग्रहित किया जाना चाहिए। हालांकि, विभाग ने बीसीडी की कम दर अर्थात 15 *प्रतिशत* के बजाय 10 *प्रतिशत* अपनाकर माल का निर्धारण किया। इसके

परिणामस्वरूप ₹1.12 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ जिसे आयातकों से लागू ब्याज सहित वसूल करना आवश्यक था।

इस विषय में बताए जाने पर (अप्रैल 2019), वित मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और ₹1.38 करोड़ के अंतर शुल्क की वसूली की सूचना दी (मार्च 2021) जिसमें ₹0.26 करोड़ का ब्याज शामिल था।

3.8.6 मोबाइल फोन के पॉपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) को अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति

मोबाइल फोन के पॉपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) सीटीएच 85177010 के तहत वर्गीकरणीय है और 2 अप्रैल 2018 से 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जाता हैं। (सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 36/2018-सीमा शुल्क दिनांक 2 अप्रैल 2018)।

782 बीई के तहत एसीसी, एनसीएच (आयात आयुक्तालय), दिल्ली के माध्यम से अप्रैल 2018 के दौरान किए गए ₹427 करोड़ मूल्य के सीटीएच 85177010 के तहत आयात को, लेखापरीक्षा ने "मोबाइल फोन के निर्माण के लिए पीसीबी असेंबली" के आयात के लिए पूरे डेटा को फ़िल्टर किया और यह पाया कि ₹11.64 करोड़ मूल्य के आयात वाले 22 बीई में ₹1.30 करोड़ का शुल्क कम उदग्रहित किया गया था।

मेसर्स एएम प्राइवेट लिमिटेड और आठ अन्य ने एसीसी, एनसीएच, दिल्ली के माध्यम से ₹11.64 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर 2 अप्रैल 2018 को मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए पीसीबी असेंबली के 22 परेषणों का आयात किया। माल को सीटीएच 85177010-पीसीबी के तहत सही रूप से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन शून्य दर पर बीसीडी के लिए निर्धारित किया गया था (सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 की क्र. सं. 13एस/ सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 57/2017 की क्र. सं.6 (क) (i))।

लेखापरीक्षा की संवीक्षा से पता चला कि माल को सही रूप से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 24/2005 की क्रम. सं. 13 एस का लाभ मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए पीसीबी असेंबली के लिए

विस्तारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 57/2017 के क्र. संख्या 6 (i) का लाभ 2 अप्रैल 2018 (सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 37 और 38/2018 दिनांक 2 अप्रैल 2018) से वापस ले लिया गया था। तदनुसार, आयातित माल शून्य के बजाय 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी के लिए उदग्राहय था। इस प्रकार, आयातित माल पर अधिसूचना लाभ की गलत अनुमति प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹1.30 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (सितंबर 2018), एनसीएच अधिकारियों ने पांच आयातकों[15] से ₹1.09 करोड़ (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी (मार्च 2020) और शेष चार आयातकों के संबंध में ₹45.03 लाख की मांग की पुष्टि की।

3.8.7 छूट की गलत अनुमति के कारण शुल्क का कम उदग्रहण

अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017, यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 75/2018-सीमा शुल्क दिनांक 11 अक्टूबर 2018 के अनुसार सीटीएच 8517 6290 के तहत आने वाले 'माल के अलावा अन्य सभी माल अर्थात्: (क) कलाई पर पहनने वाले उपकरण (आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में जाना जाता है) (ख) ऑप्टिकल परिवहन उपकरण (ग) एक या अधिक पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपत्तन उत्पाद या स्विच (पीओटीपी या पीओटीएस) का संयोजन (घ) ऑप्टिकल ट्रांसपत्तन नेटवर्क (ओटीएन) उत्पाद (ड.) आईपी रेडियो पर 10 *प्रतिशत* रियायती बीसीडी लगती हैं जबकि छूट प्राप्त के अलावा अन्य माल पर 20 *प्रतिशत* की बीसीडी उदग्राहय हैं।

एसीसी-नेदुम्बसेरी, केरल में सीटीएच 85176290 के तहत दर्ज किए गए ₹17.19 करोड़ के निर्धारण मूल्य के साथ कुल 102 बीई में से, लेखापरीक्षा ने ₹9.92 करोड़ के निर्धारण मूल्य के साथ 45 बीई की नमूना जांच की और ₹4.40 करोड़ के निर्धारण मूल्य वाले तीन बीई में ₹58.96 लाख के शुल्क के कम उदग्रहण को पाया।

[15] 1. मेसर्स एएन प्राइवेट लिमिटेड, 2. मेसर्स एओ, 3. मेसर्स एपी प्राइवेट लिमिटेड, 4. मेसर्स ए प्राइवेट लिमिटेड, 5. मेसर्स एएम प्राइवेट लिमिटेड

मेसर्स एक्यू लिमिटेड ने एसीसी-नेदुम्बसेरी, केरल के माध्यम से ₹4.40 करोड़ के कुल निर्धारण मूल्य के साथ माल के तीन परेषणों नामत: कैबिनेट, बोर्ड, टेलीफोन, की बोर्ड, ट्रांसीवर्स, रूटिंग सॉफ्टवेयर आदि का आयात किया था (जनवरी 2019)। माल को सीटीएच 8517 6290 के तहत वर्गीकृत किया गया था और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 57/2017 दिनांक 30 जून 2017 (क्रम. सं.20) के तहत छूट के लाभ की अनुमति देने के बाद 10 *प्रतिशत* पर बीसीडी का निर्धारण किया गया था। कुल एकत्रित शुल्क ₹1.34 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयातित माल पीओटीपी या पीओटीएस/ओटीएन उत्पाद, अर्थात् प्राप्ति, रूपांतरण और ट्रांसमिशन के लिए मशीनें या ध्वनि, चित्र या अन्य डेटा, जिसमें स्विचिंग और रूटिंग उपकरण आदि शामिल हैं, और इसलिए, उपर्युक्त अधिसूचना 57/2017 (क्रम.सं. 20) के तहत छूट के लिए पात्र नहीं थे। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹58.96 लाख की राशि के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (मई 2020/जनवरी 2021), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि आयातक को एससीएन जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)

3.8.8 लागू एंटी डंपिंग शुल्क (एडीडी) उदग्रहीत किए बिना आयात निकासी

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहां किसी भी माल को उसके सामान्य मूल्य से कम पर किसी भी देश से भारत को निर्यात किया जाता है, तो भारत में ऐसे माल के आयात पर, केंद्र सरकार, एक अधिसूचना द्वारा, एडीडी लागू कर सकती है। तदनुसार, डाइक्लोरोमिथेन (मेथिलीन क्लोराइड), क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड राल (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड मोनोमर, के होमो पॉलिमर, सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर, ऑफलोक्सीन एसिड और क्लियर फ्लोट ग्लास (मोटाई 4 मिमी से लेकर 12 मिमी तक) जैसी माल पर एडीडी लगाया गया था।

नमूना जांच में पता चला कि चार आयुक्तालयों[16] के माध्यम से आयात के छह मामलों में एडीडी नहीं लगाया गया था जिसका राजस्व निहितार्थ ₹2.06 करोड़ के था। विभाग ने तीन मामलों (₹1.64 करोड़) को स्वीकार किया और दो मामलों में ₹1.30 करोड़ की वसूली की सूचना दी। शेष तीन मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2021)।

इन मामलों में से, एक मामले पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है। ₹93.46 लाख के राजस्व निहितार्थ वाले शेष पांच मामले **अनुबंध 5** में वर्णित हैं।

क. डाइक्लोरोमिथेन (मेथिलीन क्लोराइड) आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क न लगाना

कोरिया से सीटीएच 29031200 के तहत वर्गीकरणीय डाइक्लोरोमेथेन (मेथिलीन क्लोराइड) के आयात पर यूएसडी 0.21 प्रति किलोग्राम की दर से एडीडी लगता है (अधिसूचना संख्या 24/2014-एडीडी दिनांक 21 मई 2014)।

सीमा शुल्क आयुक्तालय , कच्छ के तहत कस्टम हाउस, कांडला के माध्यम से आयातित (जुलाई से सितंबर 2018), सीटीएच 29031200 (निर्धारण मूल्य ₹9.05 करोड़) के तहत आयातों के कुल 11 बीई में से लेखापरीक्षा ने सात बीई (निर्धारण मुल्य ₹4.33 करोड़) की नमूना जांच की और बताया कि एक बीई में एडीडी (₹17.17 लाख की राशि) का कम उदग्रहण के साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र में ₹95.40 लाख के परित्यक्त शुल्क का परिणामी कम डेबिट हुआ।

मैसर्स एआर लिमिटेड ने अग्रिम प्राधिकार का उपयोग करते हुए एक बीई के तहत 639.589 एमटी "डाइक्लोरोमिथेन (मिथाइलीन क्लोराइड)" का आयात किया था (सितंबर 2018)। माल पर 0.21 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की दर से एडीडी लगता है; तदनुसार, लागू एडीडी की राशि को अग्रिम प्राधिकरण से डेबिट किया जाना आवश्यक था और देय आईजीएसटी राशि

[16] (i) सीमा शुल्क आयुक्तालय , कच्छ, (ii) जेएनसीएच, मुंबई, (iii) आईसीडी, तुगलकाबाद, (iv) कोलकाता सीमा शुल्क (पत्तन)

की गणना के लिए इसे ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाइसेंस धारक ने, न तो अपने अग्रिम प्राधिकार में लागू एडीडी राशि को डेबिट किया था और न ही आईजीएसटी की गणना के लिए इसे देय माना था। इसके परिणामस्वरूप ₹17.17 लाख की आईजीएसटी का कम उदग्रहण और इसके अलावा अग्रिम प्राधिकरण में ₹95.40 लाख के परित्यक्त शुल्क कम डेबिट हुआ था।

इस विषय में बताए जाने पर (दिसंबर 2018), विभाग ने बताया (फरवरी 2019), कि लाइसेंस धारक ने कुल ₹17.38 लाख की राशि का भुगतान किया था (दिसंबर 2018) जिसमें ब्याज शामिल था और प्रणाली में ₹95.40 लाख की शुल्क राशि को लाइसेंस से भी डेबिट किया गया था।

3.9 अन्य अनियमितताएं

आग में नष्ट हुए माल पर शुल्क का भुगतान न करना

सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन 2009 में कार्गो की हैंडलिंग के विनियम 5 (6) के तहत, संरक्षक सीमा शुल्क आयुक्त को माल की प्राप्ति, भंडारण, सुपुर्दगी, प्रेषण या अन्यथा हैंडलिंग के दौरान दुर्घटना, क्षति, गिरावट, विनाश या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण आयातित या निर्यात माल पर होने वाली हानि या क्षति के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व लेता है।

लेखापरीक्षा ने अहमदाबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय के अंतर्गत कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), अदलज में हुई आग दुर्घटना से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और इसके संरक्षक, मेसर्स एएस द्वारा ₹2.77 करोड़ के शुल्क का भुगतान न करने की अनियमितता के बारे में बताया।

एक आग दुर्घटना (जून 2016) के कारण, सीएफएस अदलज ने अपने कुल शुल्क मूल्य ₹2.77 करोड़ के संग्रहित माल को खो दिया था। तदनुसार, संरक्षक द्वारा नष्ट माल पर शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था जिसका भुगतान सीडब्ल्यूसी द्वारा नहीं किया गया था।

इस विषय में बताए जाने पर (अगस्त 2017) संरक्षक ने आपत्तिकृत शुल्क राशि ₹2.77 करोड़ का भुगतान किया (जून 2018 और जुलाई 2019)।

हालांकि, सीमा शुल्क, अहमदाबाद के प्रधान आयुक्त ने बाद में बताया (अक्टूबर 2019) कि सीडब्ल्यूसी ने सीमा शुल्क का गलत भुगतान किया था। विभाग ने बताया कि (i) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 23, घरेलू खपत के लिए निकासी से पहले किसी भी समय नष्ट हुए आयातित माल पर शुल्क माफी की अनुमति देती है; और (ii) केस लॉ सीईएसटीएटी निर्णय 2006 (201) ईएलटी 18 (ट्राई बैंग) और 2009 (247) ईएलटी 567 (ट्राई अहमद) में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 23 के तहत शुल्क माफी के संबंध में क्रमशः आयातकों मेसर्स जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड और मेसर्स आदित्य इंडस्ट्रीज के पक्ष में इसी तरह की आग की घटना के मामलें में निर्णय दिया गया है।

विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 23 और उपरोक्त सीईएसटीएटी निर्णय के प्रावधान ने वास्तव में माल के आयातकों को शुल्क माफी की अनुमति दी थी न कि संरक्षक को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि निकासी से पहले माल की जिम्मेदारी (घरेलू खपत के लिए) संरक्षक की है। लेखापरीक्षा तर्क को इस तथ्य द्वारा समर्थित किया गया था कि अधिसूचना 96/2010-सी.शु. (एनटी) दिनांक 12 नवंबर 2010 में' सीमा शुल्क क्षेत्र विनियम 2009' में कार्गो की हैंडलिंग, में विशिष्ट शर्तें 5 (1) (ii) और 5 (6) डाली गई, जिसके द्वारा सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता (सीसीएसपी) अर्थात, संरक्षक को कार्गों के लदान, उतराई प्रबंधन और भंडार के लिए 'सुरक्षा, सुरक्षित और विशाल परिसर' के लिए और' माल की प्राप्ति, भंडारण, वितरण, प्रेषण या अन्यथा हैंडलिंग के दौरान आयातित या निर्यातित माल की हानि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता से सीमा शुल्क को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। सीमा शुल्क परिपत्र 04/2011 दिनांक 10 जनवरी 2011 की क्रम. सं. 4 और 9 में यह निर्धारित किया गया था संसदीय समिति की सिफारिशों पर विनियमों में उपरोक्त शर्तों को नियमावली में शामिल किया गया था और सीमा शुल्क आयुक्तों को बिना कोई चूक इन आवश्यकताओं की पूर्णता सुनिश्चित करना अपेक्षित था।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने इस अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2021) कि आयुक्तालय ने पहले ही संरक्षक - मेसर्स एएस से ₹2.77 करोड़ की वसूली की है और ₹87.31 लाख के ब्याज की मांग के लिए एक एससीएन (सितंबर 2018) भी जारी किया है, जो अधिनिर्णयन के अधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

तथ्य यह रहा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद वसूली की गई थी। संरक्षक द्वारा न तो आग में नष्ट हुए माल पर शुल्क माफी के लिए कोई अनुरोध किया गया था और न ही सीमा शुल्क विभाग ने शुल्क माफी के लिए कोई आदेश जारी किया था। इसके अतिरिक्त, संरक्षक द्वारा बीमा कंपनी से जो दावा किया गया और भुगतान प्राप्त हुआ उसमें सीमा शुल्क भी शामिल था। मंत्रालय अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार कर सकता है।

3.10 निष्कर्ष

इस अध्याय में आयात के निर्धारणों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई वर्तमान अधिसुचनाओं, लागू सीमा टैरिफ शुल्क और उदग्रहणो का अनुपालन न करने के 102 मामलों पर प्रकाश डाला गया है। आयातित माल के गलत वर्गीकरण, छूट अधिसूचनाओं के गलत उपयोग या अन्य प्रभारों के गलत उदग्रहण के कारण शुल्क की गैर/कम वसूली होने के कारण ₹122 करोड़ का राजस्व जोखिम पर था।

मंत्रालय/विभाग ने 98 मामलों को स्वीकार कर लिया है और इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के समय ₹33 करोड़ की वसूली की है। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के समय चार मामलों में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था।

हालांकि मंत्रालय ने कई मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, लेकिन यह बताया जा सकता है कि ये केवल कुछ निदर्शी मामले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल-चूक की ऐसी त्रुटि, चाहे आरएमएस आधारित निर्धारण हो या मैनुअल निर्धारण हो, कई और मामलों में मौजूद हो सकती है।

यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई बड़ी संख्या में बीई का निर्धारण आरएमएस के माध्यम से किया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया कि प्रणाली आधारित निर्धारणों को सुगम बनाने के लिए आरएमएस में मैप किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे। आरएमएस में जोखिम मापदंडों के मानचित्रण और अद्यतन करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए।

अध्याय IV

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

4.1 प्रस्तावना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) व्यापार सुगमता में सुधार करने तथा व्यवसाय करने को सुगम बनाने पर फोकस करते हुए माल तथा सेवाओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए ढ़ाँचा प्रदान करती है। एफटीपी 2015-2020 को केन्द्र सरकार ने सशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) (एफटीडीआर) अधिनियम 1992, की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), एफटीपी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिसे डीजीएफटी तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाता है।

एफटीपी के अंतर्गत निर्यात संवर्धन योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) भारतीय योजनाओं से निर्यात: इनका उद्देश्य निर्यात में ढ़ाँचागत अक्षमताओं तथा संबंधित लागतों का समंजन करने के लिए पारितोषिक प्रदान करने तथा निर्यातको को माल के निर्यातों में समान अवसर प्रदान करना है। इस श्रेणी के तहत दो मुख्य योजनाएं भारत से व्यापारिक वस्तु निर्यात योजना[17] (एमईआईएस) तथा भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) है।

(ii) शुल्क छूट तथा माफी योजनाएं: ये निर्यात उत्पादन हेतु पूंजीगत माल और अन्य इनपुटों के शुल्क मुक्त आयातों या रियायती दरों पर आयातों अथवा निर्यातकों द्वारा निर्यातित माल के उत्पादन के दौरान वहन किए गए करों तथा शुल्कों से राहत उपलब्ध कराने के लिए शुल्क माफी को सक्षम बनाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत अग्रिम अधिकार, शुल्क मुक्त आयात अधिकार तथा शुल्क प्रतिअदायगी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। निर्यात संवर्धन

[17]एमईआईएस को 1 जनवरी 2021 से वापस ले लिया गया था।

पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजनाएं निर्यात माल के प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादन और सेवाओं के लिए शून्य/रियायती दरों के तहत पूंजीगत माल के आयात को सुगम बनाती है।

डीजीएफटी विभिन्न निर्यात संर्वधन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातको को पत्रक जारी करता है तथा 24 क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्व की जाँच करता है। सभी 24 आरए कम्पयूटरीकृत है तथा डीजीएफटी सेंट्रल सर्वर से जुड़े हुए हैं। डीजीएफटी द्वारा जारी पत्रक के माध्यम से आयातों को नियमित करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की जाती है तथा इन पत्रकों को संबंधित आयतक निर्यातक द्वारा आयुक्तालय के अधीन सीमा शुल्क हाउस में पंजीकृत किया जाता है। निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत इनपुटों तथा पूँजीगत माल के आयात को सीमा शुल्क से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दी गई है। ऐसे छूट प्राप्त माल के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्वो (ईओ) को पूरा करने के साथ-साथ अन्य निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने का वचन देते है इसमे विफल होने पर दी गई छूट अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूली योग्य हो जाती है। सीमा शुल्क विभाग की कार्यवाई के अतिरिक्त, लाइसेंसधारी जारी लाइसेंस की शर्तों को पूरा न करने हेतु एफटीडीआर अधिनियम 1992, के अंतर्गत डीजीएफटी द्वारा दांडिक कार्यवाही का दायी होगा।

एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत कुछ अन्य योजनाओं के संबंध में, ढ़ांचागत अक्षमताओं तथा संबंधित लागतो की भरपाई के लिए पुरस्कार के रूप में निर्यात के एफओबी मूल्य के कुछ *प्रतिशत* के रूप में संवर्धन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

4.2 निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानो का अननुपालन

लाइसेंस/लागत वसूली प्रभार/ वापसी मामलों /निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू)/घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) स्वीकृतियों के 68,682 अभिलेखों की संसृति में से लेखापरीक्षा में 8,488 मामलों के नमूने का चयन किया और नमूना जांच के दौरान 745 अभिलेखों में महत्वपूर्ण अनियमितताएं पायी गई

जो इस अध्याय में शामिल हैं। पायी गई अनियमितताओं में "अग्रिम प्राधिकार के प्रति ईओ की पूर्ति न करना", " ईपीसीजी प्राधिकार को अनियमित संयोजित करने और निर्वहन (ईओ अवधि 6/8 वर्ष)", "निरस्त माल की डीटीए में बिक्री पर शुल्क का भुगतान न करना", "ईओयू द्वारा डी-बॉन्डिंग होने पर शुल्क का कम उदग्रहण", "डीटीए में अतिरिक्त बिक्री पर शुल्क का कम उदग्रहण", "एमईआईएस के तहत अधिक डयूटी क्रेडिट की अनुमति", "अप्राप्त विदेशी मुद्रा के मामलों में प्रतिअदायगी की वसूली न करना" और "सेज में तैनात अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रभारों की वसूली न करना", आदि शामिल हैं।

संबंधित आरए/डीसी/आयुक्तालयों में पायी गई अपेक्षाकृत कम राशि वाली अभ्युक्तियां निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी की गई थीं।

इन 35 उच्च मूल्य वाले मामलों में कुल राजस्व निहितार्थ ₹21.09 करोड़ था जहाँ एफटीपी तथा प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका (एचबीपी) के प्रावधानों को पूरा किए बिना शुल्क छूट का लाभ लिया गया था। विभाग ने ₹10.49 करोड़ वाले 32 मामलो को स्वीकार किया तथा ₹6.31 करोड़ की वसूली की सूचना दी। इनमें से, 10 मामले की अनुगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ₹4.84 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाले शेष 25 मामले, जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था तथा की गई वसूली/ शुरू की गई वसूली प्रक्रियाए, **अनुबंध 6** में उल्लेखित हैं।

4.2.1 अग्रिम प्राधिकार योजना

(क) अग्रिम प्राधिकार के प्रति निर्यात दायित्व की पूर्ति न करना

एचबीपी, खंड-I, के पैराग्राफ 4.22 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 4.03 के अनुसार, अग्रिम प्राधिकार (एए) शुल्क मुक्त इनपुटों के आयात के लिए जारी किया जाता है जिसके लिए प्राधिकार जारी करने की तिथि से 18 महीने की अवधि के भीतर निर्धारित निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा किया जाना था। एचबीपी, खंड-I के पैराग्राफ 4.44 में यह निर्दिष्ट है कि प्राधिकार धारक ईओ अवधि की समाप्ति तिथि से दो महीने के भीतर निर्यात के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। निर्धारित ईओ को पूरा करने में विफलता

की स्थिति में, प्राधिकार धारक ब्याज सहित आयातित सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर परित्यक्त सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

2018-19 के दौरान परिपक्व ₹17,592.43 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 645 अग्रिम प्राधिकार (एए) लाइसेंसों में से, लेखापरीक्षा में ₹2,031.63 करोड़ की सीआईएफ मूल्य वाले क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए), बेंगलुरु में 126 लाइसेंस फाइलों की नमूना जांच की गई और पाया[18] कि मेसर्स एटी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु, ₹66.48 लाख के परित्यक्त शुल्क वाले एक एए लाइसेंस (संख्या 0710111077 दिनांक 3 फरवरी 2017) के संबंध में निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।

आरए, बेंगलुरु ने लाइसेंस जारी करने की तिथि से 18 महीने (अगस्त 2018) के भीतर ₹5.56 करोड़ के लिए निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्त के साथ ₹3.19 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के वाले "वायर क्लॉथ मेश एवं अन्य" के आयात के लिए मेसर्स एटी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को एए (सं. 0710111072, 3 फरवरी 2017) जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2019) कि लाइसेंसी ने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी), बेंगलुरु के माध्यम से माल आयात किया (ईडीआई बांड सं. 2001184888/10 फरवरी 2017) और ₹66.48 लाख के परित्यक्त शुल्क को डेबिट किया गया था। हालांकि, प्राधिकार धारक निर्धारित दायित्व अवधि बीत जाने के बाद भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। इस प्रकार, लाइसेंसी ₹29.56 लाख (अप्रैल 2020 तक) के ब्याज सहित ₹66.48 लाख का सीमा शुल्क देने हेतु उत्तरदायी था। हालांकि, विभाग ने शुल्क और ब्याज वसूलने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

यह बताए जाने पर (मार्च 2019), विभाग ने एक कारण बताओ नोटिस (अप्रैल 2019) जारी किया। इसी बीच, एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 4.49 के संदर्भ में पूरे आयात को नियमित करने के लिए प्राधिकार धारक के

[18]इसके अतिरिक्त, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट की संख्या के माध्यम से आरए, बेंगलुरु को 67 सापेक्ष लघु अभ्युक्तियां भी जारी की गईं।

अनुरोध (जुलाई 2019/मई 2020) को मानदंड समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार, आरए, बेंगलुरु ने प्राधिकार धारक को पूरे आयात को नियमित करने और शुल्कों का भुगतान करने का निर्देश दिया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीजीएफटी, नई दिल्ली ने आगे बताया (मार्च 2021) कि प्राधिकार धारक के अनुरोध के बाद मानदंड समिति ने मानदंडों को अनुमोदन दे दिया (अक्टूबर 2020)। परिणामस्वरूप, प्राधिकार धारक ने अधिक अप्रयुक्त आयातों पर ₹10.32 लाख का भुगतान किया और एक बार फिर आयात माल के मानदंडों की समीक्षा के लिए मानदंड समिति से संपर्क किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

4.2.2 निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना

(क) ईपीसीजी प्राधिकार को अनियमित संयोजित करने और निर्वहन

प्रक्रियाओं की पुस्तिका (एचबीपी), 2009-14 के पैराग्राफ 5.18 के साथ पठित पैराग्राफ 5.18.3 और 5.18.5 में यह निर्दिष्ट है कि प्राधिकार धारक, दो या अधिक ईपीसीजी प्राधिकारों को संयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी संयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयोजित प्राधिकार के लिए ईओ अवधि को पहले प्राधिकार के जारी होने की तिथि से गिना जाएगा।

1 सितंबर 2016 से 31 अगस्त 2017 की अवधि के दौरान ज़ोनल डीजीएफटी, कोलकाता, (क्षेत्रीय प्राधिकरण-आरए) द्वारा ईपीसीजी योजना के तहत जारी किए गए ₹369.60 करोड़ मूल्य वाले 933 लाइसेंसों में से, लेखापरीक्षा ने 182 लाइसेंसों की नमूना-जांच की और छः मामलों में ईपीसीजी प्राधिकारों के अनियमित निर्वहन के कारण सीमा शुल्क और ब्याज की गैर-वसूली को पाया।

मेसर्स एयू लिमिटेड (आईईसी सं. 0288017889) को ₹8.98 करोड़ की बचत शुल्क राशि के लिए एक ईपीसीजी प्राधिकार (19 फरवरी 2009) जारी किया गया था। फर्म ने 12 फरवरी 2008 और 31 मार्च 2009 के बीच अन्य पांच लाइसेंसों के साथ प्राधिकार के नियमितीकरण और मोचन के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया (10 अप्रैल 2015)। लाइसेंस धारक ने अपने

आवेदन दिनांक 10 अप्रैल 2015 में आगे सूचित किया कि एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक विवरण, संबंधित शिपिंग दस्तावेजों की प्रतियों और विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात, लाइसेंस धारक ने छह लाइसेंसों को संयोजित करने के लिए आवेदन किया (27 जून 2017) और उनके निर्वहन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए। आरए, कोलकाता ने संयोजित करने की पुष्टि की और 20 जुलाई 2017 को निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि छह प्राधिकारों में से सबसे पुराना (संख्या 0230002994), 12 फरवरी 2008 को जारी किया गया था। तदनुसार, उनके एकीकरण के लिए वैध ईओ अवधि 11 फरवरी 2016 तक थी। इस प्रकार, उपरोक्त एचबीपी प्रावधानों के अनुसार, 11 फरवरी 2016 के बाद संयोजित करने पर विचार करने की अनुमति नहीं थी, जिससे 20 जुलाई 2017 को जारी ईओडीसी अनियमित हो गया।

आगे की जांच में पता चला कि छह में से तीन लाइसेंस में ईओ की पूर्ति में कमी थी। उसी के संबंध में बचत शुल्क राशि ₹4.29 करोड़ थी, जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

यह बताए जाने पर (मार्च 2018), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2019) कि मामले को संदर्भ के लिए नोट कर लिया गया है और भविष्य में इस तरह के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने आगे सूचित किया कि फर्म ने अपने पत्र दिनांक 30 मई 2016 के माध्यम से निर्वहन के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया था और उसी दिन संयोजित करने के लिए फिर से जमा कर दिया था। लेखापरीक्षा को, न केवल आवेदन को पुन: प्रस्तुत करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था बल्कि तथ्य यह भी था कि संयोजित करने की वैध ईओ अवधि अर्थात 11 फरवरी 2016 समाप्त हो गई थी।

विभाग ने बाद में सूचित किया (सितंबर 2020) कि संयोजित करने के लिए प्रारंभिक आवेदन ईओ अवधि की वैधता के भीतर आयात निर्यात[19] फॉर्म (एएनएफ) 5 सी के साथ प्रस्तुत किया गया था; तदनुसार, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि को ध्यान में रखा गया था।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिनांक 10 अप्रैल 2015 का प्रारंभिक आवेदन अपूर्ण था जैसा कि इकाई द्वारा ही स्वं-घोषित किया गया था। जून 2017 में किया गया बाद का अनुरोध सबसे पुराने लाइसेंस की ईओ अवधि अर्थात फरवरी 2016 के पश्चात था; इसलिए लाइसेंसों का संयोजन अनियमित था।

(ख) ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा न करना

एफटीपी के पैराग्राफ 5.1 के अनुसार, ईपीसीजी योजना शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है, जो इस योजना के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचत शुल्क के छह गुना के बराबर ईओ के विषयाधीन है, जिसे प्राधिकार जारी करने की तिथि से छह साल के भीतर पूरा किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर ईओ की पूर्ति न होने की स्थिति में आयातक लागू ब्याज के साथ सीमा शुल्क का भुगतान करेगा।

एडिशनल डीजीएफटी, (आरए) बेंगलुरू में 2017-18 के दौरान ईओ के लिए परिपक्व हुई ₹734.73 करोड़ की बचत शुल्क राशि वाले 479 ईपीसीजी लाइसेंसों फाइल में से, लेखापरीक्षा ने ₹119.73 करोड़ की बचत शुल्क राशि के साथ 159 लाइसेंस फाइलों की नमूना जांच की और एक ईपीसीजी लाइसेंस के संबंध में ₹66.02 लाख की बचत शुल्क राशि के साथ ईओ की गैर-पूर्ति को बताया।

मैसर्स एवी, बेंगलुरु ने आयुक्त सीमा शुल्क (शहर), बेंगलुरु के अधीन आईसीडी व्हाइटफील्ड के माध्यम से दिनांक 11 मई 2011 के ईपीसीजी लाइसेंस का उपयोग करते हुए पूंजीगत सामान 'मिलिंग सिस्टम और अन्य' का आयात किया (जून 2011)। आयातक मई 2017 तक ईपीसीजी योजना के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क (₹66.02 लाख) के

[19] ईपीसीजी योजना के तहत ईओ पुन: निर्धारण के लिए प्रपत्र।

छह गुना (₹3.96 करोड़) के बराबर ईओ को पूरा करने के लिए उत्तरदायी था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातक निर्धारित ईओ अवधि अर्थात मई 2017 की समाप्ति के 36 महीनों के बाद भी कोई निर्यात करने और ईओ की पूर्ति के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा था। ईओ की पूर्ति न करने के कारण, ₹66.02 लाख बचत शुल्क राशि की आयातक से लागू ब्याज सहित वसूली अपेक्षित थी।

यह बताए जाने पर (अप्रैल 2019) विभाग ने बैंक गारंटी का नकदीकरण करके ₹15.75 लाख की वसूली की सूचना (अप्रैल 2020) दी। शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित थी (सितम्बर 2021)।

4.2.3 निर्यातोन्मुखी इकाईयां (ईओयू)

(क) निरस्त माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री करने पर शुल्क का भुगतान न करना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी)[20] 2015-2020 में यह उल्लेखित है कि निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को सामान्य डीटीए बिक्री पर लागू रियायती शुल्कों के भुगतान पर सीमा शुल्क अधिकारियों को पूर्व सूचना के तहत 50 *प्रतिशत* डीटीए बिक्री की समग्र निर्धारित सीमा के भीतर निरस्त माल को डीटीए में बेचने की अनुमति दी जाएगी।

एसइइपीजेड, मुंबई के अंतर्गत 149 ईओयू में से, जिनकी डीटीए बिक्री ₹3,463 करोड़ थी, लेखापरीक्षा ने 2018-19 में ₹544 करोड़ की डीटीए बिक्री के साथ 20 ईओयू की नमूना जांच की और एक मामले में ₹1.66 करोड़ की सीमा शुल्क के कम उदग्रहण को पाया।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए मैसर्स एडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन (एपीआर) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि इस इकाई ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹7.71 करोड़ और ₹2.21 करोड़ की राशि के निरस्त माल की डीटीए[21] में बिक्री को

[20] एफटीपी 2015-2020 का पैरा 6.08 (घ)

[21] एपीआर की क्रम सं.-35(ख)

मंजूरी दे दी थी। इकाई ने निरस्त माल की ऐसी डीटीए बिक्री पर कोई शुल्क नहीं दिया था और बताया कि दोनों एपीआर में सूचित लेन-देन में कुछ भी डीटीए बिक्री नहीं है बल्कि माल की खरीद प्रतिफल और निरस्त माल था। निरस्त माल और खरीद प्रतिफल के डीटीए बिक्री का विवरण लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। एक विनिर्माण इकाई में, खरीद प्रतिफल हमेशा कच्चा माल होगा, जबकि विनिर्माण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाले निरस्त माल और डीटीए बिक्री के तहत एपीआर में दिखाई देते हैं। इकाई द्वारा शुल्क के भुगतान के बिना निरस्त माल की डीटीए में बिक्री एफटीपी के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप ₹1.66 करोड़ के शुल्क का उदग्रहण नहीं किया गया है।

यह बताए जाने पर (नवम्बर 2018), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2019) तथा उसकी वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में अतिरिक्त बिक्री पर शुल्क का कम उदग्रहण

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 6.8 (क) अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान करता है कि ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयां रियायती शुल्कों के भुगतान पर निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 *प्रतिशत* तक माल की बिक्री कर सकती हैं। हालाँकि, एक से अधिक उत्पाद बनाने और निर्यात करने वाली इकाइयाँ इनमें से किसी भी उत्पाद को डीटीए में बिक्री कर सकती हैं, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 90 *प्रतिशत* तक, इस शर्त के अधीन कि कुल डीटीए बिक्री इकाई के कुल निर्यात के एफओबी मूल्य का *प्रतिशत* 50 के सर्वसमावेशी हकदारी से अधिक नहीं हो। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 23/2003-सीई दिनांक 31 मार्च 2003 से जुड़ी तालिका के क्रमांक 2 के साथ पठित इसकी शर्त 2 के अनुसार, एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 के उप पैराग्राफ (ए), (डी), (ई) और (जी) के अनुसार डीटीए में मंजूर किए गए माल को सीमा शुल्क की रियायती दर के बराबर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

जीएसटी और सीई रेंज वी, डिवीजन II (पादरा), वडोदरा I आयुक्तालय के तहत ईओयू की मेसर्स एएक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान डीटीए में 43 प्रकार की वस्तुओं की निकासी की थी। लेखापरीक्षा ने इन सभी मदों (कुल ₹33.57 करोड़ रुपये का मूल्य शामिल है) की डीटीए निकासी और निर्यात का परस्पर मिलान किया और एक मद (एज़ैथियोप्रिन) की डीटीए निकासी के संबंध में ₹58.20 लाख की अभ्युक्ति को बताया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने 2014-15 से 2016-17 के दौरान शुल्क की रियायती दर पर डीटीए में ₹19.34 करोड़ मूल्य के "एज़ैथियोप्रिन" की निकासी की थी, हालांकि पिछले वर्ष (2014-15) के दौरान एज़ैथियोप्रिन का कोई निर्यात नहीं किया गया था और 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमश: ₹2.71 लाख और ₹2.85 लाख मूल्य के निर्यात ही किए गए थे। तदनुसार, ₹2.44 लाख (₹2.71 लाख का 90 *प्रतिशत*) मूल्य के एज़ैथियोप्रीन की डीटीए बिक्री पात्रता के सापेक्ष, ₹19.34 करोड़ मूल्य के माल को डीटीए में निकासी की थी। इसके परिणामस्वरूप, शुल्क की रियायती दर पर ₹19.32 करोड़ मूल्य के माल की अधिक निकासी हुई। इस प्रकार, डीटीए में अधिक निकासी पर लागू ब्याज सहित ₹58.20 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण वसूली योग्य था।

यह बताए जाने पर (नवंबर 2017), अपर आयुक्त, सीजीएसटी और सीई-I, वडोदरा-I ने ब्याज और जुर्माना सहित जनवरी 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹78.63 लाख की मांग की पुष्टि (मई 2019) की। हालांकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (फरवरी 2021) ने बताया कि आयुक्त, सीजीएसटी और सीई, अपील वडोदरा ने 30 जुलाई 2020 की अपील में एक अपील में आरोपित आदेश को खारिज कर दिया और मामले को नए अधिनिर्णयन के लिए अधिनिर्णयन प्राधिकारी को वापस भेज दिया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

(ग) ईओयू द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय (एनएफई) की अप्राप्ति के कारण डी-बॉन्डिंग पर शुल्क का कम उद्ग्रहण

अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु दिनांक 31 मार्च 2003 के अनुसार, सौ *प्रतिशत* निर्यात उन्मुख इकाई (100 *प्रतिशत* ईओयू) के संबंध में, पूंजीगत वस्तुओं की निकासी या डी-बॉन्डिंग के मूल्यह्रासित मूल्य पर निकासी और निकासी या डी-बॉन्डिंग की तिथि को लागू दर पर शुल्क के भुगतान पर अनुमति दी जा सकती है, जैसा मामला हो, यदि इकाई ने निकासी या डी-बॉन्डिंग के समय पूंजीगत वस्तुओं पर स्वीकार्य मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) मानदंडों को पूरा किया है"। उक्त सकारात्मक एनएफई को प्राप्त करने में विफलता के मामले में, प्राप्त एनएफई के अनुपात में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य पर मूल्यह्रास की अनुमति दी जाएगी।

मेसर्स के लिमिटेड, (समग्र विनिर्माण प्रभाग - 100 *प्रतिशत* ईओयू), बेंगलुरू ने (फरवरी 2016) अपने आयातित पूंजीगत वस्तुओं (मानक सहायक उपकरण के साथ हॉट एयर आटोक्लेव) पर ₹1.18 करोड़ के शुल्क का भुगतान करके ₹6.79 करोड़ के मूल्यह्रास मूल्य पर डी-बॉन्ड किया। पांच वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए ₹4.53 करोड़ के मूल्यह्रास की अनुमति दी गई थी, हालांकि यह सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति के अधीन रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई ने 19.58 *प्रतिशत* एनएफई प्राप्त किया है और यह केवल ₹4.53 करोड़ की अनुमति के मुकाबले ₹88.60 लाख के आनुपातिक अवमूल्यन के लिए पात्र था। इसके परिणामस्वरूप ₹63.29 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ, जो ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

यह बताए जाने पर (मार्च/अक्टूबर 2019), डिप्टी डीजीएफटी, बैंगलोर ने ₹48.25 लाख के ब्याज के साथ ₹63.29 लाख की वसूली की सूचना दी।

4.2.4 भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस)

(क) गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट का अनुदान

भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस), एफटीपी, 2015-20 के अध्याय 3 के तहत एक निर्यात संवर्धन योजना है जो प्रक्रियाओं की हैंडबुक खंड-I, के परिशिष्ट 3 बी में निर्धारित दरों पर शुल्क ऋण का प्रावधान करता है। प्रतिफल की गणना मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात के एफओबी मूल्य पर या शिपिंग बिलों में दिए गए निर्यात के एफओबी मूल्य पर होगी, जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। 'निर्मित्त वस्तुएं' के अलावा अन्य बेड लिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन, कपास के किचन लिनन, हथकरघा के अलावा' का निर्यात क्रमशः एचबीपी/एमईआईएस शेड्यूल के परिशिष्ट 3 बी के क्रम संख्या 2762/2781 (एचएसएन 6302/6304) के तहत दो *प्रतिशत* के शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र हैं।

शीर्षक 6307 के लिए एचएसएन में "किसी भी कपड़े की सामग्री के "निर्मित्त वस्तुएं" शामिल हैं, जो विशेष रूप से खंड XI के किसी अन्य शीर्षक में या नामकरण में कहीं और शामिल नहीं हैं।

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (जेडीजीएफटी), मदुरै द्वारा ₹176.31 करोड़ के मूल्य के लिए जारी किए गए कुल 2,507 एमईआईएस स्क्रिप्स के सापेक्ष लेखापरीक्षा ने ₹18.68 करोड़ मूल्य के 234 एमईआईएस स्क्रिपों की नमूना जांच की और 70 लाइसेंसों में ₹94.62 लाख के शुल्क क्रेडिट के अधिक अनुदान को बताया किया।

मेसर्स एवाई और पांच अन्य ने 70 लाइसेंसों में आईटीसी (एचएस) 63079020 और 63079090 के तहत ओवन होल्डर, कॉटन एप्रन, कॉटन पॉट होल्डर, कॉटन डस्ट शीट, कॉटन पाउच, कॉटन पिलो कवर आदि का निर्यात किया। जेडीजीएफटी ने एचबीपी के परिशिष्ट 3बी के क्रमांक 2780/2825/2826 के तहत माल के निर्यात के लिए गलत तरीके से पांच *प्रतिशत* का शुल्क क्रेडिट प्रदान किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्यात की गई वस्तुएं अर्थात 'रसोई के लिनेन' 'निर्मित वस्तु' हैं और चूंकि रसोई लिनन के लिए परिशिष्ट 3 बी के क्रमांक 2762 के साथ आईटीसी एचएस के तहत एक विशिष्ट कोड 63029190 है, इसलिए इस माल को, इसी आईटीसी एचएस कोड के तहत उचित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, और परिशिष्ट के क्रमांक 2825 के तहत 5 *प्रतिशत* के बजाय 2 *प्रतिशत* के शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र है। इसी तरह, निर्यात की गई वस्तुएं अर्थात 'पिलो केस और पिलो स्लिप्स आईटीसी एचएस कोड 63049239 के तहत वर्गीकृत हैं क्योंकि वे हथकरघा उत्पाद नहीं हैं बल्कि पावरलूम उत्पाद हैं और तदनुसार परिशिष्ट के क्रम संख्या 2780 के तहत 5 *प्रतिशत* की बजाय परिशिष्ट के क्रम संख्या 2781 के तहत 2 *प्रतिशत* के शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र हैं। इसलिए, निर्यातित माल परिशिष्ट 3ख के क्रमांक 2762/2781 के तहत केवल 2 *प्रतिशत* शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र हैं। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹94.62 लाख के शुल्क क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ।

यह बताए जाने पर (जुलाई/अगस्त/सितंबर 2019), जेडीजीएफटी, मदुरै ने ब्याज सहित ₹69.31 लाख की वसूली (मार्च 2021) की सूचना दी (मैसर्स एजेड एंड संस ₹0.32 लाख, मैसर्स एवाई ₹63.06 लाख, मैसर्स एएए-₹5.50 लाख और मैसर्स एएबी-₹0.43 लाख)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

4.2.5 शुल्क प्रतिअदायगी योजना

(क) अप्राप्त निर्यात आय के मामलों में प्रतिअदायगी की वसूली न करना

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, प्रतिअदायगी नियम, 2017 के उप-नियम 18(2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 (I) के प्रावधानों के अनुसार, जहां एक निर्यातक को प्रतिअदायगी की राशि का भुगतान किया गया है लेकिन इस तरह के निर्यात के संबंध में बिक्री की आय निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होती है, भुगतान की गई प्रतिअदायगी निर्यातक से वसूली योग्य होगी। निर्यातक को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अनुसार निर्धारित या विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात आय की वसूली का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 की धारा 9 के अनुसार, निर्यात की तिथि से नौ महीने के भीतर माल का निर्यात मूल्य प्राप्त किया जाएगा और भारत को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), सनथनगर, हैदराबाद के माध्यम से 50,285 शिपिंग बिलों (एसबी) में जिनमें एफओबी मूल्य ₹2,467.59 करोड़ के माल का निर्यात (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) किया गया था, लेखापरीक्षा ने ₹823.53 करोड़ मूल्य के निर्यात किए गए माल के लिए 1,245 एसबी की नमूना जांच की और ₹36.38 करोड़ मूल्य के निर्यात किए गए माल के 16 एसबी में विदेशी मुद्रा की गैर-वसूली को बताया जिसमें ₹72.77 लाख की स्वीकृत प्रति-अदायगी शामिल थी।

वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए सीमा शुल्क निर्यात आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 16 एसबी के संबंध में सात निर्यातकों को प्रति-अदायगी के रूप में ₹72.77 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। हालांकि, इन एसबी के परस्पर सत्यापन और डीजीएफटी वेबसाइट पर निर्यात आय की वसूली के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त निर्यातकों के संबंध में बिक्री आय 10 से 20 महीनों की अवधि के अंतराल के बाद भी प्राप्त नहीं की गई थी। तदनुसार, निर्यात आय की प्राप्ति न होने के कारण निर्यातकों से ₹72.77 लाख की प्रति-अदायगी शुल्क की राशि वसूली योग्य थी।

यह बताए जाने पर (जनवरी 2020), प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, हैदराबाद ने बताया (मार्च 2021) कि 16 एसबी में से, निर्यातकों ने 15 एसबी के संबंध में ब्याज के साथ प्रति-अदायगी राशि के अंतर का भुगतान किया था। तथापि, वसूल की गई वास्तविक प्रति-अदायगी राशि को प्रस्तुत नहीं किया गया है। शेष एसबी के संबंध में, एससीएन जारी किया गया था (मार्च 2020) और अधिनिर्णयन के अधीन था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)

4.2.6 विशेष आर्थिक क्षेत्र

(क) सेज़/आईसीडी/सीएफएस में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रभारों की वसूली न होना

निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) योजना शुरू की गई थी (अप्रैल 2000)।

भारत सरकार (जीओआई), वाणिज्य विभाग (सेज डिवीजन) के परिपत्र एफ.सं.ए-1/3/2008-सेज दिनांक 16 सितंबर 2010 के अनुसार, वास्तविक के अनुसार एसईजेड में तैनात कार्मिकों के वेतन और भत्ते के लिए सभी व्यय जैसे छुट्टी वेतन योगदान और पेंशन योगदान (नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में) लागू वेतन बैंड और ग्रेड पे पर डेवलपर्स द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार, संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त (डीसी) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वेतन और भत्ता व्यय के कारण लागत वसूली शुल्क को वसूल करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय वर्ष के बाद प्रत्येक छमाही के लिए, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने के पंद्रहवें दिन तक मांग की जानी चाहिए और भुगतान उस छमाही के शुरू होने से पहले किया जाना है जिसके लिए मांग जारी की गई है। भुगतान में देरी होने पर 12 *प्रतिशत* का दंडात्मक ब्याज लग सकता है।

इसी तरह, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) के पत्र संख्या 11018/9/91-विज्ञापन IV, दिनांक 1 अप्रैल 1991, के अनुसार संरक्षकों[22] (आईसीडी/सीएफएस) को लागत वसूली के आधार पर तैनात सीमा शुल्क कार्मिकों के संबंध में पोस्ट की औसत लागत के 1.85 गुना, प्लस डीए, सीसीए, एचआरए आदि की एक समान दर पर लागत वसूली शुल्क (सीआरसी) का भुगतान करना आवश्यक है।

[22] संरक्षक- सीमा शुल्क क्षेत्र में उतारे गए सभी आयातित माल के संबंध में सीमा शुल्क आयुक्त को एक संरक्षक नियुक्त करना होता है जिसके तहत आयातित माल घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी मिलने तक रहेगा, या कानून में दिए गए अनुसार गोदाम में या स्थानांतरित किया जाता है।

इसके अलावा, परिपत्र संख्या 52/97-सीमा शुल्क दिनांक 17 अक्टूबर 1997, संख्या 80/98-सीमा शुल्क दिनांक 26 अक्टूबर 1998 के अनुसार, सीमा शुल्क आयुक्त आईसीडी/सीएफएस में तैनात कार्मिकों की संख्या के लिए तीन महीने के लिए अग्रिम लागत वसूली शुल्क जमा स्वीकार करेंगे।

डीसी, सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीज़ेड) सेज़, मुंबई और कस्टम हाउस, दाहेज, आयुक्तालय-सीमा शुल्क, अहमदाबाद के अन्तर्गत के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लागत वसूली शुल्क (सीआरसी) के प्रति ₹9.30 करोड़ की कुल मांग के सापेक्ष मार्च 2013 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए 18 इकाइयों से ₹6.09 करोड़ शेष था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि डीसी, एसईईपीज़ेड के तहत 13 इकाइयों में से 12 इकाइयों[23] ने स्थापना के बाद से सीआरसी का भुगतान नहीं किया था और ₹5.53 करोड़ की राशि तीन से सात वर्षों के बीत जाने के बाद भी वसूल नहीं की गई थी। उक्त प्रावधानों के अनुसार अग्रिम रूप से मांग उठाने के स्थान पर पदस्थापन अवधि पूर्ण होने के बाद ही मांगों को उठाया गया था। सीमा शुल्क हाउस दाहेज के तहत पांच इकाइयों ने ₹56.08 लाख के लागत वसूली प्रभारों का कम भुगतान किया था।

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में विभाग द्वारा अग्रिम रूप से समय पर मांग उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.09 करोड़ तक की लंबित सीआरसी का संचयन हुआ।

[23] सभी एमआईडीसी (पुणे, औरंगाबाद, लातूर, फल्टन सेज, केसुरदी और नांदेड़), मेसर्स एएसी इंटरनेशनल लिमिटेड, मेसर्स एएडी सेज (औरंगाबाद), मेसर्स एएई पावर कंपनी लिमिटेड, मेसर्स एएएफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, मेसर्स एएजी जेम्स लिमिटेड और मेसर्स एएएच लिमिटेड.

इस विषय में बताए जाने पर (जुलाई/अगस्त 2018/मार्च 2020), प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, अहमदाबाद ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (दिसंबर 2019) कि पांच इकाईयों से ₹56.08 लाख की आपत्तिकृत राशि वसूल कर ली गई है। डीसी, एसईईपीज़ेड का उत्तर प्रतीक्षित है (सितंबर 2021)।

नई दिल्ली **(कार्तिकेय माथुर)**
दिनांक: 06 दिसम्बर 2021 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 10 दिसम्बर 2021 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुबंध

अनुबंध: 1

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर तथ्य पत्रक

1 अप्रैल 2020 तक (संदर्भ पैराग्राफ 1.9)

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या	**421**		
अधिसूचित सेज़ की संख्या	354 प्लस 7 केंद्र सरकार प्लस 12 राज्य/निजी. सेज़		
परिचालित सेज़	248		
सेज़ में अनुमोदित ईकाइयां	5,524		
निवेश	**निवेश (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील निवेश**	**कुल निवेश (1 अप्रैल 2020 तक)**
केन्द्र सरकार सेज़	₹2,279 करोड़	₹1,18,278 करोड़	₹20,557 करोड़
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज़	₹1,756 करोड़	₹11,777 करोड़	₹13,534 करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	-	₹5,37,644 करोड़	₹4,75,693 करोड़
कुल	**₹4,035 करोड़**	**₹5,67,699 करोड़**	**₹5,71,735 करोड़**
रोजगार	**रोजगार (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील रोजगार**	**कुल रोजगार (1 अप्रैल 2020 तक)**
केंद्र सरकार के सेज़	1,22,236 व्यक्ति	75,541 व्यक्ति	1,97,777 व्यक्ति
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज़	12,468 व्यक्ति	96,656 व्यक्ति	1,09,124 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	0	19,31,404 व्यक्ति	19,31,404 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**21,03,601 व्यक्ति**	**22,38,305 व्यक्ति**
निर्यात निष्पादन			
वर्ष	**निर्यात**		**वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत**
वि.व. 16	4,67,337		1
वि.व. 17	5,23,637		12
वि.व. 18	5,81,033		11
वि.व. 19	7,01,179		21
वि.व. 20	7,96,669		14

कुल निवेश	**2015-16 ₹ करोड़ में**	**2016-17 ₹ करोड़ में**	**2017-18 ₹ करोड़ में**	**2018-19 ₹ करोड़ में**	**2019-20 ₹ करोड़ में**
केंद्र सरकार के सेज़	15,178	15,974	19,381	18,677	20,557
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज़	10,169	11,478	12,952	13,274	13,534
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	3,51,147	4,05,690	4,59,979	4,75,693	5,37,644
कुल	**3,76,494**	**4,33,142**	**4,92,312**	**5,07,644**	**5,71,735**
रोजगार (व्यक्ति में)	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
केंद्र सरकार के सेज़	2,38,382	2,34,861	2,39,870	2,28,037	1,97,777
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज़	84,004	95,970	1,00,669	1,03,052	1,09,124
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	12,68,995	14,48,020	16,56,071	17,29,966	19,31,404
कुल	**15,91,381**	**17,78,851**	**19,96,610**	**20,61,055**	22,38,305

स्रोत: www.sezindia.nic.in

अनुबंध: 2

डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवंचन के मामले (योजना-वार)

(संदर्भ पैराग्राफ 1.13.1)

क्र.सं.	योजना	वि.व.16	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 20
		मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या
		शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
1	अंतिम उपयोग और अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरुपयोग।	69	29	48	60	17
		770.48	15.91	117.50	539.47	117.90
2	ईपीसीजी का दुरूपयोग	64	53	37	32	77
		454.92	311.96	237.47	72.90	389.42
3	अवमूल्यांकन	92	154	346	80	45
		254.37	184.89	1825.42	301.01	106.85
4	गलत घोषणा करना	112	167	163	211	179
		1,187.61	309.09	184.72	791.89	349.45
5	प्रतिअदायगी योजना का दुरूपयोग	94	58	146	21	83
		1,150.46	99.70	40.22	6.87	257.71
6	ईओयू /ईपीजेड/सेज़ का दुरूपयोग	18	6	3	3	2
		9.54	37.34	1.05	4.95	1.57
7	डीईईसी / अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	12	55	79	178	70
		15.21	265.21	293.54	3,433.40	335.73
8	अन्य	170	145	118	167	288
		2,780.73	198.08	364.74	1,077.70	624.80
	कुल	**631**	**667**	**940**	**752**	**761**
		6,623.32	**1,422.18**	**3,064.65**	**6,228.19**	**2,183.43**
	शामिल वस्तु					**रेडीमेड कपड़े, सीआरजीओ कॉइल्स, फ्थैलिक एनहाइड्राइड, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, सिरेमिक रोलर, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, ठंडा झींगा और झींगा, प्राकृतिक रबड़ इत्यादि**

स्रोत: डीआरआई, नई दिल्ली पत्र दिनांकित 3 मार्च 2021

अनुबंध: 3
आयातों का गलत वर्गीकरण

(संदर्भ पैराग्राफ 3.7)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
1	6	गलत वर्गीकरण के कारण आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	14.38	14.38	17.82	आईसीडी, इरुगट्टुकोट्टई	डोर ग्लास
2	8	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	44.54	44.54	55.73	आईसीडी, इरुगट्टुकोट्टई	स्टियरिंग कॉलम और एयर बैग
3	14	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.29	14.29	17.58	सीमा शुल्क आयुक्त (चेन्नई II)	ब्रैकेट कैम शाफ्ट
4	23	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	25.02	207.00		सीमा शुल्क आयुक्त (चेन्नई II)	पामेस्टर
5	28	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.61	12.61		सीमा शुल्क हाउस मुंद्रा	रि-मेल्टेड जिंक
6	30	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.12	11.12	14.53	एसीसी, बेंगलुरु	नियंत्रक इकाई
7	33	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	9.93	9.93	12.85	एसीसी, बेंगलुरु	थर्मल इंजन थियोन सेंसर एसए
8	37	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.25	8.25	10.75	एसीसी , बेंगलुरू	अकार मापने वाले उपकरण
9	38	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.31	11.15	11.15	तुगलकाबाद, दिल्ली	मशीन से बने नाइलोन टफेड कारपेट
10	39	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	27.90	27.90	33.68	एनसीएच, आयात, दिल्ली	हाइड्रोलिक पंप
11	41	गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	43.13	14.75	15.91	सीमा शुल्क आयुक्त, हैदराबाद	स्वेटर और नई सूती जैकेट

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
12	54	गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	23.91	23.91	24.31	चेन्नई (समुद्र)	रेल-सह-सड़क वाहन
13	62	माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	19.44	19.50	19.50	एनसीएच, आयात, दिल्ली	आई बोल्ट / कॉटेंक्ट बोल्ट
14	63	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.57	11.76	11.76	एनसीएच, आयात, दिल्ली	टैक्सीअल / पीक अप एक्सीलरोमीटर
15	65	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	27.08	27.08	31.42	एनसीएच, आयात, दिल्ली	पीक अप जायप्रोस्कोप
16	66	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	25.36	25.36	0.35	सीमा शुल्क आयुक्त, हैदराबाद	इन्फ्रारेड / फ्लो माइक्रोस्कोप
17	70	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.56	15.56	21.02	तुगलकाबाद, दिल्ली	पल्सर कॉइल/प्लेट
18	71	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.86	18.86		एनसीएच, आयात, दिल्ली	आउटडोर क्वाड/ड्यूल/पैंटा बैंड
19	72	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.77	2.93	2.93	एनसीएच, मुंबई	सन ग्लासेस/गोगल्स
20	74	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.87	12.87	16.50	एनसीएच (आयात) दिल्ली	रिसीवर ट्रांसमीटर
21	75	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.86	12.86	14.08	एनसीएच (आयात) दिल्ली	कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर
22	77	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	9.92	9.92	11.22	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	पॉली कोटेड पेपर
23	78	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	46.47	4.34	4.34	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	कॉनीकल स्प्रिंग्स

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
24	79	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क (आईजीएसटी) का कम उद्ग्रहण	10.01	10.01	17.03	जेएनसीएच, मुंबई	आर्गन ऑयल वेक्स, ग्रीन एप्पल वेक्स, गोल्ड वेक्स, पर्ल वेक्स
25	83	कोटेड फेब्रीक के गलत वर्गीकरण के कारण ब्याज और आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	11.94	11.94	12.40	सीमा शुल्क (पत्तन), कोलकाता	कोटेड फेबरिक
26	84	आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.44	11.44		सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, पेट्रापोल	आयरन और स्टील शाफ्ट
27	87	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	38.39	7.50	3.84	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	पॉलिएस्टर से बने रिबन/ वेव टेप /वेबिंग
28	88	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.42	23.42		एनसीएच (आयात), दिल्ली	एयर क्राफ्ट के लिए फ्यूल मीटर
29	89	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	13.56	13.56	14.59	आईसीडी, पटपड़गंज, दिल्ली	लेच बक्कल, प्लेट और लॉक बार
30	90	अधिसूचना लाभ की गलत स्वीकृति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.62	11.62		एनसीएच (आयात), दिल्ली	एयर कंडीशनर का डिस्प्ले पीसीबी और पीसीबी
31	96	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	20.75	20.75	12.91	एनसीएच (आयात), दिल्ली	मोटर साईकिल/दूपहिया पार्टस
32	97	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	32.60	32.60		एनसीएच, मुंबई	वाटर फिल्टर पार्ट्स
33	111	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	43.79	43.79		आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	डिस्चार्ज वाल्व
34	113	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	36.17	36.17	36.17	एनसीएच (आयात) दिल्ली	एयर कंडीशनर के लिए ओडीयू नियंत्रक इकाई

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
35	114	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	44.95	44.95		एनसीएच(आयात) दिल्ली	ब्लूटूथ मॉड्यूल
36	117	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	27.64	27.64	35.96	एनसीएच (आयात) दिल्ली	मोबाइल फोन
37	119	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	9.78	10.64	5.13	एनसीएच (आयात) दिल्ली	फीट अल्टीमीटर/ एन्कोडिंग अल्टीमीटर
38	121	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.58	12.04	0.11	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	पीसीबी के लिए सोल्डर मास्क
39	125	तस्करी के सामान पर दी गई अस्वीकार्य छूट और गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	21.72	21.72		सीमा शुल्क, शिलांग	माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड
40	129	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	42.38	42.38	64.00	सीसेज़, कक्कानड़, कोच्चि	केबल ऐसेम्बली
41	137	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	41.35	41.35	51.08	एनसीएच (आयात) दिल्ली	हीट एक्सचेंजर्स
		कुल	**915.24**	**984.39**	**600.65**		

अनुबंध : 4

छूट अधिसूचना को गलत लागू करना

(संदर्भ पैराग्राफ 3.8)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
1	2	आईजीएसटी दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.36	11.28	11.28	चेन्नई (समुद्र)	जिम उपकरण
2	3	मूल सीमा शुल्क दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.71	10.71	11.84	चेन्नई (समुद्र)	जेन्टस जूते
3	4	बीसीडी की दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	17.29	17.29		आईसीडी, चेन्नई	कृषि मशीनरी के घटक/पुर्जे
4	5	अधिसूचना लाभ के गलत विस्तार के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.64	10.64	12.99	चेन्नई (वायु)	झींगा फ़ीड / शिरीम्प फ़ीड
5	9	आईजीएसटी दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	38.67	38.67	50.41	सीमा शुल्क (चेन्नई-II)	पंप असेंबली इंजन ऑइल
6	11	आईजीएसटी का भुगतान न करना	32.70	32.70		सीमा शुल्क (पतन), कोलकाता	स्टैंडर्ड न्यूज प्रिंट
7	25	गलत छूट स्वीकृति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	22.27	22.27		सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन	आईपी निगरानी और अभिगम नियंत्रण प्रणाली
8	34	टैरिफ मूल्य के कम निर्धारण के कारण मूल सीमा शुल्क और एकीकृत कर का कम उद्ग्रहण	44.99	44.99	46.31	एसीसी, अहमदाबाद	थर्मल इंजन थियोन सेंसर एसए
9	55	आईजीएसटी अनुसूची के तहत माल के गलत वर्गीकरण के कारण एकीकृत कर (आईजीएसटी) का कम उद्ग्रहण	10.70	10.70	13.80	सीमा शुल्क हाउस, मुंद्रा	बिटुमेन 60/70 ग्रेड और कार्बन ब्लैक

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
10	57	आईजीएसटी अनुसूची के तहत माल के गलत वर्गीकरण के कारण एकीकृत कर (आईजीएसटी) का कम उद्ग्रहण	11.27	11.27	13.32	एसीसी, अहमदाबाद	पम्प एसेम्बली फुल बूस्ट
11	59	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	16.81	16.81	12.73	एसीसी, शमशाबाद	विद्युत एक्यूमूलेटर के लिए प्लास्टिक के भाग
12	61	सौर सेलों पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण न करना	21.98	21.98	23.47	सीमा शुल्क (चेन्नई-II), सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई	सौर सेल
13	93	आईजीएसटी का उद्ग्रहण न करना	9.10	9.10	10.51	पुणे	एनवीएच टेस्ट बेंच-प्रयुक्त पावर ट्रेन ध्वनिक
14	95	अधिसूचना लाभ के गलत स्वीकृति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.63	11.63	12.01	सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी तुगलकाबाद नई दिल्ली	ई-रिक्शा/ऑटोमोबाइल के पुर्जे
15	109	गलत आईजीएसटी दर के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.10	8.52	8.52	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	वॉटर पम्प
16	110	सामाजिक कल्याण अधिभार के अनुद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि	10.02			सीमा शुल्क (विमान पत्तन), कोलकाता	बैगेज
17	116	अधिसूचना लाभ की गलत स्वीकृति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	20.20	20.20		एसीसी, एनसीएच (आयात) आयुक्तालय , दिल्ली	जीइस सर्जिकल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप
18	126	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	31.96	31.96	0.15	सीमा शुल्क (एनएस-5), जेएनसीएच	कंप्यूटर मॉनिटर्स
19	130	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	33.04	33.04	14.36	एनसीएच, दिल्ली	विभिन्न मशीने/पुर्जे

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
20	135	आईजीएसटी दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	28.60	6.49	6.49	एनसीएच (आयात) दिल्ली	वॉटर पम्प के हिस्से
21	140	अधिसूचना लाभ की गलत प्राप्ति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	48.87	48.87		सीमा शुल्क (आयात) -एनएस -1, जेएनसीएच, मुंबई	केवल कॉस्मेटिक और औद्योगिक उपयोग के लिए तेल
		कुल	**454.91**	**419.12**	**248.19**		

अनुबंध:5
छूट अधिसूचना को गलत लागू करना

(संदर्भ पैराग्राफ 3.8.8)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
1	91	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	14.35	14.35	17.58	जेएनसीएच, मुंबई	क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड रेसिन (सीपीवीसी)
2	92	एंटी डंपिंग शुल्क का कम उद्ग्रहण	36.86	36.86		आईसीडी, तुगलकाबाद	पीवीसी रेसिन एसजी 5 (विनाइलक्लोराइड मोनोमर का होमो पॉलिमर)
3	102	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	18.89			जेएनसीएच, मुंबई	सिरेमिक टेबलवेअर और किचनवेयर
4	107	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	10.82			जेएनसीएच,मुंबई	ओ-एसिड या ओफ़्लॉक्सिन एसिड
5	136	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	12.54			कोलकाता (पतन)	क्लियर फ्लोट ग्लास
		कुल	**93.46**	**51.21**	**17.58**		

अनुबंध:6

निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

(संदर्भ पैराग्राफ 4.2)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गइ राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
1	12	ईपीसीजी योजना के तहत समानुपाती सीमा शुल्क की वसूली न होना	26.37	26.37		एडीजीएफटी, कोलकाता	लौह अयस्क पैलेट
2	13	एमईआईएस के तहत क्रेडिट की अनुचित अनुमति	11.80	11.80	16.30	जेडीजीएफटी, कोचीन	जमे हुए लॉबस्टर
3	16	ईपीसी योजना के तहत विदेशी मुद्रा में निर्यात दायित्व को पूरा न करना	14.80	14.80		ज़ेडडीजीएफटी, कोलकाता	
4	19	एमईआईएस लाइसेंस का अनियमित अनुदान	17.74	17.74	23.32	जेडीजीएफटी, कोचीन	आलू
5	से 20	एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	13.55	3.14	3.14	जेडीजीएफटी, मदुरै	फ्रॉजन ऑक्टोपस
6	24	आईईआईएस के तहत रीवार्ड का गलत अनुदान	29.09	29.09	43.26	जेडीजीएफटी, मदुरै	कपास का धागा
7	31	सेलुलर फोन के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्यात के लिए शुल्क प्रतिअदायगी का अतिरिक्त भुगतान	34.93	34.93	38.37	सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-VII), एसीसी न्यू सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई	सेलुलर मोबाईल फोन
8	32	एकीकृत कर (आईजीएसटी) का अनुद्ग्रहण	10.18	10.18	11.41	सीमा शुल्क उपायुक्त, सीमा शुल्क हाउस, मुंद्रा	तिल के कच्चे बीज
9	36	एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	11.79			जेडीजीएफटी, मदुरै	अन्य फ्रॉजन लॉबस्टर
10	44	डीटीए बिक्री पर सीमा शुल्क और अधिभार का कम भगतान	12.44	12.44	13.67	एसईईपीजेड़-सेज़ मुंबई	हाई प्रेशर गेट वाल्व

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गइ राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
11	45	डीटीए बिक्रियों पर शुल्क का कम भुगतान	21.01	21.01	27.89	एसईईपीजेड़ -सेज़ मुंबई	खाद्य ग्रेड एंटीऑक्सिडेंट
12	46	टर्मिनल उत्पाद शुल्क प्रतिदाय की अधिक अनुमति	15.51	15.51		डीजीएफटी, मुंबई	
13	49	ईपीसीजी योजना में निर्यात दायित्व को पूरा न करना	32.21	32.21	5.35	सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमान पत्तन और एसीसी) , बेंगलुरु	डबल क्रीम भरने और पैकिंग करने वाली मशीन
14	50	ईपीसीजी योजना में निर्यात दायित्व को पूरा न करना	11.05	11.05	1.86	सीमा शुल्क आयुक्तालय (शहर), बेंगलुरु के तहत आईसीडी व्हाइटफील्ड	पूंजीगत माल
15	51	ईपीसीजी योजना में निर्यात दायित्व को पूरा न करना	10.76	10.76	17.22	अतिरिक्त डीजीएफटी, बेंगलुरु/आईसीडी व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु	मानक सहायक उपकरण के साथ स्वचालित सिल्क रीलिंग मशीन
16	53	डीटीए बिक्री पर बीसीडी (छूट की वापसी) का भुगतान न करना	33.82	33.82	33.82	एसईईपीजेड़ -सेज़, मुंबई	सिरेमिक पिगमेंट/रंग और निकल डेरिवेटिव
17	58	एमईआईएस के तहत उत्पाद शुल्क क्रेडिट का अनुदान	10.78	10.78	10.78	जेडीजीएफटी, मदुरै	कॉटन ओवन होल्डर, एप्रन, कॉटन पॉट होल्डर
18	67	सीएसटी प्रतिदाय पर देर से कटौती का गैर/कम उद्ग्रहण	29.46	29.46	29.46	डेवलपमेंट आयुक्त (केएएसईजेड), गांधीधाम	
19	80	तदर्थ मानदंडों का निर्धारण न करना	25.97	25.84	25.84	एसईईपीजेड़-सेज़ मुंबई	श्राउड प्लेट्स
20	81	डीटीए निकासियों पर बीसीडी का कम भुगतान	12.25	12.25	12.94	एसईईपीजेड़ -सेज़ मुंबई	परफ्यूम्स, डिओडोरेंट्स
21	103	अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	16.17	16.17	15.36	क्षेत्रीय अतिरिक्त डीजीएफटी, चेन्नई	

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गइ राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
22	108	एसआईओएन मानंदडों से अधिक स्क्रैप की डीटीए निकासियों पर कम भुगतान	14.21	14.21	14.32	विकास आयुक्त, एसईईपीजेड़, मुंबई	विनिर्माण स्क्रैप
23	127	डीम्ड निर्यात पर टर्मिनल उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त प्रतिदाय	21.59	21.59		डीजीएफटी, मुंबई	पूंजीगत माल
24	134	लागत वसूली प्रभारों में संशोधन न करना	23.66	23.66	23.66	सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर	
25	142	आयातित माल पर सीएसटी प्रतिपूर्ति का गलत अनुदान	22.49	22.49	22.49	विकास आयुक्त (केएएसईजेड), गांधीधाम	
		कुल	**483.63**	**461.30**	**390.46**		

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in